हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2011—12

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन से वर्ष 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.4 प्रतिशत आंकी गई है। विकसित देशों में लगातार मन्दी के बीच भारतीय अर्थ–व्यवस्था में न केवल असाधारण वृद्धि हुई है, बल्कि कुछ मूलभूत ढांचे में भी बहुत प्रगति हुई है। परन्तु मुद्रा–स्फीति फिर भी कुछ हद तक चिन्ता का विषय है।

1.2 विश्व भारत को तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है परन्तु निवेशक के विश्वास की क्षतिपूर्ति व मांग के अनुसार निवेश करने में पिछले एक वर्ष में कमी पाई गई।

1.3 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 9 प्रतिशत रखा गया है। योजना के पहले चार वर्षों में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं जोकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की 8.0 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। भूतकाल में विकासात्मक गति तुरन्त वृद्वि के पश्चात् मंदी की ओर गतिशील हो जाती थी, परन्तु अब अर्थव्यवस्था स्थिर आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर एवं दृढ़ रहेगी।

1.4 नए आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2010–11 में कुल सकल घरेलू उत्पाद `48,85,954 करोड़ आंका गया है जबकि 2009–10 में यह `45,07,637 करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों पर वर्ष 2009–10 में `60,91,485 करोड़ की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में लगभग `71,57,412 करोड़ है जोकि 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था (आधार 2004–05) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 8.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010–11 में भी 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2010–11 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः यातायात व संचार में 14.7 प्रतिशत, वित्त, बीमा, स्थावर सम्पदा व व्यवसायिक सेवाओं में 10.4 प्रतिशत, व्यापार, होटल व रेस्टोरैंट सेवाओं में 9.0 प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्र में 8.0 प्रतिशत हुई।

1.5 वित्तीय वर्ष 2011–12 में **लगभग 6.9 प्रतिशत** की वृद्धि दर पूर्वानुमान की गई है।

1.6 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2009–10 में `46,117 थी जो वर्ष 2010–11 में 15.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाते हुए यह `53,331 हो गई। स्थिर (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2009–10 में `33,843 से बढ़कर वर्ष 2010–11 में `35,993 हो गई जो कि 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.7 मुद्रा स्फीति वर्ष दर वर्ष थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है।

प्रचलित वर्ष में मुद्रा स्फीति अत्याधिक रहने के बाद दिसम्बर,2011 से कम होनी शुरू हो गई। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2011 में मुद्रा–स्फीति की दर 7.5 प्रतिशत रही जोकि दिसम्बर, 2010 में 8.4 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्वि दिसम्बर,2011 में 6.5 प्रतिशत रही जबकि यह दिसम्बर,2010 में 9.5 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.8 हिमाचल प्रदेश देश व पहाड़ी क्षेत्र के विकास में अग्रणी अर्थ–व्यवस्था तथा कृषि, फल उत्पादन के परिक्रमण और साथ में विद्युत और पर्यटन के क्षेत्र के निवेश में अधिमानित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। विशाल आर्थिक परिस्थितियां तथा अनुकूल प्रशासन द्वारा अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था समानान्तर रूप से विकसित हो रही है। प्रचलित वर्ष में 7.6 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि राष्ट्रीय वृद्वि के लगभग 6.9 प्रतिशत की वृद्वि की तुलना से बेहतर है। **राज्य द्वारा अर्थ–व्यवस्था में असाधारण उपलब्धि के कारण प्रदेश ने 57 पुरस्कार प्राप्त किए।**

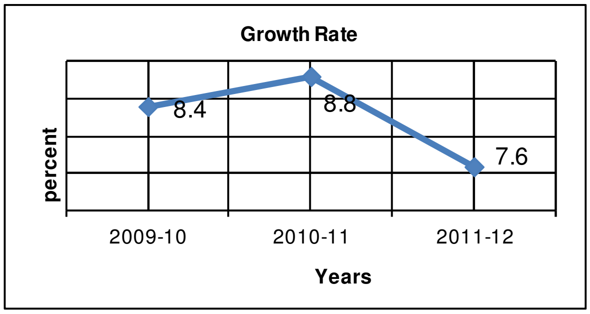

1.9 वर्ष 2009–10 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर `35,907 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में `39,066 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 8.8 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 8.1 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर समस्त घरेलू उत्पाद वर्ष 2009–10 में `46,969 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में `54,695 करोड़ आंका गया है। यह 16.4 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

1.10 वर्ष 2009–10 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय `56,706 से बढ़कर 2010–11 अनुमानों के अनुसार `65,535 हो गई जो कि 15.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्वि का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र की 16.3 प्रतिशत, वित्त तथा स्थावर सम्पदा की 15.9 प्रतिशत, व्यक्तिगत सेवाओं की 12.4 प्रतिशत तथा परिवहन व व्यापार की 5.0 प्रतिशत विकास दर है जबकि गौण क्षेत्र में केवल 4.3 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2009–10 में 11.11 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2010–11 में 14.94 लाख मीट्रिक टन रहा और 2011–12 में उत्पादन बढ़कर 15.59 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में 2.69 गुणा वृद्वि हुई। फल उत्पादन वर्ष 2009–10 के 3.82 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2010–11 में 10.27 लाख मीट्रिक टन तथा 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक 3.29 लाख मीट्रिक टन हुआ।

सारणी–1.1
मुख्य सूचक

सूचक	2009–10	2010–11	2009–10	2010–11
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
1	2	3	4	5
सकल राज्य घरेलू उत्पाद				
(` करोड में)				
प्रचलित भावों पर	46969	54695	13.2	16.4
स्थिर भावों पर	35907	39066	8.1	8.8
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	11.11	14.94	(–) 9.5	(+) 34.5
फलोत्पादन (लाख टन)	3.82	10.27	(–) 39.1	(+) 169.4
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (` करोड़ में)*	6660	7253	16.7	8.9
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1804	2045	(–) 13.1	(+) 13.4
थोक भाव सूचकांक	130.8	143.3	3.9	9.6
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	151	163	9.4	7.9

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

1.11 वर्ष 2011 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2011–12 में लगभग **7.6 प्रतिशत** होने की संभावना है।

1.12 प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2010–11 में 17 प्रतिशत रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2010–11 में 11.7 तथा 17.7 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2010–11 में 65.0 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा है क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका

मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बन्धताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2011–12 में (दिसम्बर,2011 तक) 3.29 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2011 तक 4,328 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2011 तक 10.48 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2010–11 में 12.69 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2009–10 में 12.06 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 13.00 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि

क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में पर्यटन विकास में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से `428 करोड़ की योजना शुरू की गई। पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें भारी लागत वाले कार्य और उन नए क्षेत्रों में व्यावसायिक परियोजनाओं की शुरूआत करना भी सम्मिलित है जहां निजि क्षेत्र अभी प्रारम्भ में कार्य करने से हिचकिचा रहा हैं। राज्य में प्राकृतिक,साहसिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए दो नई महत्वाकांक्षी योजनाएं **“हर घर कुछ कहता है” तथा “हर गांव की कहानी”** आरम्भ की गई है। प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **“होम स्टे”** योजना कार्यान्वित की है।

विशेष प्रचार अभियान के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट हैः–

सारणी 1.2
आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
1	2	3	4
2004	63.45	2.04	65.49
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89

1.19 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्वेश्य से सरकार ने "एस.यू.जी.यू. एम", अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम. आई.एस), सामुदायिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा सैंटर, ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, कृषि संसाधन, सूचना तंत्र, 'हिम स्वान', प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.20 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयासों में एक आर्दश राज्य उभरा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सामुदायिक, मूल्याकंन, जागरूकता, पक्ष समर्थन कार्यवाही अभियान (CLAP) तथा आर्यभट्ट अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (AGISAC) व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग से तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व उचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.21 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2011–12 में अप्रैल से नवम्बर,2011 तक 8.5 प्रतिशत बढा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9.3 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मूल्य वृद्वि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.22 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप `13,778.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2012–13 की योजना के लिए `3,700.00 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2011–12 से 12.12 प्रतिशत अधिक है।

1.23 भारत निर्माण का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

1.24 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक संचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने

हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने **ई–समाधान** के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.25 प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है। सरकार की प्राथमिकता हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और सड़क संरचना रही है। **एकताबद्ध प्रयासों से लोक सेवा में दक्षता व गुणवता, विशेषता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सेवाओं में सुधार किया गया।**

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न है:–

- राज्य ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पंजाब पुर्नगठन अधिनियम के अंतर्गत् पन विद्युत परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत का हिस्सा लेने में सफलता प्राप्त की।
- राज्य में कृषि संबंधी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के कुल बजट का 12 प्रतिशत इस मुख्य क्षेत्र पर व्यय कर रहा है।
- विभिन्न योजनाएं प्रदेश में **(`300 करोड़ लागत की दूध गंगा योजना, `353 करोड़ की पंडित दीन–दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना तथा `321 करोड़ की फसल विविधता योजना)** शुरू की गई जिसका उद्वेश्य किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर जुटाना है।
- मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा के उद्वेश्य से प्रत्येक पंचायत में नया पशु चिकित्सा औषधालय खोला जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में अधिक व शीघ्र विकास के लिए नकदी फसलों का उत्पादन, पौली गृह द्वारा खेती करने के लिए कृषि विभाग ने परियोजना बनाई है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- छोटे तथा सीमान्त किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत् प्रीमियम पर अनुदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया।
- पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्वि योजना के अंतर्गत 10.15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पोलीगृह खेती के अंतर्गत लाया गया।
- किसानों को लाभान्वित करने के लिए अपनी मण्डी योजना शुरू की गई।
- फल उत्पादन को सक्षम बनाने हेतु राज्य में एप्पल रीप्लॉटेशन प्रोजैक्ट आरम्भ किया गया तथा एंटी हेल गन और रडार केन्द्र भी शिमला जिला में स्थापित की गई।

- भेड़ पालक समृद्धि योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों को `1.00 लाख का ऋण दिया जा रहा है जिसमें `33,000 की अनुदान राशि है।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़ें।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में **`73,608 करोड़** अनुमानित की गई जबकि वर्ष 2010–11 में `65,535 थी जो वर्ष 2009–10 की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक रही।
- प्रदेश में उपलब्ध 23,000 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 7,913 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है। वर्ष 2010–11 में 2,045 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- हिमाचल प्रदेश के मूल वासियों को 5 मैगावाट तक परियोजनाओं को चलाने व लगाने में वरीयता प्रदान की गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2010–11 में 12.0 प्रतिशत का राज्य आय में योगदान करता है तथा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज जारी रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं (i) हर गांव की कहानी तथा (ii) हर घर कुछ कहता है शुरू की गई।
- राज्य में पर्यटन विकास में आधारभूत सुविधाएं देने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से `428 करोड़ की योजना शुरू की।
- प्रदेश पर्यटन की समृद्व सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के लिए हेली टैक्सी सेवा तथा हिमाचल हॉट शुरू किए गए।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल,2008 से लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 152.20 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 3,85,305 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 5,659 घरों का निर्माण कम गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
- अटल आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि `38,500 से बढ़ाकर `48,500 प्रति लाभान्वित परिवार कर दी गई। योजना के अंतर्गत 2,099 नए घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- गुरू रवि दास योजना के अन्तर्गत वार्डों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है तथा सहायता राशि `3 लाख से बढ़ाकर `5 लाख कर दी है।

- आवकारी एवं कराधान विभाग द्वारा व्यवहारियों की सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर (निःशुल्क) 1800–180–8066 शुरू किया गया।
- महिलाओं को प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
- अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्वेश्य से पंचायत प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई।
- राज्य में पंचायत महिला शक्ति अभियान के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सहायता कक्ष तथा टोल–फ्री हेल्प लाईन स्थापित की गई।
- प्रत्येक बच्चे का स्कूल जाना सुनिश्चित करने के लिए "अटल स्कूल यूनिफॉम" योजना इस वर्ष शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत पहली से दसवीं कक्षा तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को साल में दो बार यूनिफॉम दी जाएगी।
- हिमाचल प्रदेश को "शिक्षा हव" बनाने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान राज्य के विभिन्न भागों में खोले गए जिनमें भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान, ई. एस.आई मैडिकल कालेज एवं अस्पताल, ईंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय तथा निजि क्षेत्र में 11 अन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पुरूष व महिला साक्षरता दर के अनुपात को कम करने के लिए शिक्षा से पिछड़े हुए ब्लॉकों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू किए गए।
- प्रदेश में लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक जिसमें तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत `220.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया।
- कन्या शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्वेश्य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म (दो कन्याओं) पर `5,100 की अनुदान राशि कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्ष की आयु पर दिए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि `11,001 के हिसाब से 355 कन्याओं के शुभ विवाह पर प्रदान की गई।
- आम जनता को उनके घर–द्वार पर समान स्वास्थ्य सुविधाएं

सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन किया गया।

- राज्य में अटल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बीमारी तथा आपातकालीन स्थिति में सभी को 35 मिनट के भीतर मुफत एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है।
- राज्य में "मातृ सेवा योजना" के अंतर्गत् सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा प्रदान की जा रही है।
- राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी मरीजों को 38 दवाईयां बाह्य रोगी विभागों में (ओ.पी.डी) निःशुल्क दी जा रही है।
- रोगियों तथा उनकी देखरेख के लिए व चण्डीगढ़ उपचार के लिए जाने वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सेवा सदन का निर्माण किया गया।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शिमला नगर में 75 बसों को शामिल किया गया।
- "हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 69 रूट परमिट दिए गए।
- बागवानी मिशन के तहत बागवानी उपज की प्रगति हेतु अत्याधिक लोगों को एक मजबूत आर्थिक मंच प्रदान किया गया।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,251 सरकारी कार्यालयों को स्वान से जोड़ा है।
- "आर्यभट्ट" भू–सूचना विज्ञान तथा अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र शिमला में स्थापित किया गया।
- प्रदेश की जनता को पारदर्शी, स्वच्छ, शीघ्र तथा कम लागत पर विभिन्न प्रभावी सेवाएं जैसे सरकार से नागरिक, व्यापार से नागरिक, नागरिक से नागरिक, उपलब्ध करवाने के लिए जन सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- पांचवे वेतन आयोग की रिर्पोट को लागू करने के लिए राज्य के कर्मचारियों को वेतन एरियर दिए गए।
- लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए समय–समय पर राज्य के विभिन्न भागों में "प्रशासन जनता के द्वार" कैंप आयोजित किए।
- प्रदेश ने बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए "सेवा अधिनियम" लागू किया गया।
- इडिंया टुडे पत्रिका द्वारा वर्ष 2011 में करवाए गए स्टेट आफ

स्टेटस सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश "अधोसंरचना विकास" में सर्वश्रेष्ट पाया गया।

- देश के बहुभाषीय मीडिया समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ट "निवेश मित्र राज्य" का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतू हिमाचल प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- समाचार चैनलों द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को "बैस्ट ट्रेवल डैस्टिनेशन" तथा शिमला को "बैस्ट मॉउटेन हिल डैस्टिनेशन" पाया गया है।
- पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को " प्रधानमंत्री लोक सेवा पुरस्कार" प्रदान किया।
- शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रदेश को "ग्लोरी ऑफ इंडिया" सम्मान दिया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए मदर टेरेसा अर्न्तराष्ट्रीय अवार्ड कमेटी कलकत्ता द्वारा "मदर टेरेसा लाईफ एचिवमेंट अवार्ड 2012" से सम्मानित किया गया।
- हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए देश भर में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया।
- हिमाचल प्रदेश को अच्छा कार्य करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा "राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार" दिया।
- **राज्य को मिले पुरस्कारों की संख्या 57 हो गई है।**

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(` करोड़ में)

मद	2008–09 (वा.)	2009–10 (वा.)	2010–11 (स.)	2011–12 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**9308**	**10346**	**12357**	**14094**
2. कर राजस्व	3080	3436	5122	6101
3. कर रहित राजस्व	1756	1784	1745	1995
4. सहाय अनुदान	4472	5126	5490	5998
5. राजस्व व्यय	**9438**	**11151**	**12511**	**14042**
क. ब्याज भुगतान	1893	1956	1951	2151
6. राजस्व घाटा (1–5)	(–) **130**	(–) **805**	(–) **154**	(+) **52**
7. पूंजी प्राप्तियां	**3192**	**3143**	**2782**	**2627**
क. उधार वसूलियां	21	39	80	24
ख. अन्य प्राप्तियां	922	552	500	550
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	2249	2552	2202	2053
8. पूंजी व्यय	**3054**	**2880**	**2876**	**2666**
9. कुल व्यय	**12492**	**14031**	**15387**	**16708**
क. योजना व्यय	2883	3199	3526	3094
ख. गैर योजना व्यय	9609	10832	11861	13614
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				
1. राजस्व प्राप्तियां	**24.13**	**22.03**	**22.59**	**22.34**
2. कर राजस्व	7.98	7.32	9.36	9.67
3. कर रहित राजस्व	4.55	3.80	3.19	3.16
4. सहाय अनुदान	11.59	10.91	10.04	9.51
5. राजस्व व्यय	**24.47**	**23.74**	**22.87**	**22.26**
क. ब्याज भुगतान	4.91	4.16	3.57	3.41
6. राजस्व घाटा	(–) **0.34**	(–) **1.71**	(–) **0.28**	(+) **0.08**
7. पूंजी प्राप्तियां	**8.28**	**6.69**	**5.09**	4.16
क. उधार वसूलियां	0.05	0.08	0.15	0.04
ख. अन्य प्राप्तियां	2.39	1.18	0.91	0.87
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	5.83	5.43	4.03	**3.25**
8. पूंजी व्यय	**7.92**	**6.13**	**5.26**	**4.23**
9. कुल व्यय	**32.39**	**29.87**	**28.13**	26.49
क. योजना व्यय	7.47	6.81	6.45	4.90
ख. गैर योजना व्यय	24.91	23.06	21.69	21.58

टिप्पणीः वर्ष **2008–09, 2009–10, 2010–11(द्रुत) तथा 2011–12 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।**

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010–11 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद `39,066 करोड़ आंका गया जबकि वर्ष 2009–10 में यह `35,907 करोड़ था। वर्ष 2010–11 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2004–05) पर 8.8 प्रतिशत रही।

2.2 प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में पिछले वर्ष 2009–10 के ` 46,969 करोड़ की तुलना में ` 54,695 करोड़ आंका गया है जोकि 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2010–11 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2009–10 के 11.11 लाख मी0टन से बढकर 14.94 लाख मी0 टन अपेक्षित है। वर्ष 2009–10 में सेब उत्पादन 2.80 लाख मी0 टन से बढकर वर्ष 2010–11 में 8.92 लाख मी0 टन हुआ।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 15.81 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्धि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय स्तर के 6.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई हैः–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
2009–10(संशोधित)	8.1	8.4
2010–11 (द्रुत)	8.8	8.4
2011–12 (अग्रिम)	7.6	6.9

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2010–11 (नई श्रंखला आधार वर्ष 2004–05) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ` 65,535 है जोकि वर्ष 2009–10 में ` 56,706 की तुलना में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2009–10 में प्रति व्यक्ति आय ` 43,305 आंकी गई थी जो कि वर्ष 2010–11 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए 47,106 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2010–11 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 21.73 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 39.79 प्रतिशत, सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 16.96 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 13.87 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 7.65 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2010–11 में 15.81 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2010–11 में 21.73 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 39.79 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 8.3 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010–11 में 38.48 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2010–11 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.8 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2010–11 (`करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. कषि एवं अन्य	5,445	26.2
2. वन	1,997	- 3.1
3. मत्स्य	40	- 5.4
4.खनन तथा उत्खनन	141	1.2
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**7,623**	**16.3**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2010–11 में 16.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्वि रही। मौसम के अनुकूल रहने के कारण कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में सकारात्मक वृद्वि आई।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2010–11 (`करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	6,153	6.3
2. निर्माण	6,581	2.4
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	2,915	4.4

कुल गौण क्षेत्र	**15,649**	**4.3**

2.12 इस क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2010–11 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र में पिछल वर्षो की अच्छी उपलब्धियो की अपेक्षा इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि स्थिर होकर रह गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	2010-11 (करोड़ रु0 में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1.परिवहन, संचार व व्यापार	6,158	4.96
2.वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	3,520	15.9
3. सामुदायिक संवायें	6,116	12.4
कुल सेवा क्षेत्र	**15,794**	**10.1**

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2010–11 में इस क्षेत्र के अधीन विकास दर 4.96 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के संचार से सम्बन्धित विकास दर 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2010–11 मे 15.9 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2010–11 में 12.4 प्रतिशत है।

सम्भावनाएं–2011–12

2.16 दिसम्बर,2011 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में विकास दर **7.6 प्रतिशत** आने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर लगभग **6.9 प्रतिशत** है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 8.8 प्रतिशत व 8.1 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग 63,084 करोड़ रूपये होने की संभावना है।

2.17 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2010–11 में ` 65,535 की तुलना में वर्ष 2011–12 में ` 73,608 आंकी गई है जोकि 12.3 की वृद्धि दर्शाती है।

2.18 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–02)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–07	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–08	(+) 8.6	(+) 9.0
2008–09	(+) 7.4	(+) 6.7
2009–10	(+) 8.1	(+) 8.4
2010–11(द्रुत)	(+) 8.8	(+) 8.4
2011–12(अग्रिम)	(+) 7.6	(+) 6.9

लोक वित्त

2.19 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2011–12 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ` 14,093 करोड़ है जोकि वर्ष 2010–11 संशोधित में ` 12,357 करोड़ थी जो 14.05 प्रतिशत की बढौतरी वर्ष 2011–12 में वर्ष 2010–11 की तुलना में दर्शाती है।

2.20 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2009–10 में ` 2,574 करोड तथा वर्ष 2010–11 संशोधित में ` 3,407 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011–12 में (बजट अनुमान) ` 4,040 करोड़ आंकी गई जोकि वर्ष 2011–12 (बजट अनुमान) की आय से 18.58 प्रतिशत अधिक है।

2.21 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें ब्याज प्राप्ति, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2011–12 (बजट अनुमान) में ` 1,995 करोड़ आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 14.16 प्रतिशत था।

2.22 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2011–12 (बजट अनुमान) में ` 2,061 करोड़ आंका गया है।

2.23 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ` 2,444 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 40.06 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में व वर्ष 2009–10 में यह क्रमशः 39.12 व 43.28 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ` 710.00 करोड़ आंकी गई है।

2.24 कुल सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व घाटे की प्रतिशतता वर्ष 2009–10 व 2010–11 में क्रमशः (–) 1.71 व (–) 0.28 प्रतिशत है।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बैक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण आपूर्ति को पूरा करने का उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं।

3.2 सितम्बर,2011 तक बैंक शाखाओं की संख्या 1,510 थी । इस समय हिमाचल प्रदेश में 28 वाणिज्यिक बैंकों की 944 शाखाएं जिसमें 702 शाखाएं ग्रामीण और 68 शाखाएं शहरी और 173 अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अभी तक 544 ए.टी. एम. मशीने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई हैं। राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को संयोजक बैंक के रूप में 141 शाखाओं के जाल के साथ उत्तरदायित्व सौंपा है। अन्य बड़े बैंकों में पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) की 259 शाखाएं, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस. बी.आई.) की 194 शाखाएं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) की 96 शाखाएं और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की 43 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बड़े मजबूत जाल के साथ 4 कोआपरेटिव बैंक 407 शाखाओं के साथ और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 159 शाखाओं के साथ कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, तथा चम्बा में इसकी 175 शाखाएं हैं इनमें एक शाखा दिल्ली भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जबकि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उना तथा लाहौल–स्पिति में 163 शाखाएं हैं तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक की केवल सोलन जिलें में 20 शाखाएं हैं।

सि़तम्बर,2011 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी 3.1 में दर्शाया गया है तथा उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

अग्रिम एवं जमा राशि

3.4 सितम्बर,2011 के अंत तक राज्य में सभी कार्यरत बैंकों में कुल जमा राशि `45,046 करोड़ के साथ 20.79 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई। सितम्बर,2011 के अंत तक साल दर साल का उधार `18,493 करोड़ दर्ज किया गया जोकि पिछले वर्ष सितम्बर,2010 के मुकाबले में 25.82 प्रतिशत अधिक था। संयोजक बैंक ने वाहय ऋण के आंकड़े एकत्रित किए हैं जिसका राज्य में इस्तेमाल हुआ है जोकि `7,786 करोड़ हैं सितम्बर,2011 तक थोरेन्ट कमेटी के सुझाव के आधार पर

जमा एवं अग्रिम अनुपात 67.54 प्रतिशत रहा।

सारणी 3.1

हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(` करोड़)

मद	सितम्बर,2010	सितम्बर,2011	वर्ष के दौरान परिवर्तन
1	2	3	4
1. जमा राशि (पी.पी.डी.)			
ग्रामीण	23014.28	26586.06	3571.78
अर्ध शहरी	13169.43	18459..51	5290.08
कुल	**36183.71**	**45045.57**	**8861.86**
2. अग्रिम (ओ/एस)			
ग्रामीण	10417.22	10364.41	(-) 52.81
अर्ध शहरी	13540.38	10693.03	4374.17
कुल	**23957.60**	**21057.44**	**4321.36**
3. जमा उधार अनुपात (प्रतिशत में)			
थोरेन्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर	69.29	67.54	(-) 0.04
4. बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश	379.82	359.57	(-) 20.25
5. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	10717.06	12642.79	1925.73
(i) कृषि	3291.03	3801.89	510.86
(ii) एम.एस.एम.ई.	4743.81	5216.49	472.68
(iii) ओ.पी.एस.	2682.22	3624.41	942.19
6. गरीबों को अग्रिम	2966.78	3664.87	698.09
7. ड़ी. आर. आई. अग्रिम	5.73	15.45	9.72
8. अल्प संख्यकों को ऋण	427.00	408.92	(-) 18.08
9.अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	6019.02	8414.63	2395.61
10.महिलाओं के लिए ऋण	737.27	1157.02	419.75
11.अनुसूचित जातियों को अग्रिम	1367.51	1827.01	459.50
12..अनुसूचित जन–जातियों को अग्रिम	359.67	623.87	264.20
13.सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम	722.23	802.63	80.40
14. शाखाओं की संख्या	1439	1510	71

जमा उधार अनुपात में वे आंकडे भी शामिल है जो अग्रिम राज्य के बाहर से बैंकों द्वारा लिए गए हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र में उधार

3.5 कुल प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकों द्वारा सितम्बर,2010 तक दिए गए ऋण `10,717 करोड़ के मुकाबले यह राशि सितम्बर,2011 में 18.00 प्रतिशत की वृद्वि

दर्ज करते हुए ` 12,643 करोड़ हो गई। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक क्षेत्र में उधार की भागीदारी 60 प्रतिशत से भी अधिक दर्ज की गई जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानक के आधार पर भागीदारी 40 प्रतिशत है। बैंकों द्वारा ` 4,495 करोड़ के नए ऋण चालू राजस्व वर्ष में सितम्बर,2011 तक दिए गए हैं और अच्छी उपलब्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार उपलब्धि निम्न सारणी में दर्शाई गई है:–

सारणी 3.2

(` करोड़)

क्षेत्र	वार्षिक वचनबद्धता 2011–12	वास्तविक उपलब्धि सितम्बर, 2011 तक	सितम्बर,2011 के लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4
1. कृषि	2479.21	1226.95	105.30
2. एम.एस.एम.ई.	1664.30	1018.94	130.26
3. अन्य प्राथमिक क्षेत्र	2140.03	899.56	89.44
4. गैर प्राथमिक क्षेत्र	1263.76	1349.77	227.25
कुल योगः	**7547.30**	**4495.22**	**126.72**

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंकों का योगदान

क. प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम

3.6 यह योजना तीन नोडल संस्थाओं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, के.वी.आई.सी. तथा डी.आई.सी. द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। सितम्बर,2011 तक वार्षिक लक्ष्य 664 ईकाईयों के विपरीत बैंकों द्वारा 987 ऋण आवेदकों की जगह 528 ऋण आवेदकों के ऋण स्वीकृत किए गए और 453 को ऋण वितरण किया गया जोकि 80 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है जो ऋण स्वीकृत किए गए वे भौतिक लक्ष्य के उपर हैं तथा `1,824.85 की राशि आंवटित की गई।

ख. स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

3.7 यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सितम्बर, 2011 तक ` 30.00 करोड़ के निश्चित किए गए ऋणों के बदले में राज्य के बैंकों ने `14.00 करोड़ के ऋण आंवटित किए। जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिधान है। व्यक्तिगत स्वरोजगार लाभकारी को `3.93 करोड़ और स्वरोजगार समूहों को ` 12.40 करोड़ की राशि आंवटित की गई और लक्ष्य की प्रतिशतता 38 प्रतिशत रही। स्वरोजगारी व व्यक्तिगत् को ` 12.40 करोड़ की कुल ऋण राशि बैंकों द्वारा स्वीकृत की गई हैं व ` 3.35 करोड़ की राशि उपदान के रूप में व्यक्तिगत् व स्वरोजगारियों को स्वीकृत की गई।

ग. स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना

(एस.जे.एस.आर.वाई.–2011–12)

3.8 भारत सरकार ने 1.4.2009 से एस.जे.एस.आर.वाई. योजना का प्रारूप पांच मुख्य अवयवों को कार्यान्वित करने के लिए बदला है। इनमें से केवल दो अवयव शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम ही बैंक वित्त से जुड़ेगें। बैंको द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 14 ऋण मामलों के लक्ष्य की तुलना में सितम्बर,2011 तक 20 ऋण मामलों को ` 8.56 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए।

घ. शहरी निर्धनों के लिए आवासीय ब्याज पर उपदान योजना (आई. एस.एच.यू.पी.)

3.9 शहरी निर्धनों के लिए आवासीय ब्याज पर उपदान योजना का कार्यान्वयन का कार्य, कुछ रूकावटों के कारण शुरू नहीं हो पाया है। इस योजना के स्थान पर शीघ्र ही "राजीव आवास योजना" नगर निगम व शहरी विकास विभागों के संयुक्त प्रयत्नों द्वारा जल्द ही आरम्भ कर दी जायेगी।

च. सूक्ष्म वित्त

3.10 बैंकों ने राज्य में 59,185 स्वंय सहायता समूह गठित किए जिनमें से 54,328 स्वंय सहायता समूह को ऋण के लिए बैंकों से सम्बद्ध कर लिया गया है ।

छ. किसान केडिट कार्ड

3.11 वित्त मंत्रालय के द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार की विशेष योजना द्वारा एक साधारण व सरल आवेदन फार्म पर किसान केडिट कार्ड को दिया जाना है जिसकी राज्य द्वारा शुरूआत कर दी गई है। एक एस.एल.बी.सी. की सब कमेटी बनाई गई है जोकि इसकी प्रगति पर विचार करेगी कि इसके तहत आने वाले जो भी किसान जो भी कार्ड बनाना चाहते हो और बिना चूक के रह न जाए। गांव की रूपरेखा के आधार पर कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बैंकों की शाखाएं इस क्षेत्र में सभी प्रकार के जरूरी आंकडों का संकलन कर रही है। संयोजक यूको बैंक और पी.एन.बी ने जो क्रिया पद्धति के `2.00 लाख तक के किसान केडिट कार्ड बनाने के खर्चों की बसूली नहीं की है। दोनों बैंकों के संयुक्त प्रयत्नों द्वारा 4,30,316 सक्रिय केडिट कार्ड सितम्बर, 2011 तक आवंटित कर दिए गए हैं।

ज. महिला उद्यमियो को ऋण सुविधा

3.12 30सितम्बर,2011 तक बैंकों ने महिला उद्यमियों को ` 1,301 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए। सितम्बर,2011 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 5 प्रतिशत अनुबंध के अनुसार बैंकों के वित्तीय ऋण की महिलाओं के लिए हिस्सेदारी 7.03 प्रतिशत दर्ज की गई।

झ. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जातियों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता

3.13 बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता सितम्बर,2010 की तुलना में सितम्बर 2011 तक हिमाचल प्रदेश में बैंकों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के लोगों को लाभान्वित करने के लिए ` 2,451 करोड़ की राशि प्रदान की गई जोकि पिछले वर्ष

सितम्बर,2010 की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक रही।

ड़ अल्प संख्यकों को ऋण

3.14 सितम्बर 2011 तक अल्पसंख्यकों को कुल ऋण ` 409.00 करोड़ के दिए। सितम्बर 2011 तक प्राथमिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों को ऋण देने की हिस्सेदारी कुल की 3.23 प्रतिशत थी।

ट विभिन्न ब्याज दर की योजना के अन्तर्गत् ऋण विस्तार(डी.आर.आई.)

3.15 सितम्बर 2011 के लक्ष्य को 1 प्रतिशत की दर से पूरा करने का राज्य के बैंक डी.आर.आई. अग्रिम में केवल 0.06 प्रतिशत का लक्ष्य ही प्राप्त कर सकी है। पिछड़े हुए सामाजिक वर्गों को कम ब्याज दर पर निधि देने के लिए सरकार के विशेष प्रयास जारी हैं।

ठ. हि0प्र0 में शत–प्रतिशत वित्तीय/ऋण समावेश की प्रगति

3.16 बैंक राज्य में वित्तीय/ऋण समावेश की 100 प्रतिशत उपलब्धि की ओर अग्रसर है। बैंकों द्वारा सितम्बर,2011 तक लगभग 74 प्रतिशत परिवारों को विभिन्न ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत लाया गया।

ड. वित्तीय समावेश योजना 2010–12 को लागू करना

3.17 इस योजना के अंतर्गत् 48 बिना बैंकों वाले गांव जिनकी जनसंख्या 2,000 से उपर है प्रदेश में बैंकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों की रूपरेखा और विभिन्न तरह के सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) मॉडल व बिजनेस करसपौन्डेन्ट (बी.सीज.) के आधार पर चिन्हित किए गए। अभी तक 4 गांव चिन्हित किए गए व 39 गावों को बैंकों द्वारा जोड़ा गया है। इनमें 4 नई शाखाएं खोली गई हैं और बाकी बचे 35 गांवों को बैंकों के अनुरूप मॉडल द्वारा जोड़ा गया है। बाकी के 9 गांवों को बैंकों द्वारा मार्च, 2012 तक जोडने के प्रयत्न जारी है। इसके अतिरिक्त 532 बिना बैंकों वाले गांवों को जिनकी जनसंख्या 1,000 से अधिक है को वित्तीय समावेश के दूसरे दौर के अन्तर्गत सितम्बर,2012 मे जोड़ने की योजना है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान

3.18 भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैंकों ने 10 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान जिला मुख्यालयों पर चालू कर दिए हैं। सभी जिलों के पास अपनी एफ.एल. एस.सी. की स्थापना हैं जोकि बैंकों द्वारा कियाशील है। यह एक सारे देश में अपनी किस्म की अनोखी उपलब्धि है।

समाजिक सुरक्षा पैंशन का बैंकों द्वारा बांटना

3.19 बैंकों द्वारा “इलैक्ट्रॉनिक लाभांश स्थानांतर” (ई.बी.टी.) सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा 21.10.2011 को निर्देश दिए हैं। बैंकों को सलाह दी है कि सड़क मानचित्र बनाए जाएं ताकि ये योजनाएं बैंकों द्वारा लागू की जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक लीडर बैंक व अन्य सहभागी बैंकों को (ई.बी.टी.) योजना को लागू करने की जिला स्तर पर

प्रचलन निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार (ई.बी.टी.) योजना सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बांटने की जिम्मेवारी राज्य में 4 जिलों में यूको बैंक व सात जिलों में पी.एन.बी बैंक को सौंपी गई है। उना जिले में सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बांटने के लिए एस.बी.आई बैंक द्वारा वी सी मॉडल की स्थापना की गई है।

नाबार्ड द्वारा दूध गंगा योजना की पूंजी योजना को लागू करना

3.20 सितम्बर,2011 तक 1,691 ऋण के आवेदन डेरी परियोजना के अन्तर्गत् बैंकों से प्राप्त हुए जिसमें से 1,376 ऋण के आवेदन ` 22.96 करोड़ की राशि के स्वीकृत किए गए और `21.71 करोड़ की राशि के 1,355 ऋण आंवटित किए गए।

3.21 इस योजना ने राज्य में इस चालू वित्त वर्ष में कोई ज्यादा गति नहीं पकडी है। केवल 39 ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा सभी बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए।

संयुक्त देयता समूह के अन्तर्गत प्रगति

3.22 नाबार्ड ने एक नई योजना संयुक्त देयता समूह प्रारम्भ की है जिन कृषकों के नाम कोई जमीन कृषि योग्य नहीं हैं उन लाभार्थियों के नाम दर्ज करना है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों ने आरम्भिक प्रगति प्राप्त कर ली है। राज्य में 30 सितम्बर, 2011 को 374 संयुक्त देयता समूह कार्य कर रहे हैं। जिसमें से 197 समूहों को बैंकों में ऋण द्वारा जोड़ा गया है।

नाबार्ड

3.23 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में पौध–रोपण एवं बागवानी, ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण तरीकों का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य मे पर्याप्त सहयोग दिया है । नाबार्ड के अधिक से अधिक व क्रियात्मक सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित उधार के साथ उपदान की योजनाएं जैसे डेरी उ्मिता विकास योजना (डी.ई.डी.197) श्रेणीकरण और मानकीरण जन–जातीय विकास निधि जुगाली करने वाले छोटे पशु खरगोश का एकीकृत विकास, ग्रामीण गादामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, पोल्ट्री वेंचर, कैपीटल फंड, कृषि विपणन, आधार सरंचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का सशक्किरण योजना इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण सुविधा संरचना

3.24 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमो को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से संबंधित विशेष सरंचना ढांचे के विकास हेतु जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो के लिए इस योजना

का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

3.25 आर.आई.डी.एफ योजना के लागू होने से 31 सितम्बर 2011 तक हिमाचल प्रदेश सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में 4,604 परियोजनाओं जैसे पौली हाउस, सिंचाई, सडक व पुल, पीने का पानी, बाढ नियंत्रण, जल संरक्षण व प्राथमिक पाठशाला के कमरों के निर्माण हेतु ` 3,406.01 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

3.26 चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर,2011 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास निधि के अन्तर्गत ` 365.71 करोड़ स्वीकृत किए गए। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रदेश सरकार को ` 257.49 करोड़ वितरित किए गए जिससे सरकार को अब तक का कुल वितरण ` 2,232.40 करोड़ हो गया है ।

3.27 स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन/पूर्ण होने के उपरान्त 81,206 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई, 20,007 हैक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिचाई 20,002 हैक्टेयर भूमि को बाढ संरक्षण उपाय के अंतर्गत लाया जाएगा, 147 हैक्टेयर भूमि को पौली हाउस के अंतर्गत लाया जाएगा, 6850 कि.मी. वाहन योग्य सडकें, 17,611 मी. लम्बे पुलों का निर्माण व 6,219 हैक्टेयर भूमि को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया लाएगा। पीने का पानी 24,25,786 लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं में 2,921 कमरों का निमार्ण व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 64 विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जायेगा। 25 नए सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र व 397 पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

पुनः वित्त सहायता

3.28 डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा 31दिसम्बर,2011 तक प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को ` 461.05 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय गग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए इस वर्ष ` 321.00 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की है जिसके तहत 31 दिसम्बर,2011 तक इन बैंकों द्वारा `152.76 करोड़ का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है।

लघु ऋण

3.29 स्वंय सहायता समूह (एस.एच. जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 30 सितम्बर, 2011 तक प्रदेश में 59,185 स्वंय सहायता समूह कार्यरत हैं जिनको समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं, किसान क्लब व बैंकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। सितम्बर,2011 तक प्रदेश में 54,328

स्वंय सहायता समूह को 1,200 बैकों के साथ सुक्ष्म ऋण गतिविधियों के साथ जोड़ा गया। कुल 17 किसान क्लब स्वंय सहायता उत्साहजनक हित संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड ने लघु एवं सीमान्त कृषक, पट्टेदार कृषक, साझेदार कृषक एवं वे कृषक जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं, को ऋण उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त देयता समूह के नाम से एक योजना प्रारम्भ की है। राज्य में 30 सितम्बर,2011 को 374 संयुक्त देयता समूह कार्य कर रहे हैं जिनमें से 197 समूहों को ऋण से जोड़ा गया है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.30 नाबार्ड द्वारा 31 दिसम्बर,2011 तक राज्य में 1,266 कृषक क्लब बना दिए गए हैं तथा सभी कार्यरत हैं। नाबार्ड रयुटर मार्किट लाइट कार्यक्रम के तहत एक योजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसके अन्तर्गत् एस.एम. एस. के द्वारा मौसम संबंधी भविष्यवाणी, फसल के बारे में राय, उस स्थान पर उपलब्ध स्पोट वीकृत मार्किट प्राइज से कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सिरमौर जिले में कृषक क्लबों का संगठन बनाया गया हैं नाबार्ड वाटरशैड विकास परियोजना के तहत तीन वाटरशैड विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कृषकों को नई तकनीक तथा खेती के नए तरीकों की जानकारी देने के लिए स्कीम फॉर टैक्नोलाजी (कैट) के अन्तर्गत् भ्रमण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे उसे अपना सके। इसके अन्तर्गत् पौली हाउस तकनीक, जैविक खेती, बायोखाद, वर्मी कम्पोस्ट, सुगंधीय तथा औषधिया पौधों की खेती, मशरूम की पैदावार पर व्यवहारिक तथा प्रायोगिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ऐसे भ्रमण कुछ चुनिंदा अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 में ऐसे 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इस वर्ष के अंत तक 20 भ्रमणों का लक्ष्य है। नाबार्ड द्वारा उना, मण्डी, चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में धान एवं गेंहूं की खेती के गहनीकरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू जिले में शीतोषण फलों एवं सब्जियों से सम्बन्धित टैक्नोलॉजी अंतरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की है तथा मधुमक्खी पालन की परियोजना के लिए भी वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.31 नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। नाबार्ड ने संरचना जरूरतों, सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता विकास तथा ऋण की जरूरतों पर विचार कर "पर्यटन क्लस्टर" विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण टुरिजम एवं एग्रो टुरिजम से संबन्धित सभी गतिविधियॉ नाबार्ड के गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वित कर सकेगी। नाबार्ड स्वरोजगार ऋण कार्ड योजना (एस.सी.सी) को ग्रामीण हथकरघा एवं लघु उद्यमियों के हित के लिए समर्थन देगा जिससे वे कार्यशील पूंजी तथा अवरूद्ध पूंजी दोनों के लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण का प्रावधान कर सके।

3.32 ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र स्थापित करने, मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विकास और स्वरोजगार (रूडसेटी) जैसी संस्थाओं एवं ग्रामीण विकास और स्वरोजगार (रूडसेटी) जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं, ताकि यदि उनके अन्दर क्षमता है जो रोजगार उपलब्ध हो और आय–सृजक कार्य शुरू कर सकें। इन योजनाओं को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

i) **कौशल विकास पहलः** समूह या व्यक्तिगत रूप से रोजगार या आजीविका की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मौजूदा कौशल का विकास करना, उन्नत करना या विविधकृत करना कौशल विकास पहल में शामिल मार्च,2011 तक राज्य में कुल 145 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं जिनके लिए ` 72.50 लाख की अनुदान सहायता दी जाएगी और इससे लगभग 3,000 लोग लाभान्वित होंगे। वर्ष 2011–12 के दौरान (30 सितम्बर 2011 तक) 15 ऐसे कार्यक्रम 12 गैर–सरकारी संगठनों को स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को चमडे, जूट, कपडे, प्लास्टिक, रेग्सिन आदि से महिलाओं के थैले बनाना, परंपरागत शॉल बुनना, लाहौली जुराब, स्कार्फ, सिलाई एवं दर्जी का काम, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर शिक्षा आदि गतिविधियॉं शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में उना, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी एवं कांगडा जिले के 375 व्यक्तियों को शामिल किया गया है तथा इनके लिए ` 13.16 लाख की अनुदान सहायता दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2010–11 के दौरान 800 व्यक्तियों को 45 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए `17.59 लाख की अनुदान सहायता इंस्टीटयूट फॉर स्किल एंड इंटरप्रिन्योरशिप डवेलपमेंट (आई.एस.ई.डी.), दाड़लाघाट, ब्लॉक अर्की, जिला सोलन को स्वीकृत की है, यह संस्था पंजाब नेशनल बैंक तथा अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन(एन.जी.ओ.) का संयुक्त उपक्रम है।

ii) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र के विकास में मार्केटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्केट व्यवस्था का अभिन्न अंग है, नाबार्ड इस प्रकार की हाट स्थापित करने के लिए अनुदानी उदार शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करती है। अब तक, मण्डी, उना, तथा सिरमौर जिलों में ` 23.74 लाख की अनुदान सहायता से 5 ग्रामीण हाट स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सभी जिलों में ऐसी और हाट स्थापित कने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

iii) इनमें शुरूआती जोखिम को शामिल करते हुए खुदरा दुकान स्थापित कर दस्तकारों, हस्तकला और कृषि

आधारित उत्पादों के लिए मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध करवाना ग्रामीण मार्ट योजना का लक्ष्य है। अब तक नाबार्ड ने `30.01 लाख की अनुदान सहायता से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 33 ग्रामीण मार्ट स्वीकृत किए हैं। इन मार्ट/दुकानों से बेचे जाने वाले मुख्य उत्पाद दूध तथा दुग्ध उत्पाद, साफट टॉयज, आचार, जैम, जेली, सॉस, चटनी, सेवइयॉं, वाडी, सिसाल, बगर एवं खजूर पेड के रेशों से बनने वाले हस्तकला उत्पाद, हैंडबैग, मोबाइल कवर, चाय कोस्टर, टेबल मैट, हस्तनिर्मित कागज आदि जो विभिन्न स्वयं यहायता समूहों द्वारा बनाए जाते हैं।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.33 वर्ष 2010–11 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह `5,270.63 करोड़ तक पहुंच गया जोकि वर्ष 2009–10 से 18.3 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.सी के आधार विभिन्न बैंकों के लिए ` 6,283.55 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितम्बर 2011 तक ` 3,145.45 लाख (50 प्रतिशत) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

वित्तीय समावेशन

3.34

i) राज्य ने 1 जनवरी 2007, को उस समय अपनाए गए मानकों के आधार पर 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। एस. एल.बी.सी के ऑकडों के अनुसार 1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार राज्य के सभी 12,13,276 परिवार बैंकों से जुड़े हैं।

ii) राज्य का अगला लक्ष्य 100 प्रतिशत ऋण समावेशन प्राप्त करना है। 31 मार्च, 2011 तक विभिन्न प्रकार के चक्रीय ऋण द्वारा लगभग 74 प्रतिशत परिवार जुड़े हैं।

iii) 48 गांवों की जनसंख्या 2,000 से अधिक है तथा इन गांवों को बिना बैंक वाले गांवों के रूप में चिन्हित गांवों को आंवटित किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 गांवों में बैंक शाखाएं खोली गई हैं तथा 8 गांवों में बैंक करेंसपोंडेट (बी.सी.मॉडल) द्वारा बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं। शेष 36 गांवों बी.सी. मॉडल क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और बैंक 31 मार्च, 2012 तक इन्हें बैंको के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्तीय समावेशन के अगले चरण में बिना बैंक वाले गांव, जिनकी जनसंख्या 1,000 से अधिक है, को जोड़ने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

iv) वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड अपने वित्तीय समावेशन फण्ड के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों/ कार्यों को सहायता प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता के लिए अंकुर वेलफेयर एशोसियशन, उना तथा मण्डी साक्षरता एवं जन विकास समिति (एम.एस.जे.वी.एस.), मण्डी को क्रमशः ` 1.31 लाख तथा ` 7.47 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कर्मचारी

तैयार करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रोफाइनान्स फॉर वूमन (आई.एस.एम.डब्लयू), अहमदाबाद के सहयोग से चार ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

v) राज्य में लाहौल–स्पिति को छोड़कर सभी जिलों में फॉइनेन्सियल लीटरैसी एण्ड क्रेडिट काउन्सेलिंग सेंटर्स (एफ.एल.सी.सीज.), स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च 2011 तक 4,679 लोगों ने एफ.एल.सी.सी. की सेवाएं ली हैं। एफ.एल.सी.सी. ने 108 गोष्ठियां/कैंप आयोजित किए हैं तथा इनमें 4,800 लोगों ने भाग लिया।

4. आबकारी एवं कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2010–11 के दौरान कुल ` 3,040.30 करोड़ राजस्व संग्रहण में से वैट संग्रह `2,101.09 करोड़ था जो कि कुल राजस्व का 69.10 प्रतिशत बनता है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य `549.46 करोड़ के स्थान पर `562.95 करोड़ का संग्रहण 0039 शीर्ष के अंतर्गत् किया गया, जो कुल संग्रहित राजस्व का 18.52 प्रतिशत है, शेष 12.32 प्रतिशत हि.प्र. पी.जी.टी. अधिनियम, हि0 प्र0 विलासिता अधिनियम, हिमाचल प्रदेश सी.जी.सी.आर. अधिनियम, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम और हिमाचल प्रदेश टोल टैक्स अधिनियम से किया गया।

4.2 वर्ष 2010–11 के दौरान राजस्व जुटाने के लिए जिन वस्तुओं पर सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनपर अप्रैल, 2010 से प्रवेश कर लगाया जिससे सरकार को ` 117.02 करोड़ तथा वर्ष 2011–12 में 31.10.2011 तक `102.53 करोड़ प्रवेश कर के रुप में आय प्राप्त हुई है । विभाग द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त करने हेतु बीडी पर 5 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत तथा सिगरेट पर 13.75 से 16 प्रतिशत कर लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। सी व डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए एक विशेष टी डी एस योजना तैयार की गई है, जो सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त ढाबों, कैन्टीन तथा अन्य खाना खाने के स्थानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण

हेतु कुल आवत `2,00,000/– से बढाकर `4,00,000/– की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा औद्योगिक आदानों की प्रविष्टि को युक्तिसंगत करने के लिए प्रस्तावना सरकार को भेजी गई है जोकि सरकार के विचाराधीन है। वर्ष 2011 तक लगभग 85 प्रतिशत रजिस्टर्ड डीलरों को टिन नम्बर जारी किये जा चुके हैं तथा शेष 15 प्रतिशत डीलरों द्वारा फैक्ट शीट न भरे जाने के कारण लम्बित है जिसके लिए कार्यवाही चली हुई है ।

4.3 यात्री एवं भाड़ा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु मामले सरकार के विचाराधीन है। यात्री एवं भाड़ा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों को लागू करने के लिए खाका तैयार कर दिया गया है जो कि विभाग के विचाराधीन है व इसे टैस्ट करने के उपरान्त आरम्भ कर दिया जाएगा । चालू वित वर्ष 2011–12 के दौरान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत `709.73 करोड़ के लक्ष्य को पार किये जाने की संभावना है। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पैट बोतलों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंद्व लगाया गया है तथा प्रदेश में अच्छी गुणवता वाली मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर होलोग्राम लगाया जाना अनिवार्य किया गया है ।

सेवाओं का कम्पयूटरीकरण

विभाग में कम्पयूट्रीकरण का कार्य अन्तिम चरण में है व विभाग का प्रयास है कि मार्च, 2012 के अन्त तक यह सुविधा सभी व्यापारियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी ।

यह प्रदेश सरकार की सबसे बडी परियोजना है व हिमाचल प्रदेश के 110+कार्यालयों व बहुप्रयोजन पडताल नाकों पर सरकार व व्यापारियों के बीच सरकार व नागरिकों के बीच सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सरकार द्वारा मूल्य वर्धित अधिनियम व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में व्यापारियों को निम्न सेवाऐं प्रदान की जाएगी :–

1. आबकारी एवं कराधान विभाग के वैब पोर्टल पर माल की आवाजाही को अर्न्तराज्य नाकों पर ई–घोषणा की सुविधा उपलब्ध है।
2. आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दिनांक 26 नवम्वर 2010 से अपने व्यवहारियों को ई–पैमेंट की सुविधा प्रदान कर दी गई है । अब प्रत्येक व्यवहारी घर बैठे ही अपने कम्पयूटर द्वारा अपने कर का भुगतान कर सकता है । यह सुविधा वेट के लिए एस.बी.आई., पी.एन.बी व यूको बैंकों में उपलब्ध हैं तथा सी.एस.टी. का भुगतान एस.बी.आई. द्वारा किया जा सकता है।
3. इसी कड़ी में स्टेट बैंक आफ पटियाला को जोडने के प्रयत्न जारी है ।
4. कम्पयूटर द्वारा पंजीकरण व रिर्टन फाईल करने की सुविधा भी व्यवहारियो को उपलब्ध करवाई गई है ।
5. आबकारी एवं कराधान विभाग का डाटा सैन्टर मुख्यालय (शिमला) में स्थापित किया गया है ।
6. विभाग के सभी कार्यालयों में इस हेतू अधोसंरचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं सुचारू कर दी गई है।
7. व्यवहारियों की सहायता के लिए डाटा सैन्टर मे 24X7 सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।
8. विभाग द्वारा व्यापारियों की जानकारी के लिए टोल फ्री (निशुल्क) टैलिफोन न0 1800–180–8066 चालू कर दिया गया है ।

2000–2001 के बाद से विभाग की राजस्व प्राप्ति नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाएगीः–

राजस्व प्राप्ति शीर्ष–वार वृद्धि

(` करोड़)

वर्ष	राज्य उत्पाद	बिक्री कर	पी.जी.टी.	ओ.टी.डी.	कुल
2000-01	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-02	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-03	273.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-04	280.30	436.34	33.96	85.00	835.60
2004-05	299.90	542.37	38.32	97.83	978.42
2005-06	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-07	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-08	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-09	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-10	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-11	561.53	2101.10	93.46	284.21	3040.30
2011-12 11/2011 तक	429.68	1709.31	65.42	190.48	2394.89

वस्तु एवम् सेवा शुल्क(जी.एस.टी)

जिस प्रकार प्रत्यक्ष कर प्रणाली में नए टैक्स कोड का समायोजन किया गया उसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में भी वस्तु एवम् सेवा कर को समायोजित कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अगर बिना किसी त्रुटि से वस्तु एवम् सेवा कर का कार्यान्वयन किया जाता है तो भारत को विश्व बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष कर सुधार प्रणाली से विनिर्माण क्षेत्र में पीछे से चले आ रहे पक्षपातपूर्ण रवैये को दूर करने एवम् विनिर्माण उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अभी तक वैट को अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है परन्तु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार होगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2007–08 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि वस्तु एवं सेवा कर अप्रैल,2010 से लागू किया जाएगा एवं राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त कमेटी जोकि वैट का क्रियान्वयन और समन्वय के मुद्दों को भी देख रही है को केंद्र सरकार से विचार–विमर्श करने के उपरान्त वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी सौंपा गया है। सशक्त कमेटी ने मई,2007 को इस कार्य के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया और इस समूह में केन्द्रीय वित्त मंत्री

के आर्थिक सलाहकार और सशक्त समूह के सदस्य सचिव को सह–संयोजक बनाया जाएगा एवं राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव तथा सभी राज्यों के वित्त सचिवों को सदस्य के तौर पर रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तीन उप–समूहों का गठन किया गया जिसमें वस्तु एवं सेवा कर निर्धारण सभी राज्यों के लिए ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करना जिसे कर प्रणाली से बाहर रखना है, केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी) को निरस्त करना, राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार एवं कार्यान्वयन तथा ढांचागत मुद्दों पर सुझाव देना शामिल है। हिमाचल प्रदेश का संबंध दो उप–समूहों से है जिसमें कि कर प्रणाली से बाहर रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची तैयार करना व केन्द्रीय बिक्री कर को निरस्त करने के उपरान्त, कार्य करने वाली विनिमय प्रणाली तैयार करना है।

विवेचनात्मक बिन्दु जिनका संबंध वस्तु एवं सेवा कर के लिए विस्तृत प्रणाली तैयार करना, कर संरचना, वस्तु एवं सेवा कर के एकीकरण करने की रूप–रेखा, सीमाओं का निर्धारण, वस्तुओं की सूची जोकि वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखी जानी है और वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से पहले एक शासन प्रणाली का पूर्व निर्धारण करना आवश्यक है।

वस्तु एवं सेवा कर का प्रशासन का जिम्मा दोनों राज्यों एवं केंद्र सरकार के पास होना अपने आप में विभिन्न शासकीय एवं संगठनात्मक कठिनाईयों को जन्म देना होगा जब तक कि समारूप शासकीय आदेश तैयार नहीं किए जाते। प्रमुख तौर पर वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:–

i) दोनों स्तरों पर सामयिक समन्वय बनाना मुश्किल होगा।

ii) नई एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आई.टी.सी. मुआवजों का सत्यापन एक शासकीय एवं संगठनात्मक प्रणाली की अनुपस्थिति में मुश्किल होगा।

iii) राज्यों में आई.टी.सी.मुआवजों को निपटाने में मुश्किल आएगी क्योंकि अर्न्तराज्य मामलों में अधिकारिता के प्रश्न आड़े आएंगे।

iv) व्यापारियों को राज्य एवं केन्द्र को रिपोर्ट करनी होगी इस दोहरी रिपोर्टिंग की वजह से और एकल नियंत्रण प्राधिकरण की अनुपस्थिति में झगड़े और अदालती मामलों में वृद्वि होगी।

v) हिमाचल प्रदेश सरकार इस दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली का विरोध कर रही है क्योंकि कई मामलों में एक जैसी ही प्रक्रियां अपनाई जाती है जिससे कि दोहरी पंजीकरण, दोहरी अनुपालना प्रतिवेदन, दोहरी रिर्टन का भरना, दोहरा लेखा निरीक्षण जैसे मामले सामने आएंगे।

एक जैसी प्रशासनिक प्रणाली को बनाने एवं कार्य करने में आने वाली मुश्किलों को कम करने ताकि व्यापारी वर्ग वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन को बिना किसी विरोध से स्वीकार कर लें इसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहन विचार आवश्यक है:–

i) व्यापारियों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर के लिए राज्यों में ही पंजीकरण करना पड़ेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया सामान्य बिक्री कर के अंतर्गत अपनाई जाती है। वैट के अंतर्गत व्यापारियों को राज्य वैट वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्र बिक्री कर में पंजीकरण करना पड़ता है। यह व्यापारियों के बोझ को कम करने में सहायक होगा। केंद्र सरकार को भी जिले एवं राज्य स्तर पर स्टॉफ और ढांचागत व्यवस्था नहीं करनी होगी।

ii) व्यापारियों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य में रिर्टन फाईल करने की अनुमति होनी चाहिए और कर का एकत्रीकरण केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत केन्द्रीय आय खाते में जाना चाहिए। व्यापारिक रिर्टन भरने का प्रावधान भी एकल शासकीय प्राधिकरण के पास होना चाहिए जिससे कि इसका नियमन भी अच्छे तरीके से हो।

iii) दोहरी लेखा एवं निरीक्षण करने से केन्द्र एवं राज्यों के संस्थानों के दुरूपयोग होगा। इसके अतिरिक्त कई जटिल समस्याएं खड़ी होंगी। एकल प्रशासनिक प्राधिकरण की अनुपस्थिति में कई झगड़े व अदालती मुद्दे पैदा होंगे।

हमारे संविधान के संघीय ढांचे की एक विशेषता यह भी है कि संसाधनों का एकत्रीकरण करके कल्याणकारी योजनाओं को पोषित किया जाता है एवं राजस्व स्वायतता एवं लचीलापन भी प्रदान किया जाता है। किसी भी कर प्रणाली के सुधार एवं नया स्वरूप देते समय राजस्व की बांट पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। करों एवं सत्ता का एक जगह पर इकट्ठा होना संघीय ढांचे के विरूद्व है। राज्य वैसे सभी निर्णयों का विरोध करता है जोकि संविधान संशोधन के माध्यम से सुनियोजित किए गए हैं और राज्य की राजस्व स्वायतता के आड़े आते हैं।

5. भाव संचलन

क. भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्रमुखता सूची में एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2010 को 146.0 से बढ़कर दिसम्बर,2011 माह में 156.9(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 7.47 प्रतिशत दर्शाता है। माहवार थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2011–12 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैः–

सारणी 5.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 2004–05=100

मास	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	मुद्रा–स्फीति दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	102.7	107.8	114.5	123.5	125.0	138.6	152.1	9.7
मई	102.5	108.7	114.7	124.1	125.9	139.1	152.4	9.6
जून	102.9	109.9	114.8	127.3	126.8	139.8	153.1	9.5
जुलाई	104.0	110.8	115.7	128.6	128.2	141.0	154.2	9.4
अगस्त	104.1	111.5	116.0	128.9	129.6	141.1	154.9	9.8
सितम्बर	104.9	112.2	116.0	128.5	130.3	142.0	156.2	10.0
अक्तूबर	105.4	112.7	116.3	128.7	131.0	142.9	157.0	9.9
नवम्बर	105.5	112.6	116.8	126.9	132.9	143.8	156.9(अ)	9.1
दिसम्बर	104.9	112.2	116.7	124.5	133.4	146.0	156.9(अ)	7.5
जनवरी	105.4	112.4	117.5	124.4	135.2	148.0	...	...
फरवरी	105.6	112.6	119.0	123.3	135.2	148.1	...	...
मार्च	105.7	112.8	121.5	123.5	136.3	149.5	...	...
औसत	**104.5**	**111.4**	**116.6**	**126.0**	**130.8**	**143.3**	**...**	**...**

अ = अस्थाई

5.2 हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,634 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ.आई.वी.आई.एम.एस.(खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली) लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। नवम्बर,2011 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 9.3 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्वि केवल 8.5 प्रतिशत आंकी

गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार 2001=100)

माह	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल	118	126	133	141	158	167	5.7
मई	117	125	132	142	158	169	7.0
जून	120	125	134	144	158	169	7.0
जुलाई	120	126	136	149	163	174	6.7
अगस्त	121	126	137	150	164	174	6.1
सितम्बर	122	127	140	151	165	176	6.7
अक्तूबर	124	127	141	152	165	179	8.5
नवम्बर	124	127	141	155	165	179	8.5
दिसम्बर	124	126	139	156	166	177	6.6
जनवरी	125	127	139	156	168	...	...
फरवरी	124	128	140	156	166	...	...
मार्च	125	130	140	157	165	...	...
औसत	**122**	**127**	**138**	**151**	163	...	**...**

सारणी 5.3

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए

(आधार 2001=100)

माह	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल	120	128	138	150	170	186	9.4
मई	121	129	139	151	172	187	8.7
जून	123	130	140	153	174	189	8.6
जुलाई	124	132	143	160	178	193	8.4
अगस्त	124	133	145	162	178	194	9.0
सितम्बर	125	133	146	163	179	197	10.1
अक्तूबर	127	134	148	165	181	198	9.4
नवम्बर	127	134	148	168	182	199	9.3
दिसम्बर	127	134	147	169	185	197	6.5
जनवरी	127	134	148	172	188	...	...
फरवरी	128	135	148	170	185	...	...
मार्च	127	137	148	170	185	...	...
औसत	**125**	**133**	**145**	**163**	180	...	**...**

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,634 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी तथा मिटटी के तेल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित कराना है । खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है (i) ए.पी.एल. गरीबी रेखा से उपर (ii) बी.पी. एल. गरीबी रेखा से नीचे (iii) अन्त्तोदय (अतिनिर्धन) (iv) अन्नपूर्णा (निःसहाय वृद्धों के लिए) जिन्हें वृद्वा पैंशन नहीं मिलती।

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में 16,31,804 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अंतर्गत 74,53,258 व्यक्तियों को 4,634 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है जिनमें सहकारी सभाओं के अंतर्गत 3,072, पंचायतों द्वारा 38, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 119, व्यक्तिगत 1,401 तथा महिला मण्डल द्वारा 4 उचित मूल्य की दुकाने चलाई जा रही है।

6.3 वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

सारणी 6.1

क.सं.	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2011 तक
1.	गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	1,38,751
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	68,189
3.	गेहूं (बी.पी..एल.)	मी..टन	73,872
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	58,390
5.	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी..टन	36,563
6.	चावल (ए.ए.वाई.)	मी..टन	27,208
7.	चावल अन्पूर्णा	मी..टन	161
8.	दोपहर का भोजन	मी..टन	17,292
9.	लेवी चीनी	मी..टन	43,752
10.	मिट्टी का तेल	कि.ली.	24,711
11.	पैट्रोल	कि.ली.	1,59,388
12.	डीजल	कि.ली.	2,37,574
13.	एल.पी.जी.	संख्या	65,77,792
14.	नमक	मी..टन	11,158
15.	दाल चना	मी..टन	12,347
16.	दाल उड़द	मी..टन	13,525
17.	काला चना	मी..टन	16,966
18.	सरसों का तेल	कि.ली.	12,239
19.	रिंफाईण्ड तेल	कि.ली.	12,446

6.4 प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी,2011 में अनुदानित वस्तुओं के वितरण में कुछ परिवर्तन किया गया है जिसका व्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा हैः–

सारणी 6.2

क.सं	प्रति राशन कार्ड	वितरण मात्रा
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम चनादाल, एक किलोग्राम नमक व केवल एक लीटर रिफाईण्ड तेल।
2.	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम चनादाल, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम काला चना, एक लीटर रिफाईण्ड तेल व एक लीटर सरसों तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम चनादाल, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम काला चना, एक लीटर रिफाईण्ड तेल, एक लीटर सरसों तेल व एक किलो उड़द सावुत दाल। उड़द दाल की कीमत ` 35.00 होगी, अन्य वस्तुओं के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
4	समस्त परिवारों को	पांच किलो चावल `18.00 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम आटा `145.00 प्रति थैली प्रति परिवार को ओ. एम.एस.एस. सूखा राहत के तहत वितरण किया जा रहा है।

सारणी 6.3
जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भण्डारण

क.सं.	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2011 तक
1	2	3	4
1.	गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी..टन	6,530
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी..टन	2,187
3.	गेहूं (बी.पी..एल.)	मी..टन	2,659
4.	चावल (बी.पी.एल.)	मी..टन	1,880
5	गेहूं(ए.ए.वाई.)	मी.टन	2,516
6.	चावल(ए.ए.वाई.)	मी..टन	1,086
7.	चावल अन्नपूर्णा	मी..टन	3
8.	लेवी चीनी	मी..टन	1,716
9.	मिट्टी का तेल	कि.ली.	1,781
10.	एल.पी.जी.	संख्या	1,43,682
11.	स्टीम कोयला	मी..टन	0
12.	नमक	मी..टन	385
13.	दाल चना	मी..टन	336
14.	दाल उड़द	मी..टन	375
15.	काला चना	मी..टन	226
16	खाद्य तेल	कि.ली.	501

6.5 अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रालियम उत्पादन

इस समय प्रदेश में 36 मिट्टी तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 291 पैट्रोल पम्प तथा 123 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

नागरिक आपूर्ति

6.6 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के तौर पर राज्य में कार्यरत है। निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियन्त्रित व अनियन्त्रित खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण का कार्य कर रहा है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मुल्य `792.10 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मुल्य `730.42 करोड़ थी।

वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां को उचित मूल्यों पर 115 थोक भण्डारों, 110 उचित मूल्यों की दुकानों, 52 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 34 दवाईयों की दुकानों की मदद से मुहैया करता रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जोकि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी. आई.शीटस, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों का थोक गोदामों व दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण कर रहा है। इसके साथ–साथ खुले बाजार की कीमतों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर,2011 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ` 25,592.96 लाख का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में मुल्य ` 18,181.46 लाख थी।

निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को संबंधित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक 15,062 मी0 टन चावलों जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 14,939 मी0 टन थे का वितरण किया है।

निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें/ खाद्य तेल/नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक ` 203.29 करोड़ की इन वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में मु0 `193.04 करोड़ थी।

6.7 वर्ष 2011–12 के दौरान निगम का कारोबार ` 1,225.00 करोड़ रहने की संभावना है जो गत वर्ष 2011–12 के दौरान ` 1,187.00 करोड़ था।

नए बिकी केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

जनता की भलाई के लिए निगम ने 2011–12 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों को शुरू/ अनुमोदन किया गया।

क्र सं.	विक्रय केन्द्र का नाम	जिला
1	थोक विक्रय भंडार, चुराग (शीघ्र कार्यान्वित की जाएगी)	मण्डी
2	एल.पी.जी. एजेंसी, चिढगांव	शिमला
3	एल.पी.जी.एजेंसी,बद्दी	सोलन
4	दवाई की दुकान,जुब्बल	शिमला

उपरवर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी निकट भविष्य में कुल्लू में शुरू कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त दवाईयों की दुकाने हि0प्र0 सचिवालय परिसर शिमला व नादौन में खोली जानी प्रस्तावित है।

सरकारी आपूर्ति

6.8 हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाईयों, सीमेंट सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति के लिए प्रापण का प्रबंध कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2011–12 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगीः–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों	` 90.00 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग	` 8.45 करोड
3	जी.आई./डी.आई/ सी. आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग	` 92.43 करोड़

6.9 वित्तीय वर्ष 2011–12 में (दिसम्बर,2011 तक) निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 19,27,149 बैग सीमेंट जिसकी राशि ` 43.37 करोड़ बनती है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की है।

राज्य में जन–जातीय एंव दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.10 निगम लगभग `20.00 करोड़ का निवेश करके वे सभी जरूरी उपभोग वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थ (मिटटी तेल व एल.पी.जी. को मिलाकर) उन सभी जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है जहां पर निजी व्यवसायी कम लाभ के कारण आगे नही आते हैं। वर्ष 2011–12 में जरूरी वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थों की आपूर्ति उन सभी जन–जातीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्रों में सरकार के कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करवाई गई।

7. कृषि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से ही रोजगार उपलब्ध होता है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 16 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है । प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.04 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2005–06 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.03 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 12.54 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.43 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.36 (68.17%)	2.58 (26.65%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.76 (18.86%)	2.45 (25.31%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.88 (9.43%)	2.40 (24.79%)	2.73
4.0–10.0	मध्यम	0.29 (3.11%)	1.65 (17.05%)	5.69
10.0 व अधिक	बड़े	0.04 (0.43%)	0.60 (6.20%)	15.00
जोड़		**9.33**	**9.68**	**1.04**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती

है। राज्य में औसतन 1,435 मी.मी. वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2011

7.5 कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में किन्नौर तथा कुल्लू में अत्याधिक बिलासपुर, चम्बा, हमीरपरु, कांगड़ा,मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा उना जिलों में सामान्य तथा सोलन में कम और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में 8 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा
(जून–सितम्बर 2011)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता/कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	851	897	- 46	- 5
चम्बा	737	876	-139	-16
हमीरपुर	1112	1091	21	2
कांगड़ा	1552	1564	- 12	-1
किन्नौर	237	182	55	30
कुल्लु	710	568	142	25
लाहौल–स्पिति	176	452	- 276	-61
मण्ड़ी	1097	1136	-39	-3
शिमला	666	716	-50	-7
सिरमौर	1467	1397	70	5
सोलन	765	1034	- 269	-26
उना	990	832	158	19

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
(1.10.2011 से 31.12.2011)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता/कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	18	70	-52	-75
चम्बा	36	127	-91	-72
हमीरपुर	19	86	-67	-78
कांगड़ा	32	105	-73	-70
किन्नौर	7	102	-95	-94
कुल्लु	32	98	-66	-67
लाहौल–स्पिति	18	144	-126	-88
मण्ड़ी	20	81	-61	-76
शिमला	13	75	-62	-82
सिरमौर	21	87	-66	-76
सोलन	19	89	-70	-78
उना	27	72	-45	-62

टिप्पणीः

सामान्य –19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक –20 प्रतिशत से अधिक
न्यून –20 प्रतिशत से –59 प्रति शत
अपर्याप्त –60 प्रतिशत से –99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2010–11

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2010–11 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 16 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2010–11 कृषि के लिए सामान्य

अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2009–10 के 11.11 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2010–11 में 14.94 लाख मीट्रिक टन रहने की संभावना है। वर्ष 2009–10 के 1.84 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2010–11 में आलू उत्पादन 2.06 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2009–10 के 12.06 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2010–11 में 12.69 लाख मीट्रिक टन हुआ।

2011–12 के अनुमान

7.7 वर्ष 2011–12 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 15.59 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2011 में उत्पादन लक्ष्य जोकि 9.59 लाख मी.टन के विपरीत 8.18 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में शुरू होती है। बीजाई के समय वर्षा कम होने से भूमि में पर्याप्त नमी न होने की वजह से रवी फसलों की बीजाई कुछ हद तक प्रभावित हुई है। जनवरी 2012 के प्रथम तथा द्वितीय सप्ताह में कुछ वर्षा तो हुई परन्तु यह न तो पर्याप्त और न ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में थी जिसके कारण 2011–12 का उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। राज्य में वर्ष 2008–09, 2009–10 व 2010–11 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन तथा वर्ष 2011–12 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2012–13 के लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैः–

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन

('000 टनों में)

फसले	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (अनुमानित उपलब्धियां)	2012–13 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
चावल	118.28	105.90	128.92	106.32	131.00
मक्की	676.64	543.19	670.90	694.49	735.00
रागी	2.44	2.21	2.11	2.80	3.00
अनाज	4.29	1.85	3.28	3.31	5.50
गेंहू	381.18	414.41	614.89	690.00	628.50
जौं	20.45	22.94	32.17	41.00	36.00
चना	0.29	0.37	0.60	4.50	2.50
दालें	23.22	20.29	40.99	16.12	18.50
कुल खाद्यान्न	**1226.79**	**1111.16**	**1493.86**	**1558.54**	**1560.00**
2.वाण्ज्यिक फसलें					
आलू	103.63	184.43	205.97	180.00	185.00
सब्जियां	1090.33	1206.24	1268.90	1300.00	1350.00
अदरक (शुष्क)	1.88	3.12	1.56	7.00	4.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्वेश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2010–11 में 795.18 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जोकि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
1	2	3	4
2006–07	806.10	1476.47	1.83
2007–08	811.98	1440.66	1.77
2008–09	789.01	1399.56	1.77
2009–10	784.02	1111.16	1.41
2010–11	795.18	1493.87	1.87
2011–12(अनुमानित उपलब्धि)	791.70	1558.54	1.96
2012–13(लक्ष्य)	797.50	1560.00	1.96

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2012–13 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
1	2	3	4
2006–07	280.61	72.65	349.60
2007–08	280.31	73.51	332.09
2008–09	280.51	74.61	325.22
2009–10	296.50	76.00	328.00
2010–11	278.65	75.20	327.00
2011–12(संभावित)	280.00	77.16	330.00
2012–13(लक्ष्य)	285.00	76.00	340.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 25 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 आलू विकास केन्द्र, 3 सब्जी विकास केन्द्र, तथा 2 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्वेश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
1	2	3
2005–06	400.00	134
2006–07	450.00	134
2007–08	440.00	135
2008–09	435.00	135
2009–10	442.00	169
2010–11	438.00	141
2011–12(संभावित)	380.00	110
2012–13(लक्ष्य)	340.00	108

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 2011–12 के अंत तक सभी योग्य किसानों को स्वास्थ्य मिट्टी कार्ड प्रदान किए जाएंगें जिससे किसानों को अपने खेतों की मिटटी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने मिटटी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/ गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्ध तरीके के साथ उन्नत हो रही है। वर्ष 2011–12 के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान (10x6x1.5फीट वर्मी पिट तैयार करने के लिए `250 तथा 2 किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज (50 प्रतिशत) के लिए अनुदान पर) `3,750 दिए जाते हैं। इस वित वर्ष के अंत तक 34,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों की सामुहिक उपयोगिता को मध्यनजर सुलभ आई.एस.आई.एच.डी.पी.ई. वर्मी वैड भी वर्मी खाद तैयार करने के लिए प्रचारित किए जा रहे हैं। किसानों को 50 प्रतिशत (`3,750 /–) प्रति पोर्टेवल वैड अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 7,500 ईकाईयां स्थापित की जा रही हैं।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2011 तक राज्य में 43,373 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग

90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2010–11 में राज्य में 300 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 300 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2011–12 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2011 तक 182 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। वर्ष 2012–13 के दौरान 300 बायोगैस संयंत्र लगाने प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश मे उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 55,133 टन हो गया। सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की हिमफेड के भण्डार गृहों से विक्रय केन्द्रों तक ढुलाई के लिए 100 प्रतिशत उपदान देती है। राज्य सरकार, कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर `200 प्रति मीट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12:32:16, 10:26:26 डी.ए.पी. के अनुपात व मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 15:15:15 के अनुपात पर `500 प्रति मीट्रिक टन उपदान देती है। उर्वरक उपभोग निम्न सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.8
उर्वरक उपभोग

(मी. टन)

वर्ष	नाईट्रोजिनियस (एन.)	फोसफेटिक (पी.)	पोटास (के.)	कुल (एन. पी. के.)
1	2	3	4	5
2006–07	30794	10225	7962	48981
2007–08	32338	8908	8708	49954
2008–09	35462	10703	11198	57363
2009–10	31319	10901	11018	53239
2010–11	32594	10728	11811	55133
2011–12(संभावित)	35100	8700	6200	50000
2012–13(लक्ष्य)	31500	9400	9100	50000

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जोकि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों मे जोकि बीमा योजना के अंतर्गत

आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्वेश्य है। राज्य स्तरीय बैकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान केडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,510 से भी अधिक बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2011 तक 4,30,316 किसान केडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान केडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर,2011 तक ` 1,537.29 करोड़ के ऋण दिए हैं। किसान केडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में दर्शाई गई है।

सारणी 7.9
किसान केडिट कार्ड की प्रगति

क. सं.	बैंक	सितम्बर, 2011 तक जारी (`करोड़)	सितम्बर,2011 तक किसान केडिट कार्ड जारी किए गए
1	2	3	4
1	वाणिज्यिक बैंक	978.96	1,47,508
2	कोओपरेटिव बैंक	520.61	2,08,695
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18.25	73,786
4	अन्य प्राईवेट बैंक	19.47	327
	कुल	**1537.29**	**4,30,316**

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रवी पर अनुदान 10 से 50 प्रतिशत तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि वीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है। रवी फसल 2011–12 के दौरान यह योजना प्रगति पर है। सभी बैंक शाखाओं द्वारा 31 मार्च,2012 तक ऋणी किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव मान्य होगें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा व उना में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) का वर्ष 2011–12 में प्रबंध किया गया है।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के

लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्वेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मार्किट अधिनियम को आदर्श अधिनियम में दर्ज किया गया जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड बिना किसी योजना सहायता के स्वयं अपनी निधि से सभी कार्यकलापों को चला रही है।

चाय विकास

7.20 चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15.00 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शन और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है।

कृषि विकास के लिए सूक्ष्म प्रबन्धन दृष्टिकोणः–

7.22 विगत में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समरूप से संगठित किया गया था और बहुत से मामलों में स्थिति प्रदेश की स्थिति के अनुकूल नहीं थी। राज्य सरकार ने इन मुश्किलातों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में

कुछ लचीलापन लाने हेतू त्वरित कृषि विकास में नए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतू

भारत सरकार के समक्ष रखा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राज्य सरकार ने जो कार्य योजना प्रस्तुत की उस के हिसाब से राज्य को वर्ष 2000–01 तक 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत ऋण) रूप में मिलेगें तथा 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य योजना का होगा। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता अनाज की फसलों की बेहतरी, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पानी के संग्रहण के टैंकों का निर्माण, बेमौसमी सब्जियों के विकास, मसाले, उच्च गुणवता वाले बीजों का उन्नयन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन एवं सीधे तौर पर कृषि से जुडी महिलाओं के बीच सामान्जस्य स्थापित करने को दी जाएगी।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 वर्ष 2011–12 के दौरान 511 व्यक्तिगत टैंक सिंचाई योजनाएं, 60 जल हारवैस्टिंग योजनाएं कार्यान्वित की जाएगी। इसके अतिरिक्त `4.00 करोड़ की अनुमानित राशि से 40 वाटरशैड विकास योजनाएं जिनके अंतर्गत 3,300 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं से भू एवं जल संरक्षण तथा फार्म स्तर में रोजगार अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

पंडित दीन–दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना

7.24 ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक व जल्दी विकास सहित कृषि क्षेत्र में बजट आश्वासन व चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने के लिए कृषि विभाग ने नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्वेश्य अधिक पैदावार और क्षेत्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ.–XIV के आधार पर `154.92 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसे इस वित्तीय वर्ष 2008–09 से शुरू करके चार वर्षों में लागू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.–XIV के अर्न्तगत `198.09 करोड़ स्वीकृत किए। यह परियोजना 2008–09 से आगामी चार वर्षों में लागू की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत 17,312 स्पिंकलर/ ड्रीप सिंचाई स्कीमें स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 16,020 पानी स्त्रोतों जिसमें पानी के टैंक, उथले कुओं व टयूबैलों को गहरा करने, गहरे कुओं, छोटे व मध्यम उठाउ पम्प सैटों का वास्तविक आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाएगा। किसानों को कुल लागत का 80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत लाभार्थी को वहन करना होगा। लगभग 10.15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र पोली गृह खेती तथा 8,900 हैक्टेयर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत लाया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। ग्यारवीं योजना के दौरान आर.के.वी.वाई. 4 प्रतिशत की विकास

दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैंः–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनिश्चित करना।
5. सरकार द्वारा हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के फासले को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण प्राप्ति होना।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न अवयवों को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए वर्ष 2011–12 में `100 करोड़ की राशि प्रदान की है जिसमें बागवानी, पशु–पालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है।

उद्यान

7.26 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाउ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा उष्ण कटीबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान्न उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

7.27 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है । वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2010–11 में 2,11,295 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 10.28 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक कुल फल उत्पादन 3.29 लाख टन आंका गया है। 2011–12 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2011 तक 4,328 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 10.48 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.28 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 87 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2010–11 में 1,01,485 हैक्टेयर हो गया।

7.29 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2010–11 में 27,063 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2010–11 में 11,022 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोषण देशीय

फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2010–11 में क्रमशः 22,305 हैक्टेयर तथा 49,420 हैक्टेयर हो गया। अन्य फलों के उत्पादन में पिछलें वर्षों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया ।

7.30 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.31 फलो–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा लीची विकास कार्यक्रम, स्ट्राबेरी कार्यक्रम, औषधीय एवं सुगन्धित पौध कार्यक्रम एवं छोटी अवधि के अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

7.32 हाल ही में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की खेती के लिए कृषि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2011 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में दर्शाए गए है।

सारणी 7.10
फल उत्पादन

(हजार टन)

मद	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (31दिसम्बर 2011 तक)
1	2	3	4	5
सेब	510.16	280.11	892.11	275.03
अन्य समशीतोष्ण फल	39.93	37.08	61.38	22.71
सूखे मेवे	3.55	2.81	3.62	1.82
नीबू प्रजाति	26.01	28.14	28.68	2.35
अन्य उपोष्णीय फल	48.43	34.10	42.03	27.05
कुल	**628.08**	**382.24**	**1027.82**	**328.96**

7.33 फल उत्पादकों को उनके फलों को पैक करने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाए गए है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रगतिनगर जिला शिमला में स्थापित कार्टन फैक्टरी को लीज पर दे दिया जाए तथा यह भी निर्णय लिया गया कि एच.पी.एम.सी., ए.आई.सी., हिमफैड़ और किनफैड (केवल किन्नौर जिला के लिए) बागवानों को प्रेषण (कन्साइनमैंट) के आधार पर बिना किसी उपदान के कार्टन की आपूर्ति करेगें। इसके अतिरिक्त फल उत्पादक अपने स्तर पर भी राज्य तथा राज्य से बाहर से भी कार्टन इत्यादि खरीदते हैं। पापुलर, युकोलेपटस के वृक्षों के लगभग 1.24 लाख बक्से भी उत्पादकों द्वारा राज्य से बाहर से लाए गए।

7.34 बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 501 हैक्टेयर क्षेत्र को फूलों की खेती के अंतर्गत 31.12.2011 तक लाया गया। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय मशरूम विकास परियोजनाओं में 363.00 मीट्रिक टन पास्चूराईजड़ खाद तैयार कर मशरूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 3,653.27 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 31 दिसम्बर,2011 तक 1,600 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 296.22 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.35 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेब उत्पादक छः विकास खण्डों व आम उत्पादक चार विकास खण्डों में रवी 2009–10 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। रबी 2010–11 में 15 सेब उत्पादक 9 आम उत्पादक खण्डों में इस योजना को बढ़ाया गया जिसमें 14,037 सेब उत्पादक ऋणी व गैर ऋणी किसानों ने अपने 13,86,503 सेब पौधों व 283 आम उत्पादक किसानों ने अपने 20,379 विभिन्न आयु वर्ग के पौधों का बीमा करवाया। इस योजना की सफलता को देखते हुए इस योजना को 17 सेब उत्पादक विकास खण्डों जिसमें शिमला जिला के ठियोग, नारकण्डा, जुब्बल, रोहड़ू, चौपाल, चिड़गांव, रामपुर, ननखड़ी मण्डी जिला के करसोग, जंजैहली, कुल्लू जिला के आनी, बन्जार, नग्गर, निरमण्ड किन्नौर जिला का निचार तथा चम्बा जिला के तीसा, सलूणी इस योजना में शामिल किए गए हैं। |0 आम उत्पादक विकास खण्ड जिसमें कांगड़ा जिले के इन्दौरा, नूरपुर, नगरोटा सूरियां, फतेहपुर, हमीरपुर जिला के हमीरपुर, नादौन, बमसन बिलासपुर जिला का सदर विकास खण्ड, उना जिला का अम्ब तथा सिरमौर जिला का पांवटा साहिब विकास खण्ड इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इस बीमा योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरैंस कम्पनी ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई–लोम्वार्ड तथा एच.डी.एफ.सी.ई.–आर.जी.ओ. द्वारा किया जाएगा। मौसम आधारित बीमा योजना में देय प्रीमियम की कुल बीमित राशि का 11.5 प्रतिशत प्रति वृक्ष की दर से वसूल किया जाएगा। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम को कृषक, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। वर्ष 2010–11 से भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिए जाने वाले प्रीमियम को सेवा कर का 10.30 प्रतिशत से मुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2010–11 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत ` 8.07 करोड़ की राशि क्लैम के रूप में किसानों को बांटी जानी है।

7.36 फलोद्यान के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग लाने हेतु प्रदेश में `115.50 करोड़ की वित्तीय सहायता से उद्यान विकास के लिए उद्यान तकनीकी मिशन को शुरू किया गया ताकि उत्पादन, उत्पादनोपरान्त प्रबन्धन, उपभोग और उद्यान विकास हेतु निर्मित निवेश सरंचना से अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धी और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक उत्पाद मूल्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर पर्यावरण गहनता का विकास आर्थिक रूप से कुशल रोजगार का वांछित विभाजन, पौधारोपण का विकास और पारम्परिक बुद्धिमता तथा तकनीकी ज्ञान का

नवीनतम तकनीकी व ज्ञान जैसे जैव प्रौद्यौगिकी, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा अकाशीय तकनीकी का समिश्रण की तरफ पर्याप्त व समयानुसार और निरन्तर ध्यान दिया जा सके तथा उन कार्यक्रमों के चतुर्मुखी व व्यापक तालमेल से उद्यान क्षेत्र का विकास किया जा सके। इस परियोजना के अर्न्तगत् वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार द्वारा उद्यान तकनीकी मिशन योजना के अंतर्गत `35.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी `10 करोड़ की प्रथम किस्त अगस्त,2011 तथा `15 करोड़ की दूसरी किस्त नवम्बर,2011 में प्राप्त हो चुकी है तथा `10 करोड़ की तीसरी किस्त मिलनी आपेक्षित है।

एच.पी.एम.सी.

7.37 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्वेश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.38 वर्ष 2011–12 में 31 दिसम्बर,2011 तक एच.पी.एम.सी. ने `1,188.73 लाख के अपने संयंत्रों में तैयार उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने केवल 3,745.86 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की जिसे एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किया जिसमें से 339 मीट्रिक टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। कार्पोरेशन इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 15 जनवरी,2012 तक 64.97 मी.टन नींबु प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रंसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को इंडियन एयरलाईन, रेलवे, उत्तरी कमान हैडक्वाटर उधमपुर, मै. पारले रिटेल आउटलेट तथा एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। 31.12.2011 तक एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए ` 1,188.73 लाख के उत्पाद भेजे हैं। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31.12.2011 तक मु0 ` 343.59 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31.12.2011 तक ` 723.19 लाख के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 5 शीतल भण्डार गृहों से ` 315.83 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। एच.पी.एम.सी. के रिकांग पिओ, जड़ोल–टिक्कर, गुम्मा, ओड़ी तथा पतलीकूहल स्थित सेब पैंकिग गृहों के नवीनीकरण हेतु भारत सरकार के ए.पी.ई.डी.ए. से शत प्रतिशत सहायता के रूप में ` 667.60 लाख प्राप्त हुए। इसी प्रकार सब्जी उत्पादकों की सुविधा हेतु जिला हमीरपुर के नादौन में पहला आधुनिक सब्जी पैंकिग गृह स्थापित करने के लिए ए.पी.ई.डी.ए. से शत प्रतिशत सहायता के रूप में ` 353.42 लाख प्राप्त हुए।

7.39 एच.पी.एम.सी. को भारत सरकार की ए.पी.ई.डी.ए. से 2 सी.ए. स्टोर शिमला जिला के गुम्मा तथा जरोल टिक्टर के लिए शत प्रतिशत सहायता के रूप में ` 1,038.00 लाख प्राप्त हुए है जिसकी कमीशानिंग प्रक्रिया जारी है। टी.बी.ए.–9 टेटरा पैक फीलिंग मशीन को टी.बी.ए.–19 में बदलने हेतु भारत सरकार की ए.पी.ई.डी.ए. से शत प्रतिशत सहायता के रूप में ` 353.00 लाख प्राप्त हुए जोकि एच.पी.एम.सी. परवाणू संयंत्र में व्यवस्थापित की जाएगी जिससे टेटरा पैंक मशीन की कार्यक्षमता में बढ़ौतरी होगी।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे में घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष प्रदान करते हैं जोकि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2010–11 में 11.02 लाख टन दूध, 1,642 टन उन, 102.70 मिलियन अंडे, 3,610 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2011–12 में क्रमशः 11.07 लाख टन दूध, 1,675 टन उन, 109.00 मिलियन अंडे तथा 3,630 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1
उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
1	2	3
2010–11	11.02	441
2011–12	11.07	445

8.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा तथा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।
(viii) अन्य योजनएं

8.4 वर्ष 31.12.2011 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 281 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,763 पशु औषधालय एवम् 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं तथा पशुओं के आवागमन पर नज़र रखते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत 203 पशु औषधालय खोले गए हैं। 809 पशु औषधालयों को वर्ष 2011–12 में खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

8.5 राज्य में भेड़ व उन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा) नगवाई मण्डी, ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। वर्ष 2010–11 में इन फार्मों में 2,128 भेड़े पाली गई और

272 नर मेंढ़े भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 भेड़ व उन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान 16.75 लाख किलोग्राम उन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जोकि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2010–11 में 7.27 लाख गायों के व 1.89 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2011–12 के लिए 8.00 लाख गायों और 2.00 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2010–11 में 1.19 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल. एन.2 गैस उत्पादित की गई और 2011–12 में 1.50 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2010–11 में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 1,999 पशु संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2011–12 में 1,999 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 6.50 लाख गायें व 1.50 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। कॉस ब्रीड गायों को पालने की वरीयता दी जाती है क्योंकि (सकंरित) गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

8.7 पशु–पालन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में अठारहवीं पशु गणना करवाई गई और इसके आंकड़ों को राज्य के मुख्यालय में अंतिम रूप दिया गया है। पशु गणना के आंकड़ों का सॉफ्टवेयर मोडयूल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 3.00 लाख चूजों का वितरण हैच प्रजनन होने की संभावना है तथा 500 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित परिवारों के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित परिवारों के लिए 200 चूजे अनुदान पर बांटे जाते हैं। वर्ष 2010–11 में 350 ईकाईयां स्थापित की गई व

2011–12 में 350 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2010–11 में इस प्रक्षेत्र में 61 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी स्थल पर याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2010–11 में 55 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.45 लाख चारा पौंधों का वितरण तथा 1.80 लाख किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

दूध गंगा योजना

8.8

दुध गंगा योजना प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- अधिकतम 10 दुधारू पशु खरीदने के लिए ` 5 लाख का ऋण जिसमें लाभार्थी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल होगा गौशाला निर्माण हेतु दिया जाएगा।
- दूध निकालने की मशीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतू `18 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है ।
- दूध के देशी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतू `24 लाख तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.3 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा ।
- इन सभी प्रकार के ऋणों में 10 प्रतिशत राशि का भुगतान व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा व 90 प्रतिशत राशि का भुगतान नाबार्ड व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदा किया जाएगा ।

पशुधन बीमा योजना

8.9

- यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में सन् 2006 में शुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर , शिमला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्धेश्य पशुधन मालिकों को उच्च किस्म के पशु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों का इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 6.50 प्रतिशत रखा जाता है जिसका 50 प्रतिशत सरकार व 50 प्रतिशत भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना

8.10

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य पशु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए शत–प्रतिशत प्राप्ति के लिए ` 12.75 करोड़ राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य

को `11.24 करोड़ राशि स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का उद्धेश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना ।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना ।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना ।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना ।
5. कम्पयूटरीकरण ।

कुक्कट क्षेत्र में केन्द्रीय संचालित स्कीमें

8.11 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार निम्न योजनाएं चला रही है :–

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन :–

- आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जोकि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं ।
- एक यूनिट 50 से 100 चूजे होते हैं, एक चूजे की कीमत ` 20 होती है।
- ये चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में खोले जाते हैं जोकि केन्द्रीय संचालित स्कीम राज्य को कुक्कट पालन सहायता के अन्तर्गत है ।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.12 पड़ौसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्कार्ड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है । जिसमें 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है ।

जिन रोगों के लिए मुफत टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं ।

भेड़पालक समृद्धि योजना

8.13

- इस योजना के अन्तर्गत भेड़/बकरी पालकों को 40 भेड़ बकरी तथा दो नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू `1.00 लाख का ऋण जिसमें से `33,000 अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। भेड़–बकरी पालक का भागधन (Marginal Money) इस योजना में `10,000 होगा।
- भेड़ बकरी प्रजनन इकाई हेतू 500 भेड़/बकरी तथा 25 नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू ` 25.00 लाख का ऋण जिसमें से ` 8.33 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे। भेड़ बकरी पालक का

भागधन इस योजना में `6.25 लाख होगा ।

- खरगोश पालकों को अंगोरा इकाई स्थापित करने हेतू ` 2.25 लाख के ऋण पर ` 75 हजार का अनुदान उपलब्ध होगा।
- योजना के प्रथम चरण में जिला चम्बा, कांगड़ा व मण्डी के भेड़ बकरी पालकों तथा जिला शिमला व कुल्लू के खरगोश पालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदान किए जाने वाले ऋण को 9 वर्षों की अवधि में आसान किश्तों में वापिस किया जाना है जिसमें पहले दो वर्षों में कोई किश्त देय नहीं होगी ।

भेड़पालक बीमा योजना

8.14 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रीमियम ` 330 प्रति वर्ष पशुपालक से लिया जाएगा जिसका `100:150:80 के अनुसार में जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया का होगा ।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ` 60,000/–
- दुर्घटना से मृत्यु `1,50,000/–
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता `1,50,000/–
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता `1,50,000/– एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता `75,000/–

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुफ्त लाभ जिसे एड ओन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए `1,200 प्रतिमाह वजीफा मिलता है ।

8.15 मनरेगा के सौजन्य से चारा विकास प्रदेश में चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मनरेगा योजना के अधीन चारा उत्पादन, संरक्षण और प्रबन्धन हेतू एक विस्तृत परियोजना राशि ` 59.06 करोड़ को हिमाचल प्रदेश के समस्त जलवायु मंडल के तहत तैयार की जा चुकी है। इस परियोजना में नर्सरियों की संख्या बढाना, प्रदर्शन यूनिट और लाभार्थी यूनिट प्रस्तावित है। वर्ष 2011–12 में जिला मण्डी, कांगडा और हमीरपुर में 1,000 लाभार्थी यूनिट, 3 चारा प्लांट, 1 घास नर्सरी और एक प्रदर्शन युनिट स्थापित करने हेतू ` 8.00 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

- आहार व चारा विकास योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत उपदान पर घास काटने की मशीन (चॉफ कटर) प्रदान करने का प्रावधान।
- इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए `517.50 लाख की राशि स्वीकृत हुई है जिसमें से

वित्तीय वर्ष 2011–12 में `258.75 लाख की राशि 75 प्रतिशत उपदान पर प्रदान करने हेतू जारी की गई।

दूध पर आधारित उद्योग

8.16 हिमाचल प्रदेश दुग्ध फैडरेशन राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध फैडरेशन में 759 समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 34,909 है जिसमें 125 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध फैडरेशन इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध फैडरेशन 21 दुग्ध अभ्शितल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 70,000 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 65,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध फैडरेशन प्रतिदिन लगभग 35,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, चण्डीगढ़ एवं सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" इसके अतिरिक्त हिमफैड–दूध को मॉडल डेरी करनाल भेज रही है। दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है।

8.17 हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.10.2011 से दुग्ध के मूल्य में ` 1.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 34,909 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने ` 34.00 करोड़ 2010–11 और 2011–12 में लगभग ` 35 से `36 करोड़ राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतू उत्पादकों को दिए जाएंगे।

विकासात्मक प्रयत्न

8.18 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध प्रसंघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- सोलन जिले के नालागढ़ में एक नया दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है लगाया जा चुका है जोकि जुलाई/अगस्त 2012 में कार्य करना आरम्भ कर देगा।
- जिला हमीरपुर के जंगलबैरी में एक नए दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है लगाया जा चुका है जोकि जुलाई/अगस्त 2012 में कार्य करना आरम्भ कर देगा।
- एकीकृत डेरी विकास परियोजना (आई.डी.डी.पी) के अंतर्गत रामपुर जिला शिमला में एक नया दुग्ध विधायन

संयंत्र जिसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन है ` 300 लाख की लागत से स्थापित किया जा रहा है। जोकि फरवरी–मार्च,2012 में कार्य करना आरम्भ कर देगा तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र के दतनगर में `290.00 लाख की लागत से 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लॉट भी लगाया जा रहा है।

- जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर चौतड़ा में एक नया 2,000 लीटर की क्षमता व मण्डी के सिराज ब्लॉक के अन्तर्गत 5,000 लीटर की क्षमता का दुग्ध अभिशीतन केन्द्र स्थापित किए गए है जो जुलाई 2012 तक कार्य करना आरम्भ कर देगें।
- जिला हमीरपुर, भौरन्ज के समीप एक नया पशु आहार का प्लान्ट ` 70.00 लाख की लागत से लगाया जा रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2012 तक कार्य पुरा हो जाएगा।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग 2,000 लोगों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

नया नवीकरण

8.19 कल्याण विभाग के आई.सी. डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2010–11 में 21,151.71 क्विंटल और 2011–12 में 22,103 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इन

खण्डों को वर्ष 2010–11 में 3,643.16 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर कल्याण विभाग के ब्लॉक्स को दिया है और 5,700.29 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर आई.पी.डी.एस. ब्लॉकों को दिया जाएगा।

- वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।
- भारत सरकार से आई.डी.डी.पी–(iii) के अन्तर्गत मूल्य ` 867.00 लाख की एक परियोजना हमीरपुर, किन्नौर व सोलन जिलों के लिए स्वीकृत हुई है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने भारत सरकार को बिलासपुर जिले के लिए मूल्य ` 295.00 लाख की एक परियोजना स्वीकृति हेतु भेजी है।
- अन्य परियोजना स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम जोकि सिरमौर, शिमला तथा मण्डी जिलों के लिए है के लिए भी ` 451.13 लाख की राशि की परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है।

- हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड अपने परचून बिक्री केन्द्र भोरंज जिला हमीरपुर में खोलने के लिए सफल रहा है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 315 क्विंटल मिठाईयों का कारोबार किया है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क. सं	विवरण	2010–11	2011–12 30–11–11 तक
1	2	3	
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	740	759
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	34586	34909
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	225.49	184.98
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	88.50	65.86
5	घी की बिक्री (मि0 टन)	255.67	172.38
6	पनीर की बिक्री(मि0 टन)	41.82	20.00
7	मक्खन की बिक्री(मि0 टन)	18.69	13.40
8	मीठे दूध की 200 एम.एल. की बोतले(लाखों में)	0.05	0.001
9	दही की बिक्री(मि0 टन)	136.62	124.06
10	पशु आहार बिक्री(किवंटलों में)	35216	27021

8.20 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाई है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह निश्चित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 75 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 70 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

उन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ समिति

8.21 उन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में उनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा उन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है।

उन संघ अपने उपरोक्त उद्वेश्यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा उन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर मशीन शियरिंग, भेड़ उन की धुलाई (स्कावरिंग), और उन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कल्पन आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है।

वर्ष 2011–12 में 31.12.2011 तक 1,057.00 क्विंटल भेड़ उन तथा अंगोरा उन की खरीद की गई है जिसका मूल्य `52.28 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। उन उत्पादकों / स्थानीय दस्तकार/बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संघ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वूलन एकस्पो का भी आयोजन करता है। उन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन उनी बाजार में किया जा रहा है।

उन संघ का वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार से है:–

क. सं.	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित व्यय– `लाख में
1	भेड़ उन खरीद–215000 कि.ग्रा.	`97.00
2	अंगोरा उन खरीद–500 कि.ग्रा.	`03.00
3	भेड़ कल्पन–65,000	–
4	डन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग – 55000 कि.ग्राम	–

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.22 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया है जोकि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारामासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महात्वकांक्षी "इन्डो–नार्वेजन ट्राउट फार्मिग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के दो बडे जलाश्य गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 4,000 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाश्यों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर,2011 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में 4,986 मीट्रिक टन मच्छली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ` 3,127 लाख है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2011 तक 621 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ` 470.00 लाख आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाश्य को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2011 तक राज्य में फार्मों से 12.40 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ` 59.24 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.3
टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (`लाख में)
1	2	3
2007–08	14.98	67.96
2008–09	14.00	69.11
2009–10	15.20	74.67
2010–11	19.07	89.26
2011–12 (दिसम्बर,11 तक)	12.40	59.24

8.23 मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जलाश्यों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2010–11 में 224.25 लाख था तथा 2011–12 में 123.81 लाख फार्म बीज का उत्पादन दिसम्बर,11 तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना"

`94.58 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जोकि निम्न हैं:–

फैकंया जाल हेतु	` 4.00 लाख
गिल जाल हेतु	` 50.58 लाख
मत्स्य बीज संग्रहण	` 5.00 लाख
तालाबों के निर्माण एवं सुधार	`16.00 लाख
ट्राउट रेसवेज का निर्माण	` 5.00 लाख
सामुदायिक तालाबों के निर्माण	`14.00 लाख
कुल	**` 94.58 लाख**

8.24 विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को `1,00,000 तथा अपंगता की स्थिति में `50,000 बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतू अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतू विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

क्र. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	**2**	**3**
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना	1 लाख (मृत्यु उपरांत) 0.50 लाख (अपंगता पर)
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	1,200 (दो किश्तों में)

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 455 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाश्य मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाश्य के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

8.25 विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर,2011 तक प्राप्त उपलब्धियों, माह मार्च,2012 तक प्रस्तावित एवं वर्ष 2012–13 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:

विवरण	दिसम्बर,2011 तक की उपलब्धियां	मार्च,2012 तक की सम्भावित उपलब्धियां	सम्भावित निर्धारित लक्ष्य 2012–13
मत्स्य उत्पादन (टन)	4986.00	7400.00	7500.00
कार्प बीज उत्पादन (मिलियन)	123.81	220.00	220.00
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन)	12.40	17.00	15.50
खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	30.75	75.00	75.00
रोजगार सृजन (संख्या)	455	475	500
विभागीय राजस्व (लाखों में)	143.25	175.00	175.00

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.5 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्धेश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज सांझी वन योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आतें हैं दिसम्बर,2011 तक ` 1,416.00 लाख की लागत से 5,552 हैक्टेयर क्षेत्र इस वन योजना के अंतर्गत लाया गया और 31.3.2012 तक इस कार्य हेतू ` 118.00 लाख व्यय किए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान सांझा वन संजीवनी वन के तहत 32.50 लाख औषधीय पौधे लगाए गए तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना के अन्तर्गत् 45 लाख औषधीय पौधों के पौधरोपण का लक्ष्य रखा है।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, इस योजना का मुख्य उद्वेश्य आखेट स्थलों एवं राष्ट्रीय पार्को मे सुधार लाना है ताकि विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्ष 2011–12 में ` 375.00 लाख दिए गए जिसमें से दिसम्बर,2011 तक ` 278.12 लाख व्यय किए जा चुके हैं और शेष धनराशि 31.3.2012 तक व्यय की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए `445.00 लाख (राज्य योजना) का प्रावधान प्रस्तावित हैं जिसमें `56.00 लाख जन–जातीय उप–योजना के अंतर्गत भी शामिल है।

वन सुरक्षा

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है । इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकें तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इसके लिए वर्ष 2011–12 के लिए ` 44.00 लाख दिए गए हैं जिसमें से दिसम्बर,2011 तक ` 9.45 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा बकाया राशि 31.3.2012 तक व्यय की जानी अपेक्षित हैं। वर्ष 2012–13 के लिए `48. 00 लाख प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त

वर्ष के दौरान 11 वन थाना पूर्ण रूप से स्थापित हो गए हैं तथा 6 वन थाने संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की योजना है।

स्वान नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना– (सी.ए.टी.– I)

9.5 स्वान नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना जापान सरकार की सहायता से *ODA Loan Package* के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की लागत 85 प्रतिशत लोन तथा 15 प्रतिशत राज्य हिस्सा के रूप में निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान ` 3,500.00 लाख निर्धारित की गई थी जिसमें से माह दिसम्बर,2011 तक ` 2,186.00 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा बकाया राशि 31.3.2012 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ` 3,500.00 लाख की राशि प्रस्तावित है।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 मध्य हिमालय वाटर शैड परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई यह योजना 6 वर्षों के लिए है जिस की कुल लागत ` 365 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एंव राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एंव परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत 600 से 1,800 मीटर उंचाई के 10 जिलों में 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों के क्षेत्र आएगें। इस परियोजना के मुख्य उद्धेश्य हैः– जैसे प्राकृतिक संसाधन के खर्चो की प्रक्रिया को बदलना, प्राकृतिक सम्पदा की संभावी उर्वरक्ता को बढाना तथा गांव के लोगों की आय को बढाना इत्यादि।

वर्ष 2011–12 के लिए `5,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से दिसम्बर,2011 तक ` 3,024.48 लाख व्यय किए जा चुके हैं 31.3.2012 तक शेष राशि व्यय की जानी अपेक्षित हैं। वर्ष 2012–13 के लिए `3,500.00 लाख प्रस्तावित हैं।

ईको–टूरिज्मः

9.7 हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन की गतिविधियां प्रदेश सरकार की ईको–टूरिज्म नीति 2005 के अंतर्गत चलाई जा रही है। पोटरहिल नामक स्थान तथा 10 अन्य चिन्हित स्थलों को प्रदेश सरकार के अनुमोदनोपरान्त निजी लोगों को पर्यावरण पयर्टन से संबंधित जरूरी अधो–संरचना तैयार करने के लिए दिए गए हैं जिसमें अनुबंध अनुसार प्राथमिक अधो–संरचनाएं निम्नलिखित होंगी।

(क) अस्थाई टैंट में ठहरने की व्यवस्था
(ख) स्थानीय भोजन पर्यटकों को उपलब्ध करवाना
(ग) स्थानीय हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना
(घ) सशक्त बनाने हेतु उन्हें टैंट अथवा स्थान प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाना।

भारत सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग के माध्यम से `3.68 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी जिसके तहत

पूर्व चिहिन्त ईको सर्कट जहां पर्यटन की संभावना अधिक है, कार्य किया गया व किया जा रहा है। प्रमुख ईको सर्कट निम्नलिखित हैं :–

1. कुल्लू–कुल्लू से कोठी वाया मनाली
2. शिमला– मान्दली से डोडराक्वार
3. किन्नौर–शांगटांग से पूह
4. बिलासपुर–श्री नैना देवी जी क्षेत्र

वर्ष 2008–09 व 2009–10 के दौरान ` 131.67 लाख भारत सरकार से प्राप्त धन राशि व ` 88.60 लाख 13वें वित आयोग द्वारा जारी की गई धन राशि के तहत खर्च किए गए। पर्यावरण पर्यटन एक नया कार्य है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के दबाब के बावजूद यह कार्य सावधानीपूर्वक चलाया जा रहा है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापति हेतु मामला प्रदेश सरकार के उच्च स्तर तथा माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर उठाया गया है फिर भी जिन क्षेत्रों में कार्य हुआ है वहां वन संरक्षण एवं जागृति पर मुख्य जारे दिया जा रहा है। भविष्य में स्थानीय समुदायों को गाईड, कुक व वेटर स्तरों पर प्रशिक्षण देने हेतु प्रयास किया जाएगा जोकि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के उपरान्त ही संभव होगा।

पर्यावरण
विकास ऋण नीति (डीपीएल)

9.8 पर्यावरण क्षमता और हिमालय की संवदेनशीलता के दृष्टिगत पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हरित विकास की ओर बदलाव के समर्थन हेतु हिमाचल प्रदेश विकास ऋण नीति के प्रस्ताव को जिसकी अनुमानित राशि 200 मिलियन अमेरिकी डालर (`1,000 करोड़) को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग तथा वित मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक के समक्ष रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सतत आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम में परिवर्तनकारी बदलाव, सम्मिलित किए हैं जिसका मूल उद्वेश्य 2020 तक हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाना है। है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नीति के आधार पर बजटीय समर्थन और तकनीकी सहायता की मांग की है जो अर्थ–व्यवस्था के उभरते क्षेत्र जैसे पर्यटन, जल, विद्युत, ग्रामीण विकास और औद्योगिक विकास क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के तुलनात्मक लाभ तथा प्रदेश के सार्मथ्य / संभावनाओं को जानने हेतु उत्प्रेरक सिद्व होगा। इस कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने, विकास के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने तथा अधिक समावेशी विकास सृजन के प्रति दृढ़ता से निर्देशित है।

आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना

9.9 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के माध्यम से पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 दिसम्बर,2011 को "आर्यभट्ट भू–सूचना विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र" (AgiSAG) की स्थापना की है जो राज्य योजना एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष तथा भू–अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सुविधा भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान केन्द्र (BISAG) जो गांधीनगर, गुजरात तथा देश में उपलब्ध सर्वोतम प्रथाओं / प्रचलन को ध्यान में रखते हुए प्रदान करेगा। यह केन्द्र राज्य में विकेन्द्रीकृत योजना बनाने तथा निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने

राज्य सरकार की तरफ से “भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान केन्द्र (BISAG) गांधीनगर, गुजरात के साथ तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञता के प्रवाह के लिए तकनीकी सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। वैब आधारित भू–सूचना विज्ञान पर शिक्षा, पर्यावरण, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य, सिंचाई व जन स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास तथा पर्यटन विभाग में अनुप्रयोग विकसित तथा स्थापित किए गए।

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा तथा कार्बन संतुलन हेतू “सामुदायिक मूल्यांकन, जागरूकता, पक्षसमर्थन, कार्यावाही” कार्यक्रमः

9.10 स्कूलों इकोक्लबों एवं सिविल सोसाइटी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा तथा कार्बन संतुलन हेतु सामुदायिक मुल्यांकन, जागरूकता पक्ष समर्थन एवं कार्यवाही का आरम्भ ग्राम पंचायत स्तर पर की है जो कि ग्रामीण स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने प्रदेश की 1,000 पंचायतों को चुना है जो कि प्रदेश की कुल पंचायतों का एक तिहाई है। इस प्रयास की स्थानीय स्तर पर जागरूकता, पक्षसमर्थन एवं कार्यवाही बढ़ाने की एक विशााल क्षमता हैं अब तक विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में 226 पंचायतों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, जिसमें प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र लाहौल व स्पिति भी शामिल है।

विज्ञान को लोक प्रिय बनाना

9.11 यह तथ्य है कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, फिर भी विज्ञान की ओर बच्चों को प्रेरित करना, और उनकी सोच को बदलने एवं उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता हैं राज्च में शिक्षण प्रकिया मुख्यतः स्कूल समय तक ही सीमित है, अतः बच्चों में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे की अधिक से अधिक बच्चे विज्ञान को विषय बना कर पढ़ सकें। प्रस्तावना के रूप में सही पृष्ठभूमि का निर्माण के दृष्टिगत राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने भारतीय विज्ञान, अध्ययन एवं शोध संस्थान (आई. आई. एस. ई. आर.) मोहाली के सहयोग से एक आभासी केन्द्र को स्थापित किया है। इससे युवा एवं उभरते विज्ञानिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर उनकी जिज्ञासा का समायोजन होगा। इस आभासी और आन लाईन शिक्षा के माध्यम से राज्य में विज्ञान शिक्षण की गुणवता में सुधार होगा।

राज्य विज्ञान, अध्ययन एवं सृजन के आभासी केन्द्र की सफलता के आधार पर शिमला के निकट शोघी में विज्ञान, अध्ययन एवं सृजन केन्द्र को स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है जिससे विज्ञान अध्ययन की बुनियादी सुविधा और गतिविधि प्रयोगशालाओं की सुविधा होगी जिससे विज्ञान, सीखना और आनंदमय व सरल हो जाएगा।

राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद में सौर निष्क्रिय आवास, भूकम्प प्रतिरोधी भवनों, अभिनव, ग्रामीण प्रौद्योगिकी इत्यादि के प्रसार सुन्दरनगर में स्थापित उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र के माध्यम से कर रही है। इस केन्द्र को अब ग्रीन विल्डिंग केन्द्र में स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है, जो राज्य में हरित भवन तकनीकी को प्रोत्साहित करने हेतु उर्जा कुशल भवन निर्माण में तकनीकी समाधान प्रदान करेगा।

हिमाचल में राज्य जलवायु परिवर्तन केंद

9.12 जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रदान की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने हेतु राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की है। यह केन्द्र जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील सेक्टर जैसे कृषि, बागवानी, वन पर्यटन, पनबिजली आदि पर अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़े उत्पन्न करेगा। आपदा प्रबंधन और हिमनद क्षेत्रों में सक्रिय अनुसंधान के अलावा, केंद्र जलवायु परिवर्तन की दिशा में उचित रणनीति विकसित करने की दिशा में काम करेगा।

विज्ञान के लिए आवश्यक श्रम शक्ति शामिल हो गए हैं और बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया को भी एक साथ लिया गया है। बर्फ और ग्लेशियर से संबन्धित वैज्ञानिक अध्ययन भी शुरू कर दिया गया है। इस के अलावा केंद्र पहले से ही राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप हिमालय की पारिस्थिति की प्रणाली और सतत कृषि, जिसके लिए राज्य भर में काम कर रहे समूहों की पहचान की गई है जो इन क्षेत्रों से सम्बन्धित अनुसंधान और विकसित शमन व अनुकूलन रणनीति तैयार करेंगे।

10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम/युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में सभी 45,367 बस्तियों को मार्च,2008 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा दोबारा मार्च,2005 में अंतिम रूप दिया गया जिसके आधार पर प्रदेश में कुल 51,848 बस्तियां चिन्हित हुई हैं जिनमें से 45,367 बस्तियां जो पुराने सर्वेक्षण के अनुसार थी भी सम्मिलित हैं। सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित बस्तियों में पूर्ण रूप से 20,112, आंशिक रूप से 22,347 तथा 9,389 पेयजल रहित बस्तियां पाई गईं।

राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति/ बस्तियों की मैपिंग के अनुसार नए निर्देशों के आधार पर जो 1.4.2009 को लागू हुए के अनुसार कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई तथा 1.4.2009 की वास्तु स्थिति के अनुसार 19,473 बस्तियों में से (7,632 बस्तियां जिनकी जनसंख्या व्याप्ति >0+<100+11,841 बस्तियां शून्य जनसंख्या व्याप्ति वाली) ऐसी हैं जहां पर पेयजल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु बस्तियों की जगह मापदण्ड जनसंख्या पर आधारित है।

वर्ष 2010—11 में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उपरान्त बस्तियों का पूनः आकलन किया गया जिसके अनुसाार 01—04—2011 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:—

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत—प्रतिशत जनसंख्या को सम्मिलित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0+<100 सम्मिलित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या शून्य है को सम्मिलित किया गया	कुल कॉलम 3+4
1	2	3	4	5
53,205	41,418 (77.85%)	11,730 (22.05%)	57 (0.10%)	11,787 (22.15%)

वर्ष 2011—12 में 1,250 बस्तियों को राज्य भाग के रूप में एवं 1,307 बस्तियों को केंद्रीय भाग के रूप में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ` 184.75 करोड़

एवं ` 133.65 करोड़ रखा गया। इनमें से राज्य भाग के रूप में ` 67.56 करोड़ (नवम्बर,2011 तक) खर्च करके 219 बस्तियां 31.12.2011 तक कवर की गई तथा ` 69.44 करोड़ (दिसम्बर,2011 तक) केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 1,596 बस्तियों में 31.12.2011 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

हैंण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैंण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2011 तक प्रदेश में कुल 23,371 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चूके हैं। वर्ष 2011–12 में प्रदेश में कुल 2,500 हैंण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर,2011 तक कुल 1,964 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चूके हैं।

जलमणी कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान सभी ग्प्रमीण स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतू Simple Stand Alone Drinking Water Purification System लगाए जा रहे हैं। अब तक केन्द्र से कुल ` 749.05 लाख प्रदेश सरकार को आंबटित किए गए हैं जिसके अन्तर्गत कुल 2,961 स्कूलों को कवर किया जायेगा। जनवरी,2012 तक कुल 1,861 यूनिट लगाये जा चुके हैं तथा शेष बचे U.V Purification System को शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया गया कि हर सर्कल में दो स्कूलों में 2,000 लीटर क्षमता वाले Concrete Water Terrafil Filter भी बनाएं जाएंगे।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.4 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 49 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एंव जनस्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 43 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 4 योजनाओं का सम्बर्धन कार्य प्रगति पर है तथा 2 शहरों का सम्वर्धन कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ किया जाएगा। वर्ष 2011–12 में शहरी पेयजल योजना हेतु `400.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है तथा इसके अन्तर्गत `147.34 लाख नवम्बर,2011 तक व्यय किये जा चुके हैं।

सिंचाई

10.5 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलें तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ।

10.6 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के

अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है।

10.7 राज्य में कांगडा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में संभावित सिंचाई की जाएगी।

10.8 राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 4 मध्यम परियोजनाओं में अब तक राज्य में 11,236 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया। ये परियोजनाएं हैः– गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर) बल्ह घाटी परियोजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर) भभौर साहिब चरण–। (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) और भभौर साहिब चरण–।। (सी.सी.ए. 2640 हैक्टेयर)

10.9 निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन सारणी 10.1 में दिया गया हैः–

सारणी 10.1

निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सीसीए सृजित

(लाख हैक्टेयर)

मद	क्षेत्र
कुल भौगालिक क्षेत्र	55.67
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	5.83
अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं	
(क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	0.50
(ख) लघु सिंचाई	2.85
सृजित सीसीए	
31.3.2002 तक	1.97
31.3.2003 तक	1.99
31.3.2004 तक	2.02
31.3.2005 तक	2.04
31.3.2006 तक	2.07
31.3.2007 तक	2.12
31.3.2008 तक	2.17
31.3.2009 तक	2.22
31.3.2010 तक	2.36
31.3.2011 तक	2.43
30.12.2011 तक	2.45

नोटः ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी.ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो, मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं, 2,000 हैक्टेयर के अंतर्गत आती है।

वर्ष 2011–12 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.10 वर्ष 2011–12 में `13,853.87 लाख के प्रावधान से 4,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। नवम्बर,2011 तक ` 2,475.54 लाख व्यय किए गए तथा दिसम्बर,2011 तक 559 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

लघु सिंचाई

10.11 वर्ष 2011–12 में राज्य क्षेत्र मे ` 16,182.14 लाख का प्रावधान 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नवम्बर,2011 तक ` 3,329.73 लाख व्यय किये जा चुके थे तथा दिसम्बर,2011 तक 2,242 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

कमांड विकास कार्यकम

10.12 वर्ष 2011–12 के दौरान `1,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अंतर्गत 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा बाराबन्दी का प्रावधान था। दिसम्बर,2011 तक शून्य

हैक्टेयर क्षेत्र फील्ड चैनल बाराबन्दी के अंतर्गत लाया गया। नवम्बर,2011 में `10.26 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

बाढ़ नियन्त्रण

10.13 वर्ष 2011–12 में 1,000 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए `5,575.99 लाख का प्रावधान रखा गया था। नवम्बर,2011 तक `2,816.90 लाख व्यय किए जा चुके थे तथा दिसम्बर,2011 तक 3,125 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।

वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

क. सं	क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य (है0)	वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित बजट (`लाखों में)
1	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	4200	6525.00
2	लघु सिंचाई	3300	17135.70
3	कंमाड विकास कार्यक्रम		
	फिल्ड चैनल	750	1500.00
	बाराबन्दी	750	
4	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	1200	8009.40

11. उद्योग एवं खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाईसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप राज्य में निवेश प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदेश में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

11.2 इस समय 31.12.2011 तक प्रदेश में 474 मध्यम व बड़े तथा लगभग 38,409 लघु पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत है जिनमें लगभग `14,146.58 करोड़ का पूंजी निवेश है और यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें हैं। नये एवं पहले से स्थापित उद्योगों को समस्त सहायता प्रदान करने के उद्वेश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की औद्योगिक परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं को समस्त सहायता प्रदान करता है तथा यदि किसी उद्योगपति को कोई कठिनाईं हो तो उसे पारदर्शिता और कुशलता के आधार पर दूर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी,2003 के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बाद 7,969 लघु उद्योगों 278 मध्यम एंव भारी उद्योग इकाइयों (294 विस्तार के लिए) का स्थाई पंजीकरण किया गया जिनमें ` 11,538.31 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ एवं 1,06,395 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

11.3 उद्योगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से राज्य मे 41 औद्योगिक बस्तियों तथा 15 औद्योगिक एस्टेटस की स्थापना की गई है। राज्य में औद्योगिक आधार भूत ढांचा के सुधार के लिए दिसम्बर,2011 तक ` 11.55 करोड़ व्यय किए गए। राज्य सरकार ने एक भूमि बैंक की स्थापना की है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी एवं निजी भूमि लगभग 7,817.01 बीघा चिहिन्त की गई है। उद्योगों के लिए और भूमि चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं।

11.4 भारत सरकार ने 31.3.2008 से चल रही ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं का विलय करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म प्रतिष्ठानों के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्वेश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जोकि सूक्ष्म, छोटे व मध्यम प्रतिष्ठान द्वारा कार्यन्वित की जाती है। राज्य स्तर पर यह योजना के.बी.आई.सी निदेशालय द्वारा, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र और बैंकों द्वारा निम्न उद्वेश्यों के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

उद्वेश्य

i) देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यक्रम/ प्रोजेक्ट/ सूक्ष्म प्रतिष्ठान

स्थापति करके रोजगार के अवसर प्रदान करना।

ii) ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवकों तथा परम्परागत कारीगरीं को इकटठा कर उचित स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

iii) ग्रामीण युवकों के शहरी क्षेत्रों के प्रवास को रोकने के लिए परम्परागत कारीगरों को लगातार तथा उचित अवसर प्रदान करना।

iv) शहरी तथा ग्रामीण रोजगार उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए कारीगरों की मजदूरी दर को बढ़ाने के लिए।

वित्तीय सहायता की भौतिकी एवं राशि की मात्रा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत्

क. सं.	लाभार्थी की श्रेणीं	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना मूल्य से)	परियोजना मूल्य से अनुदान की दर	
			ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	सामान्य श्रेणी	10 %	25 %	15 %
2.	विशेष (अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/स्त्री/ भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/एन.ई.आर./ पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्र आदि)	05 %	35 %	25 %

नोटः–

i) कुल परियोजना/ ईकाई लागत मूल्य उत्पादन क्षेत्र में ` 25 लाख तक

ii) व्यापार/सेवा क्षेत्र में `10 लाख और

iii) बकाया राशि कुल परियोजना की लागत की शेष राशि बैंको द्वारा अवधि ऋण के रूप में दी जाएगी।

लाभार्थी की योग्यता के लिए शर्तेंः

i) लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से उपर।

ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं होगी।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में ` 10 लाख से ज्यादा की लागत के प्रोजेक्टों को स्थापित करने के लिए लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए।

iv) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केवल नए प्रोजेक्टों को ही सहायता प्रदान की जाएगी।

v) स्वंय सहायता समूह से संबंध रखने वाले (बी.पी.एल. जिन्होंने किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ न उठाया हो) भी इस कार्यकम्र के पात्र होगें।

vi) वे संस्थान जो समिति पंजीकरण एक्ट 1,860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

vii) उत्पादन सहकारी समितियां और धमार्थ ट्रस्ट।

viii) जो ईकाइयां (पी.एम.आर.वाई, आर.ई.जी.पी.) या कोई भी अन्य योजना जोकि भारत सरकार या राज्य सरकार की हो या ऐसी ईकाइयां जिन्होंने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान राशि प्राप्त की हो इसके पात्र नहीं हैं।

विभाग को 266 मामलों का लक्ष्य दिया गया जिसके लिए 711 मामले विभिन्न बैंकों में वित्तीय लाभ के लिए अभी तक भेजे गए हैं।

रेशम उद्योग

11.5 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9000 ग्रामीण परिवारों को रेशम ककून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त होता है। राज्य सरकार की सहायता से निजि क्षेत्र में 6 रेशम धागा रिलिंग की इकाइयां स्थापित की तथा अर्धसरकारी क्षेत्र में नूरपूर सिल्क मिल की एक इकाई में विभागीय सहायता से पुनः उत्पादन शुरू किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान दिसम्बर, 2011 तक 177.84 मीट्रिक टन ककून का उत्पादन किया गया जिससे कच्चा रेशम 22.25 मी0टन0 बनाया गया। राज्य को रेशम उत्पाद बेचने से ` 469.50 लाख आय हुई।

कला एवं प्रदर्शनी

11.6 राज्य में औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत प्रदेश द्वारा राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेंलों, त्यौहारों व प्रदर्शनियों में भाग लिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित 31वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2011 में कुल्लू के दशहरा मेले इत्यादि में अपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प (सामुहिक योजना)

11.7 सामूहिक योजना गोहर तथा कांगडा हथकरघा कलस्टर परियोजना तीसरे चरण में, रिकांगपीओ व रामपुर हथकरघा कलस्टर दूसरे चरण में तथा ज्वाली जन्जैहली व तीसा हथकरघा कलस्टर पहले चरण में हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम तथा हिमबुनकर कुल्लू के माध्यम से चलाई जा रही है। तीसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टर के कार्यान्वयन हेतू `38.64 लाख दूसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टरों हेतु `22.27 लाख तथा पहले चरण वाले हथकरघा कलस्टरों को चलाने हेतू `38. 15 लाख की राशि चलाने वाले उद्योगों को इन कलस्टरों में बेस लाइन सर्वे, समूह बनाने हेतू, कार्यकुशलता बढाने हेतु प्रशिक्षण, डिजाइनिंग विकास, उत्पाद विविधिकरण, प्रचार व प्रदर्शनी इत्यादि के लिए दिए गए।

तीसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टरों में 1,127 बुनकर, दूसरे वाले हथकरघा कलस्टरों में 647 बुनकर तथा प्रथम चरण वाले हथकरघा कलस्टरों में 800 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

सामुहिक योजना के अन्तर्गत पहले चरण में 40 छोटे बुनकर समूहों के 905 बुनकर शिमला, मण्डी, कांगड़ा, कुल्लू और चम्बा जिला को लाभान्वित किया गया जिसमें ` 35.75 लाख भारत सरकार द्वारा दिए गए।

बाजार प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत राज्य की 57 इकाईयों के वर्ष 2009–10 के `84.83 लाख के दावे भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए।

महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना

11.8 प्रचलित वर्ष में 31.12.2011 तक, 1,500 बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया।

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

11.9 प्रचलित वर्ष 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 9 जिलों के 11,900 बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया।

बाजार प्रगति योजना

11.10 हथकरघा बाजार में अपनी प्रगति के लिए, भारत सरकार ने 30 जिला स्तरीय कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं बुनकर, सहकारी सभाएं और हिमबुनकर एवं कुल्लू ने विक्रय एवं प्रदर्शनी अलग–अलग भागों में लगाई।

11.11 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को विकास हेतू अनुदान दिया गया। प्रचलित वर्ष में दिसम्बर,2011 तक `1.13 करोड़ का अनुदान हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को तथा ` 1.87 करोड़ खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड को विकास कार्यों हेतू अनुदान दिया गया।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता योजना

11.12 निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्वेश्य से 'राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना' भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कार्यान्वयन की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति का गठन किया गया है व हि. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है। राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति द्वारा इस वर्ष के दौरान 4 नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया। जिन पर कुल ` 1,320.35 लाख व्यय होंगें। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2012 तक केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य को ` 313.50 लाख उपलब्ध करवाए गए हैं।

खनन

11.13 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ यहां प्रचूरता में प्राप्त है। पांच सीमेंट प्लांट बिलासपुर जिला में बरमाणा (दो ईकाइयां), सोलन जिला में कशलोग (दो ईकाइयां)

तथा सिरमौर जिला में राजवन कार्यरत है। सुन्दरगर जिला मण्डी एवं बागा–बलग जिला सोलन सीमेंट प्लाट कार्यरत है। अन्य बड़े सीमेंट प्लांट शिमला जिला में गुम्मा रुहाना, मण्डी जिला में अलसींडी मै0 हरीश सीमेंट प्लांट (ग्रासिम) सुन्दरनगर, जिला मण्डी इंडिया सीमेंट लि0 लाफार्ज इंडिया लि0 के साथ राज्य सरकार ने एम ओ यू हस्ताक्षरित कर दिया है। बरोह सिन्ड, जिला चम्बा के लिए सरकार ने बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए मै0 जे.पी. इण्डस्ट्रीज के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी निम्नलिखित कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन कर सकें। यह लाईसैंस निम्न कम्पनियों को दिए गए। मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बड़ू तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा कराइली–कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0। मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, गांव/मौजा घाना, चलयान वसयाणा बरसानु, मंगु करारा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.9.2010 में 25 वर्ग किलोमीटर के स्थान में मौजा, सुग्रठी, ठागंर, कूड़ा खेडा, पौली खेरा काडल और वडेरा जो जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में लाइसैंस के लिए संभावित है जबकि चुनी हुई कम्पनी में चूने के पत्थर के मात्रा और स्तर अन्य खनिज के साथ विस्तृत रूप में विवरण जानकारी प्राप्त की है। यह क्षेत्र पहले इन्दोरामा सीमेंट कम्पनी लिमिटिड की सहायतार्थ था।

1. मै0 ए.सी.सी, मुम्बई।
2. मै0 रिलांइस कोमीटेशन प्राईवेट लिमिटिड, महाराष्ट्र।

3. मै0 लाफर्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटिड, मुम्बई।
4. मै0 जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटिड, नई दिल्ली
5. मै0 अंबुजा सीमेंट लिमिटिड, मुम्बई।
6. मै0 डालमिया सिमेंट लिमिटिड, नई दिल्ली।
7. मै0 अभिजित सिमेंट लिमिटिड, नागपूर।
8. मै0 आथा माईन्ज लिमिटिड, कलकता।
9. मै0 एन. सी. एल. इन्टस्ट्रीज लिमिटिड. हैदराबाद।

इन कम्पनियों की वार्षिक रिपार्टों का वित्तीय मूल्यांकन हिमकोन द्वारा किया जा रहा है। मूल्यांकन के बाद पूर्ण मामला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष किसी एक कम्पनी को चयनित करने हेतु रखा जाएगा।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल बेराईट ससिल्का रेत, चटटानी नमक कोरजाईट और भवन सामग्री जैसे कि सेडसटोन रेत व बजरी और भवन पत्थर, खनिजों के विकास तथा विनिमय को करने के लिए भूगर्भीय ईकाई भू–तकनीकी अन्वेषण निरीक्षण विभिन्न मार्गों को मिलाना, पुल की जगह का अन्वेषण, और भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2001 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.31 प्रतिशत मुख्य कामगार, 16.92 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 50.77 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 65.33 प्रतिशत काश्तकार, 3.15 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.75 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 29.77 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में तथा मण्डी, शिमला व धर्मशाला में व्यवसायिक इकाईयां पूरे प्रदेश में आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.2 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । प्रदेश में 30.06.2010 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,64,525 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,22,076 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 3,888 व निजी क्षेत्र में कुल 1,274 नियोक्ता हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्ग–दर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 80 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.3 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2011–12 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान नवम्बर,2011 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 418 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं कुशल वर्ग सहित 2,664 आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। दिनांक 30.11.2011 के अन्त तक प्रदेश के निजी

क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 32 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया।

01.4.2011 से 30.9.2011 तक इस कक्ष के माध्यम से 176 कैम्पस साक्षात्कार करवाए गए जिसमें 2019 आवेदकों की नियुक्तियां की गई। केन्द्रीय रोजगार कक्ष ने 01.4.2011 से 30.11.2011 तक राज्य में मेलों का आयोजन किया, जिसमें 3,847 आवेदकों की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में नियुक्तियां की गई।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतू)

12.4 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतू श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतू) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा , उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वाईंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30 वां, 73 वां, 101 वां, 130 वां, 173 वां है। वर्ष 2011 के दौरान 1.4.2011 से 30.11.2011 तक सक्रिय पंजिका में 1,111 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,055 हो गई थी। 147 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

न्यूनतम मजदूरी

12.5 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यून्तम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड बनाया है जोकि अनुसूचित व्यवसायों के मजदूरों के न्यूनतम दर तय तथा उसके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। सरकार द्वारा दिनांक 1.10.2010 से सभी अनुसूचित/ व्यवसायों के अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम दर ` 110/– प्रतिदिन व `3,300/– प्रतिमाह से बढ़ाकर `120/– प्रतिदिन व ` 3,600/– प्रतिमाह की है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.6 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतू किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्यागिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में स्थापित किया गया है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इन दोनों श्रम अदालतों में जिला एवं सत्र

न्यायधीश के पद के बराबर, एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.7 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी, मेहतपुर, गगरेट, बथरी जिला उना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, रती जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगरपालिका क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 3,210 संस्थानों में 2,03,658 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत लाए गए। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 6,918 संस्थानों में कार्यरत 5,16,215 कामगारों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत 31.12.2011 तक 1,192 ट्रेड यूनियनज पंजीयक ट्रे्ड यूनियन एवं श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत 1,400 रिर्पोट प्राप्त हुई है और निर्याणक कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसके परिणामस्वरूप, 292 औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय व न्याययिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनिर्णित करने हेतु अधिसूचित किए गए जबकि 196 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय अस्वीकार किए गए।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.8 प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के गतिविधियों को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक झगडों को निपटाने व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिये एक समाधान मशीनरी कार्यरत है । समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, श्रम अधिकारियों, व श्रम निरीक्षको को सौंपे गये हैं जोकि अपने अपने क्षेत्र अधिकार में यह कार्य देख रहे हैं । ऐसे मामलों में जहां समझौता अधिकारी किसी मान्य समझौते को करवाने में असफल रहते हैं, वहां उच्च अधिकारियों द्धारा निदेशालय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। कामगारों, श्रमिकों तथा पन–विघुत परियोजनाओं के प्रबन्धकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड तथा परियोजना स्तर की त्रिपक्षीय समितियां प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्यौगिक इकाई में जहां एक उद्योग में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं एक समिति गठित की जाती है जिसमें श्रमिकों के तथा नियोजक के प्रतिनिधि सम्मलित होते हैं।

हि0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम, 1996 व सैस अधिनियम, 1996

12.9 इस अधिनियम के अर्न्तगत भवन व अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण तथा सुरक्षा का प्रावधान है। दिनाक 31.12.2011 तक कुल 579 औद्योगिक ईकाइयां तथा 4,800 लाभान्वित कामगारों को पंजीकृत किया गया तथा ` 119.64 करोड़ की राशि हि0प्र0 भवन व अन्य निर्माण कर्मगार बोर्ड के पास सैस के रूप में जमा किये जा चुके है।

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

12.10 हिमाचल प्रदेश सरकार दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,

1969 तथा उसके अर्न्तगत नियमों में संशोधन कर अनुज्ञपति के नवीनीकरण का समय एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जिसके फलस्वरुप संस्थानों एवं वाणिज्य संस्थानों के मालिकों को एक वर्ष के बजाए पांच वर्ष तक नवीनीकरण कर सकेंगें। इससे दूकानदारों को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण नहीं करवाने में समय की बचत होगी।

कामगारों को पहचान पत्र देने बारे

12.11 श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतू व कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा हिमाचलियों को निजि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतू सरकार द्वारा सभी कामगारों को अधिनियमों में संशोधन कर पहचान पत्र जारी करना आवश्यक किया है। यह पहचान पत्र सम्बन्धित श्रम अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये होगें। दिनाक 31.12.2011 तक 2.76 लाख पहचान पत्र जारी कर दिये गये हैं।

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

13.2 हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 7,913 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की जाएगी जिसमें से 473 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की जााएगी।

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत सम्भाव्य उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

सम्भाव्य क्षमता

नदी तट	**क्षमता (मैगावाट)**
यमुना	811
सतलुज	10,355
ब्यास	5,339
रावी	2,952
चिनाब	2,973
स्वयं चिन्हित/नये चिन्हित	570
कुल	**23,000**

13.3 राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 23,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

कुल चिन्हित सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता

(मैगावाट)

मद्द	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
			5मैगावाट से ऊपर	5 मैगावाट तक हिमउर्जा द्वारा	कुल
1	2	3	4	5	6
विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है	473	5644	1621	175	7913
परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं	522	2763	658	175	4118
परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर हैं	538	66	929	520	2053
परियोजनाएं अन्वेषणाधीन हैं	2088	775	3331	367	6561
परियोजनाएं जो विवादित हैं	–	–	1035	12	1047
पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं	–	–	690	–	690
परियोजनाएं जो आवंटित होनी हैं	–	–	618	–	618
कुल	**3621**	**9248**	**8882**	**1249**	**23000**

जल विद्युत नीति

13.4 जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:–

अ) 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

1. 2 मैगावाट तक की सभी परियोजनाओं का आवंटन केवल हिमाचलियों के लिए आरक्षित किया गया है एवं 2 से 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
2. छोटी परियोजनाओं से परियोजना के अनुबंध के आधार पर पहले 12 वर्षों तक 6 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में 15 प्रतिशत व परियोजना की शेष अवधि के दौरान 24 प्रतिशत की दर से निशुल्क बिजली सरकार को मुहैया करवाने का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना निर्माता को 1 प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली स्थानीय विकास निधि के

रूप में सरकार को परियोजना के आजीवन काल तक उपलब्ध करवानी होगी।

3. कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।
4. परियोजना निर्माता को 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देना सुनिश्चित करना होगा।
5. हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी परियोजनाओं को राज्य के अन्तर्गत सरकार के अलावा किसी तीसरे पक्ष को बेचने या राज्य के बाहर अपने उपयोग में लाने हेतु प्रावधान किया है।
6. परियोजना निर्माता को परियोजना का संचालन 40 वर्षों की अवधि के पश्चात् राज्य सरकार को निशुल्क सौंपने का प्रावधान है।

ब) 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएंः

1. 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं को निजि क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बोली द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।
2. बोली दाताओं को सभी परियोजनाओं के आवंटन पर `20 लाख प्रति मैगावाट की पेशगी के रूप में देने तथा सामान्य रूप से सरकार को क्रमशः पहले 12 वर्ष में (12+1) प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में (18+1) प्रतिशत व अनुवन्ध की शेष 10 वर्षों की अवधि के दौरान (30+1) प्रतिशत देय निशुल्क बिजली के अलावा अतिरिक्त बिजली की अधिकतम बोली के आधार पर करने का प्रावधान प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पन विद्युत नीति में किया है।
3. परियोजना निर्माताओं को सभी परियोजनाओं पर कुल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।
4. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पन विद्युत नीति–2008 की तर्ज पर अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के हितों हेतू सभी परियोजनाओं में कुल उत्पादित बिजली का एक प्रतिशत भाग अतिरिक्त रूप से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के कल्याण हेतू खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है। जिससे कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के विकास को सुचारू रूप से लम्बे समय तक बनाए रखने हेतू यह प्रावधान किया गया है। जिससे कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य सामुहिक सहुलियतों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार होगा। यह निधि परियोजना के जीवनकाल तक मिलती रहेगी।

1 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली के रूप में प्राप्त आय स्थानीय विकास निधि (लोकल ऐरिया डेवल्पमैंट फंड) को स्थानीय क्षेत्रों में सुचारू रूप से खर्च करने व इसके प्रबन्धन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5.10.2011 को अधिसूचना जारी की है।

5. परियोजनाओं का संचालन समय जब से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होगा तब से 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को देनी पड़ेगी।
6. परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।
7. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी रन–ऑफ–द–रीवर स्कीमों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा उक्त नदी में हर समय छोड़ने का प्रावधान पर्यावरण, जल जीवों और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के सरंक्षण हेतु किया गया है।

परियोजना निर्माता को ऊपलिखित न्यूनतम प्रवाह को नदी में छोड़ने व छोड़े गये जल प्रवाह को मापने हेतु उपयुक्त प्रबन्ध डाईवर्जन स्ट्रक्चर में करना अनिवार्य है।

8. उत्पादित बिजली का व्ययनः परियोजना निर्माता उत्पादित बिजली में से निशुल्क बिजली व अन्य का भुकतान करने के उपरान्त शेष बची बिजली का व्ययन अपनी इच्छानुसार करने हेतु मुक्त है।

हि0प्र0 रा0वि0प0लि0 की विभागीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएंः

13.5

(i) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

प्रदेश के सभी विद्युत रहित गांवों/बस्तियों को विद्युतिकृत करने और सभी नए घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल,2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत केन्द्र से 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। मैसर्ज आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिलावार विद्युतीकरण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू एवं गुणवतावूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 44,496 ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान की जाएगी जिनमें कि 12,483 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सभी योजनाएं आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्न–की आधार पर बनाई जा रही हैं, जिससे इन्हें पूरा करने में कम समय लगेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 2,092 नए उपयुक्त क्षमता के विद्युत वितरण उपकेन्द्र तथा लाईनें स्थापित कर सभी 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। यह

ग्रामीण क्षेत्रों को सुचारू एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

10वी पचंवर्षीय योजनाः– इस योजना के दौरान चम्बा जिला के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई.सी. द्वारा दिसम्बर, 2005 में `25.02 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था, जिसे कि अब संशोधित कर `66.33 करोड़ कर दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा `59.65 करोड़ की कुल राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों के रूप में जारी किया गया है और `37.97 करोड़ की अदायगी कर दी गई है। लगभग `10.54 करोड़ के बिल फर्म को अदायगी के लिए पहले ही प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार दिसम्बर,2011 तक `48.51 करोड़ की कुल वित्तीय प्रगति है। 6 खण्डों का कार्य अधिकांश रूप से पूर्ण है और जिला चम्बा में 1,086 अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त बिजली के कनैक्शन प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है। पांगी खंड का कार्य प्रगति पर है, जिसे कि मार्च, 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिसम्बर, 2011 तक चम्बा जिला में किए गए कार्यः–चम्बा जिला के पांगी खंड में दिसम्बर 2011 तक 16 किलोमीटर 33 के.वी. एच.टी. लाईन, 187.07 किलोमीटर 11 के.वी. एच.टी. लाईन,384.47 किलोमीटर एल.टी. लाईन, 172 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, चार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (कोटी, सिंहुता, नकरोड़ और घरोला), 743 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण और 12 विद्युत रहित गांवों को बिजली प्रदान की गई है।

11वीं पचंवर्षीय योजनाः– इस योजना के दौरान 11 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति के लिए `275.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन 11 जिलों के लिए `160.55 करोड़ की राशि पहली और दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। बाद में 9 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर लिए तीसरी किस्त के अंतर्गत `65.43 करोड़ की राशि जारी की गई है। `6.19 करोड़ (2.27+3.92) लागत वाली कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों की योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना का 30 प्रतिशत तीसरी किस्त के बारे में दावे को सितम्बर,2011 के दौरान प्रस्तुत किया गया है। इसमें से `202.15 करोड़ का खर्चा हो चुका है जबकि दिसम्बर,2011 तक `7.02 करोड़ के बिल देय के लिए प्रक्रिया में है। इस तरह दिसम्बर,2011 तक कुल वितिय प्रगति `209.17 करोड़ की है। 11 वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान 11 जिलों के 70 विकास खंडों में कार्यों का निष्पादन पूरे जोरों पर है। 11वीं योजना की परियोजनाओं को मार्च,2012 तक विस्तार की अनुमति दी गई है। आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अंतर्गत दिसम्बर,2011 तक कियान्वयन वाले कार्य की प्रगति इस प्रकार से हैः–

क्र0सं0	मद्द	योजना का कुल प्रावधान	दिसम्बर, 2011 तक संचित प्रगति		निर्धारति लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5	6
10वीं योजना परियोजनाएः					
1	33के.वी.विद्युत उपकेन्द्र	1	कार्यान्वित कार्य		मार्च 2012
2	33 के.वी.एचटी लाईन	64.00	16.00	25.00	
3	11 के.वी..एचटी लाईन	36.00	22.91	63.64	
4	एलटी लाईन	102.42	33.43	32.64	
5	विद्युत वितरण उपकेन्द्र	15	12	80.00	
6	वी0पी0एल0 गृह कनैक्शन	211	113	53.55	
7	विद्युतरहित गांवों का विद्युतीकरण	15	12	80	
11वीं योजना परियोजना					
1		4	4	100.00	मार्च 2012
2	22/11के.वी.एच.टी लाईन	1721.18	1257.43	73.06	
3	एल.टी. लाईन	5433.25	4596.12	84.59	
4	विद्युत वितरण उपकेन्द्र	1917	1864	97.24	
5	वी0पी0एल0 गृह कनैक्शन	11836	9335	78.87	
6	विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण	76 {93(7+10}	66	86.84	

प्रदेश में 100 प्रतिशत घरों को विद्युत पहुंचाने के उदेश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत मैसर्ज ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 12 जिलों के लिए `341.86 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अंतर्गत अभी तक `285.65 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत सभी 12 जिलों में कार्य टर्न की आधार पर दिया जा चुका है और दिसम्बर,2011 तक इस पर `257.69 करोड़ खर्च भी किए जा चुके हैं। कार्य 2011–12 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जनसंख्या 2001 के आधार पर राज्य में इस समय 17,495 जनगणना गांव है जिसमें से 109 गांवों को विद्युत रहित गांव चिन्हित किया गया है। 11 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए

संभव नहीं है और 7 गांवों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष बचे 91 गांवों में से 78 गांव विद्युतीकृत हैं और 13 गांवों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। जिलावार विद्युत रहित/विद्युतीकृत गांवों का विवरण इस प्रकार हैः–

क0स0	जिला का नाम	विद्युत रहित गांव	विद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	चम्बा	16	12
2.	कांगडा	2	.
3.	किन्नौर	40	29
4.	लाहौल–सिपति	29	23
5.	मण्डी	12	12
6.	शिमला	9	1

7.	सिरमौर	1	1
	कुल	**109**	**78**

(ii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0पी0)

पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगीः–

भाग क

भाग–क के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के अधीन संचालन समिति ने दिल्ली में आयोजित 4 सितम्बर,2009 की अपनी बैठक में 14 योग्य शहरों की `81.07 करोड़ लागत की विस्तृत योजना रिपोर्ट को मंजूर किया है। भारत सरकार ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) को शुरू किया है। विद्युत वित निगम लिमिटेड (पी. एफ. सी.) को भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के नोडल एजैंसी के रूप में नामित किया है। कार्यक्रम वितरण स्तर पर तथ्य इकटठा करना और उनके परिणामों का अनश्रवण कर कदम उठाकर सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने और विद्युत वितरण प्रणाली को पूरे देश में सुदृढ़ करने का उदेश्य रखता है। कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को परियोजना क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तक कम करना है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के भाग क के अंतर्गत 14 शहर (शिमला, सोलन, नाहन, पांवटा, बद्दी बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर कुल्लू, ऊना और योल) विद्युत वित निगम को प्रस्तुत की गई विस्तृत योजना रिपोर्ट के अनुसार योग्य पाए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने अगस्त 2010 में हिमाचल के लिए आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 परियोजना के भाग क के अंतर्गत 14 शहरों की विस्तृत योजना रिपोर्ट के अंतर्गत `96.40 करोड़ स्वीकृत किए हैं। आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 के अंतर्गत भाग–क के लिए कुल परियोजना लागत `128.27 करोड़ है। इस परियोजना के अन्तर्गत मीटर डाटा एक्वाजीशन प्रणाली, ऊर्जा लेखा, डाटा केन्द्र स्तर पर पहचान एवं अतिरिक्त प्रबन्धन प्रणाली, डाटा केन्द्र स्तर पर डी. डब्लयू. और बी.आई. टूल्ज सहित प्रबन्धन सूचना प्रणाली, उद्यम प्रबंघन प्रणाली और नेटवर्क प्रबधन प्रणाली जोकि हार्डवेयर का हिस्सा है, डाटा केंद्र स्तर पर प्रस्तावित है।

आर0ए0पी0डी0पी0योजना का भाग–क वास्तविक प्रदर्शन कार्य

- निष्पादन में सतत हानियों में कमी लाना हैं योजना की स्थापना के लिए विश्रवसनीय और आटोमेटिड प्रणालियों का संग्रहण, सत्त् आधार, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मध्यम से उर्जा लेखा के सही आंकड़ों को अपनाया है।
- 25.3.11 को बोर्ड की विशेष आयोजित बैठक में मैसर्ज एच.सी. एल. इन्फोसिस्टम लिमिटेड को `99.14 करोड़ लागत का कार्य सौंपने सम्बन्धी मामले को अनुमोदित किया गया। 21.4.2010 को वितरण रिफॉर्म कमेटी द्वारा मामले को अनुमोदित किया गया। विद्युत

परियोजना रिपोर्ट में संशोधन के लिए 7 जुलाई,2010 को स्टीयरिंग कमेटी के अनुमोदन हेतु विद्युत वित निगम को प्रस्ताव रखा गया।

- कार्य को सितम्बर,2010 के दौरान सौंपा गया, मार्च,2012 तक पायलट परियोजना के पूरा होने की संभावना है। रोल ओवर की अगस्त,2012 तक पूरा होने की संभावना है।
- सम्बन्धित सिविल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। अन्य आई.टी. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्य प्रगति पर है।

भाग–ख

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के भाग–ख की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में 11 के.वी. स्तर के विद्युत उपकेन्द्रों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और सुद्ढ़ीकरण, ट्रांसफार्मर केन्द्रों, 11 के.वी. और इससे नीचे की लाईनों की रि–कंडक्टरिंग, विद्युत भार का पृथकीकरण, फीडर का पृथकीकरण, विद्युत भार संतुलन, एच.वी.डी.एस. (11 के.वी.), घने क्षेत्रों में एरियल बन्चड कंडक्टरिंग, इलैक्ट्रोमैगनेटिक मीटरों का हैम्परप्रूफ ईलेक्ट्रामैगनेटिक मीटरों से बदलना, कैपेस्टर बैंको की स्थापना और और मोबाईल सेवा केन्द्र जैसी योजनाएं निहित है। कई मामलों में जहां विद्युत उप संचार प्रणाली कमजोर है वहां 33 के.वी. या 66 के.वी. विद्युत प्रणाली का प्रयोग।

- पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के भाग–ख की योजनाओं में 20.8.2010 को 4 शहरों शिमला, सोलन, नाहन, पांवटा सहित की योजनाएं विद्युत वित निगम द्वारा `165.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 28.9.2010 को `49.66 करोड़ जारी भी कर दिए गए हैं। 25.9.2010 को इन शहरों के लिए `148.98 करोड़ लागत वाले योजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत बोर्ड लिमिटेड और मैसर्ज विद्युत वित निगम लिमिटेड के बीच समझौते ज्ञापन को हस्ताक्षरित किया गया है।
- शेष 10 शहरों बद्दी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सुन्दरनगर, धर्मशाला, योल, चम्बा और ऊना के लिए `156.65 करोड़ की योजना 22.12.2010 को विद्युत वित निगम के पत्र द्वारा स्वीकृत की गई और 18.2.2011 तक `46.99 करोड़ जारी भी कर दिए गए। इन 10 शहरों की योजनाओं के लिए `140.99 करोड़ के ऋण के लिए भी विद्युत बोर्ड और मैसर्ज विद्युत वित निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर 15.2.2011 को हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।
- इन 14 शहरों के कार्य के लिए निविदाएं अप्रैल/मई,2011 के दौरान आंमत्रित की गई थीं और तकनीकी विड अगस्त/सितम्बर,2011 के दौरान खोली गई थीं। इन निविदाओं की कीमत बोली 22 और 25 नवम्बर को खोली गई हैं और जनवरी,2012 के दौरान कार्य को सौंपने की संभावना है। धर्मशाला और योल शहरों के कार्य के लिए निविदाएं खारिज कर दी गई हैं और 13 दिसम्बर,2011 को नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शिमला और पांवटा साहिब शहरों में 66 और 33 के.वी. के कार्यों के लिए एन.आई.टी.

अभी जारी होनी है। शिमला और बद्दी शहरों से सम्बन्धित कुछ एन.आई.टी. अभी जारी नहीं की जा सकी है क्योंकि इनसे सम्बन्धित कुछ कार्यों का संशोधन होना है।

- सभी 14 शहरों के लिए भाग–ख (पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना 28 मई,2011 को मैसर्ज विद्युत वित निगम लिमिटेड को सौंपी गई है जो कि स्टीयरिंग कमेटी के पास अनुमोदन हेतु है।

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (भाग–ख) के अंतर्गत शिमला और बद्दी की संशोधित योजनाएं:

66/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र के लिए भूमि का उपलब्ध न होना और 66 के.वी. सम्बद्ध लाईनों की दिक्कत की वजह से शिमला और बद्दी शहरों की योजनाएं संशोधित की गई हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस द्वारा यह योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं जो राज्य स्तरीय वितरण सुधार कमेटी के पास अनुमोदन हेतु है। यह स्टेरिंग कमेटी द्वारा मैसर्ज विद्युत वित निगम को स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 14 शहरों में कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य:

- भाग क का दिसम्बर,2011 तक पूरा करना और अगस्त,2012 तक स्वतन्त्र एजैंसी द्वारा पूरा सत्यापन करना।
- भाग ख का निविदा और कार्य आदेश दिसम्बर,2011 तक पूरा करना और सभी कार्य सितम्बर 2012 तक पूरे होने चाहिएं तथा मुख्य कार्य जैस 66 के.वी. लाईन व विद्युत उपकेन्द्र यदि सितम्बर,2012 में पूरे नहीं होते हैं तो मार्च,2013 तक पूरा करना।
- ए.टी. एंड सी. हानियों को प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में हर वर्ष, 2013–14 से पहले वर्ष से लेकर 5 सालों तक 15 प्रतिशत तक के स्तर तक कम करना, जिससे 90 प्रतिशत ऋण पूर्ण रूप से अनुदान के रूप में परिवर्तित हो सके।
- लक्षित टी. एंड सी. हानियों और ए. टी. एंड सी. हानियां जिन्हें की 15 प्रतिशत से नीचे लक्षित किया गया है प्रक्षेपण के अनुसार करना जिन्हें प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रक्षेपित किया गया है।
- उपयोगिता के लिए कार्यान्वयन के दौरान ए.टी. और सी. हानियों को 15 प्रतिशत हर वर्ष कम करना।

योजना के लाभ

- टी. एंड सी. हानियों में कमी के साथ 11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एच.टी. एवं एल.टी. लाईन की रि–कंडक्टरिंग और इलैक्ट्रोमैगनेटिक मीटरों का हैम्परप्रूफ ईलेक्ट्रामैगनेटिक मीटरों से बदलना।
- विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार।
- ए.टी. और सी. हानियां 15 प्रतिशत तक नीचे लाई जाएगी और इससे प्रोत्साहन के रूप में 15 प्रतिशत ए. टी. एवं सी हानियों नीचे पहुंचने से 90 प्रतिशत ऋण, अनुदान के रूप में परिवर्तित होगा।

नए प्रस्ताव

- परियोजना लागत का 10 प्रतिशत घटक जो कि `32.21 करोड़ बनता है अन्य लागत जैसे भूमि आदि का उपयोगिता द्वारा वहन करना भी मैसर्ज विद्युत निगम द्वारा पोषित करना।
- जो अपेक्षित निधि उन कार्यों के लिए प्रयोग की जा रही है जो कार्य संशोधित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (भाग ख) के अंतर्गत नहीं हो रहे हैं वे विद्युत बोर्ड के खाते में वहन किए जाऐंगे।

13.6 आई.टी.पहल

(i) जी.आई.एस. / जी.पी.एस. आधारित परिसम्पति मानचित्रण जिसमें उपभोक्ता ईन्डैक्सिंग / विद्युत बोर्ड लिमिटेड की परिसम्पतियों का मूल्यांकन, राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए एफ.ए.आरज. जिसे जी.आई.एस. पैकेज कहा जाता है में निहित है।

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने पूरे राज्य में विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए जा.आई.एस. / जी.पी.एस. आधारित परिसम्पति मानचित्रण को जिसमें उपभोक्ता इनडैक्सिंग और परिसम्पतियों का मूल्यांकन भी शामिल है को करवाने का निर्णय लिया है। जिसे बिलिंग का कम्पयूटरीकरण, विद्युत लेखा, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन, सी.आर.एम और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम. आई.एस.) और निर्धारित परिसम्पति पंजीकरण इसके वर्तमान मूल्य सहित बोर्ड के तीनों प्रभागों उत्पादन, संचार और वितरण में प्रयोग में लाया जाएगा। इसके आधार को बोर्ड की नवीनतम बैलेंस शीट में समाहित किया जाएगा।
- जी.आई.एस. आधारित परिसम्पति मानचित्रण उपभोक्ता इन्डैक्सिंग और बोर्ड की स्थाई परिसम्पति जिसे जी.आई.एस. पैकेज भाग–1 कहा जाता है। शिमला की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर शिमला परिचालन वृत का लगभग पूर्ण है जिसमें इंटेग्रेशन और बिलिंग पैकेज रह गया है। शेष बचे 11 विद्युत वृतों में यह कार्य जोरों पर है और इस कार्य की पूर्णता अवधि मई,2012 रखी गई है।

कम्पयूटरीकृत बिलिंग और विद्युत अकाउंटिंग पैकेज (आई.टी. पैकेज) पृष्ठभूमि

(ii)

- केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ऊर्जा विकास व सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 12 विद्युत वृतों में योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। यह योजनाएं विद्युत उप संचार में सुधार और वितरण प्रणाली में विद्युत में होने वाली हानियों में कमी और विद्युत प्रणाली सूचना तकनीक में एक नई तकनीक लाकर विद्युत बोर्डों की परिचालन क्षमता को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करना है।
- राज्य विद्युत बोर्ड में आई.टी. पैकेज का कार्यान्वयन का संक्षिप्त विवरण को तीन भागों में बांटा गया है।

  भाग–1: 10 विद्युत उपमंडलों में पायलट तौर पर कार्यान्वयन, शिमला विद्युत वृत के अंतर्गत 2 विद्युत

मंडल और डाटा केन्द्र कुमार हाउस जिसमें 12 सीटों वाला कॉल सैंटर और नकदी कलैक्शन/उपभोक्ता सेवा केन्द्र अधोसंरचनाएं शिमला में शामिल हैं।

भाग–2: इसके बाद इस कार्य का 11 विद्युत वृतों के शेष बचे 22 मंडलों और 122 विद्युत उपमंडलों में कार्यान्वयन।

भाग–3:वार्षिक रख–रखाव अनुबन्ध (ए.एम.सी.) तीन वर्षों के लिए।

उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी.) का राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कार्यान्वयन

(iii)

- 21.4.2010 को इस कार्य का मैसर्ज टी.सी.एस. को सौंप दिया गया है। इस बारे में अनुबन्ध पर 17 जून,2010 को हस्ताक्षर किए गए।
- इस पायलट कार्य का अन्तिम चरण जिसमें मुख्यालय और विद्युत वृत शिमला शामिल है जनवरी,2012 में शुरू हो जाएगा, जिसे मार्च,2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- इस पायलट परियोजना के दूसरे चरण जिसमें पूरे बोर्ड का कार्य किया जाना है अप्रैल,2012 से शुरू हो जाएगा। छूट गए कार्य/ प्रक्रियाएं भी इसी दौरान पूरी की जाएंगी।

विभाग की भविष्य योजनाएं

13.7

- प्रदेश में व्याप्त विद्युत क्षमता का दोहन अक्तूबर 2012 तक 114.50 मैगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं का निर्माण बस्सी विद्युत परियोजना की क्षमता 60 मैगावाट से बढ़ाकर 66 मैगावाट की जा रही है। इसके 2 यूनिट की कमिशनिंग की जा चुकी है और 2 यूनिट की कमीशनिंग वर्ष 2011–12 के बीच की जाएगी।
- चिनाब, रावी, यमुना, ब्यास और सतलुज तट पर और नई चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं की आई. आरज./पी.एफ.आरज. रिपोर्टों का बनाया जाना।
- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।
- औद्योगिक उपभोक्ताओं की स्वचालित मीटर रीडिंग।
- वित वर्ष 2011–12 से वित वर्ष 2013–14 के दौरान 12,97,818 सिंगल फेस और 20,319 थ्री फेस पुराने इलैक्ट्रोमैकेनिक मीटरों को इलैक्ट्रोनिक मीटरों से बदलने का प्रस्ताव।
- संचार व वितरण हानियों को कम कर 13 प्रतिशत करना।
- पहले व दूसरे चरण में 1,40,477 नम्बर गले सड़े विद्युत खम्बों को बदलने का प्रस्ताव।

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

13.8 हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हि0प्र0 सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, का गठन 27 अगस्त, 2008 को प्रदेश के

संचार प्रणाली को मजबुत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

कॉरपोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से उपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबुती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार पलान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपुर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुडे सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के उर्जा मंत्रालयों तथा हि0प्र0राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय; विश्वसनियता, सुरक्षा तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यवरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि0प्र0 उर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमे से प्रथम चरण के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनबरी, 2012 से प्रभावी हो गया है जिसके अन्तर्गत निम्न 4 परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगाः

- किनौर जिले में 400 / 220 / 66 के0वी0 2X315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य सम्भवतः वर्ष 2012 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।
- किनौर जिले में 220 / 66 / 22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टु का कार्य शुरु हो गया है तथा इसे मार्च,2013 तक तैयार कर दिया जाएगा।
- 400 / 220 / 66 के0वी0 2X315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगतिनगर, (कोटखाई) जिला शिमला का कार्य इस वर्ष शुरु कर दिया जाएगा। यह कार्य सम्भवतः वर्ष 2012 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।
- हाटकोटी से प्रगतिनगर जिला शिमला में 220 के0वी0 क्षमता की संचार लाईन का निर्माण कार्य भी इस वर्ष 2012 के दौरान शुरु कर दिया जाएगा।

हि0प्र0 प्रदेश संचार निगम द्वारा नई आने वाली पन बिजली परियोजना से विद्युत दोहन को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य आर0ई0सी0 की ऋण योजना मे किये जा रहे हैं:–

- जिला कुल्लू में 33 / 220 के0वी तथा 2X31.5 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोज़ल जिला कुल्लू के निमार्ण कार्य इस वर्ष में शुरु कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33 / 220 के0वी0 तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां जिला चम्बा का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त राज्यों की विभिन्न घाटियों में छोटी व बडी पन बिजली परियोजनाओं के विद्युत संचार पर लगभग ` 1,600 करोड़ की राशि ए.डी.वी. एवम् घरेलू निधि से खर्च करना प्रस्तावित है।

अ) राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमउर्जा के द्वारा विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता का विवरण निम्न हैः–

i) राज्य क्षेत्रः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	आन्ध्रा	यमुना	16.95
2	गिरी	यमुना	60.00
3	गुम्मा	यमुना	3.00
4	रूक्ती	सतलुज	1.50
5	चावा	सतलुज	1.75
6	रौंगटोंग	सतलुज	2.00
7	नोगली	सतलुज	2.50
8	भावा	सतलुज	120.00
9	घानवी	सतलुज	22.50
10	विनवा	ब्यास	6.00
11	गज	ब्यास	10.50
12	वनेर	ब्यास	12.00
13	बस्सी(उहल–11)	ब्यास	60.00
14	लारजी	ब्यास	126.00
15	खौली	ब्यास	12.00
16	साल–।।	रावी	2.00
17	होली	रावी	3.00
18	भूरी सिंह पावर हाउस	रावी	0.45
19	किलाड	चिनाव	0.30
20	थिरोट	चिनाव	4.50
21	भाबा ओगमैंटेशन	सतलुज	4.50
22	हिमउर्जा (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत)	–	1.95
	उप–योग–(i)		**473.40**

ii) केंद्रीय/ संयुक्त क्षेत्र:

क.सं.	परियोजना	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	यमुना परियोजनाएं (हि.प्र.का भाग)	यमुना	132
2	भाखड़ा	सतलुज	1478
3	नाथपा झाखड़ी	सतलुज	1500
4	वैरा स्यूल	रावी	198
5	चमेरा–I	रावी	540
6	चमेरा–II	रावी	300
7	उहल–I (शानन)	व्यास	110
8	पौंग डैम	व्यास	396
9	वी.एस.एल.	व्यास	990
	उप–योग–(ii)		**5644**

iii) निजी क्षेत्र :

क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएं:

कम संख्या	परियोजना का नाम	नदी तट	संस्थापित क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1.	बास्पा–II	सतलुज	300
2.	मलाना–I	ब्यास	86
3.	पतिकरी	ब्यास	16
4.	टॉस	ब्यास	10
5.	सरबरी–II	ब्यास	5.4
6.	एलायन दुहांगन	ब्यास	192
7.	करछम वांगटू	सतलुज	1000
8.	अप्पर ज्वाईनर	रावी	12
	उपयोग– (क)		**1621.4**

ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3
1.	सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में	175
	उपयोग– (ख)	**175**
	योग–iii (क + ख) (1621.4+175)	**1,796.4**

कुल प्रचलनाधीन परियोजनाए

दिसम्बर,2011 तक : (i)+(ii)+(iii) = 473+5644+1796 = 7,913 मैगावाट

अ निजी क्षेत्र में निष्पादित परियोजनाएंः

1. वासपा जल विद्युत परियोजना–।। (300 मैगावाट)

वासपा–।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम ओ यू एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया गया है। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

2 मलाना जल विद्युत परियोजना 86 मैगावाट

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशी के रूप में केन्द्रीय विद्युत नियांमक ने `332.71 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.7.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

3. पतिकारी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्धारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिष्द् द्धारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `126 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी, 2008 को चालू हो गई है।

4 एलियन दुंहागन हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि `922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28अगस्त,1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.वी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

5 सरवरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ **15.03.01** को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता **28.2.09** को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त,2010 को चालू हो गई है।

6. टौस हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडैशन, नया शिमला के साथ एम. ओ. यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

7. करछम वांगटू हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (1000 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 करछम हाईड्रो कारापोरेशन लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `6,930 करोड़ हैं। परियोजना का वार्षिक उत्पादन 4,560 एम.यू. है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लि0 नई दिल्ली के साथ क्रमशः 28.8.1993 एंव 18.11.1999 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना 18.11.2005 को शुरू की गई एवं अगस्त, 2011 को पूर्ण हो गई है।

8. अप्पर ज्वाइनर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (12 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 तेजस सारनिका हाईड्रो एनर्जीज़ प्रा0 लि0 को दी गई है।एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार एवं मै0 तेजज सारनिकन हाइड्रो एनर्जीस प्रा0 के साथ क्रमशः 12.01.2005 एंव 11.07.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना जुलाई, 2011 को चालू हो गई है।

परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं:

i) राज्य क्षेत्रः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	बस्सी आगुमैन्टैशन	ब्यास	6
2	गानवी–।।	सतलुज	10
3	उहल–।।।	ब्यास	100
4	कशांग–।	सतलुज	65
5	कशांग–।।–।।।	सतलुज	130
6	सावड़ा कुडू	यमुना	111
7	सैंज	ब्यास	100
	कुल (i)		**522**

ii) केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्रः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मैगावाट)
1	2	3	4
1	पार्वती–।।	ब्यास	800
2	पार्वती–।।।	ब्यास	520
3	चमैरा–।।।	रावी	231
4	कोलडैम	सतलुज	800

5	रामपुर	सतलुज	412
	कुल (ii)		**2763**

iii) निजी क्षेत्रः

क) 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मै0वा0)
1	2	3	4
1	नियोगल	ब्यास	15
2	मलाणा–।।	ब्यास	100
3	फोजल	ब्यास	9
4	तांगनू रोमोई–।	यमुना	44
5	तांगनू रोमोई–।।	यमुना	6
6	लम्बाहग	ब्यास	25
7	बड़ागांव	ब्यास	24
8	बनैर–।।	ब्यास	6
9	रौड़ा	सतलुज	8
10	बुधील	रावी	70
11	सोरंग	सतलुज	150
12	तिदोंग–।	सतलुज	100
13	चांजु–।	रावी	36
14	व्यास कुण्ड	ब्यास	9
15	कूट	सतलुज	24
16	लोअर उहल	ब्यास	10
17	सुमेज	सतलुज	14
18	कूर्मी	सतलुज	8
	कुल (क)		**658**

ख)	**5 मैगावाट तक की परियोजनाएंः**	
1.	सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमऊर्जा द्वारा प्रचलन में	175 मैगावाट
	कुल (ख)	**175मैगावाट**
	कुल (III) (क+ख) 658+175	**833 मैगावाट**

कुल परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं

i+ii+iii = 522+2,763+833 = 4,118 मैगावाट

निर्माणाधीन परियोजनाएं:

i) हि0प्र0रा0वि0बो0लि0 के अधीन:

क0 स0	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मै0 वा0)	सम्भावित क्षमता (मै0वा0)	चालू होने की सम्भावित तिथि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	उहल ईकाई–।।।	100.00	391.83	अक्तूबर 2012
2	घानवी ईकाई–।।	10.00	56.30	अगस्त 2012
	कुल	**110.00**	**448.13**	

1. उहल चरण –।।। हाईड्रो विद्युत परियोजना (100मै0वा0)

सभी पैकैज जैसे कि मुख्य सिविल, मकैनिकल तथा इलैट्रीकल कार्य अवार्ड किये जा चूके है तथा दिसम्बर 2011 तक 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चूका है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत `940.84 करोड़ है। यह परियोजना काफी बडे भौगोलिक क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें मुख्य सुंरग का कार्य रेतीले एवं कच्चे स्टैटा जिसमें सुंरग के कार्य का अनुबन्ध कम्पनी/ठेकेदार की कार्य प्रगती न होने के कारण रद् किया गया है तथा एच0 आर0 टी0 के शेष कार्यों 15 अक्तूबर 2010 में ठेकेदार को आबंटित किये गये है। संचार कार्य जैसे 132 के.वी. सिंगल सर्किट संचार लाईन चुलाह से बस्सी और 132 के.वी. संचार लाईन चुलाह से हमीरपुर (मटनसिद्ध) प्रगति पर है।

2. घानवी चरण –।। (10 मै0वा0)

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह आधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित है। बदला गया पानी 1.8 मीटर ब्यास की डी आकार 1,440 मीटर लम्बी सुरगं तथा एक पैन स्टाक 165 मी0 उंचा, दो टरवाईनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए लाया जाएगा। वार्षिक विद्युत उत्पादन 75 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। सभी घटकों जैसे कि सिविल, मकैनिकल तथा इलैट्रीकल कार्य पूरे जोरों पर है। यह परियोजना जून, 2012 तक पूर्ण होनी अपेक्षित है। संचार कार्य भी प्रगति पर हैं।

ii) हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीनः

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
क) निष्पादित परियोजनाएं		
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– I, II, III)	195
3.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
4.	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
5.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना	40
	जोड़(क)	**896**
ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं		
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	520
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	141
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
	जोड़(ख)	**1195**
ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं		
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	104
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	43
5.	देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	38
6.	चान्जू जल विद्युत परियोजना	42
7.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	जोड़(ग)	**934**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**3,025**

हि0प्र0पा0का0लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/निष्पादनाधीन परियोजनाएं:

1. साबड़ा कुडडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)

साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) रोहड़ू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। सनेल गांव के समीप पब्बर नदी के बाएं तरफ भूमिगत विद्युतगृह स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 213.50 मी0 कुल उंचाई से प्रति वर्ष 385.78 लाख यूनिट मु0 ` 4.44 प्रति यूनिट की दर से उर्जा उत्पन्न करेगी। यह परियोजना अप्रैल,2013 में पूर्ण हो जाएगी। सभी संवैधानिक कार्य विशेष एजैंसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके कार्य को चार पैकेज में बांटा गया है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों (जोकि सतलुज नदी की उपनदियां) पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा है:–

- **चरण– I (65 मैगावाट):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 उंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख यूनिटस `2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना अप्रैल,2013 तक चालू हो जाएगी।
- **चरण– II एवम् III (130 मैगावाट):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख यूनिटस `1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना की समाप्ति की तिथि नवम्बर,2014 रखी गई है।
- **चरण– IV (48 मैगावाट):** यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर उर्जा उत्पादन किया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिटस `3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।यह परियोजना अगस्त, 2014 में पूर्ण हो जाएगी।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मैगावाट)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर

में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1,593.93 लाख यूनिटस `3.70 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही है और इसके दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यह परियोजना जनवरी, 2017 में पूर्ण हो जाएगी।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):

रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 45,640 हैक्टर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 लाख यूनिटस `2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। विद्यमान 60 मैगावाट गिरी जल विद्युत परियोजना के द्वारा बांध पर अतिरिक्त 93.83 लाख यूनिटस बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मार्च,2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत `3,572.19 करोड़ आएगी जिसका भार भारत सरकार/दिल्ली सरकार तथा अन्य लाभान्वित राज्य उठाएगें। बिजली अवव्यय के मूल्य हि0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटिड के द्वारा उठाए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने का समय दिसम्बर,2018 है।

II. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :

भारत तथा प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा की मांगो को पूरा करने के लिये हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 जल ऊर्जा विकास के अलावा अन्य ऊर्जा क्षेत्रों जैसे उष्मीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, सौर तथा वायु ऊर्जा में कार्य करना चाहता है। रानीगंज, पश्चिम बंगाल में 500 मैगावाट का संयुक्त उपक्रम द्वारा उष्मीय ऊर्जा संयत्र स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए बिलासपुर जिला के नयनादेवी जी क्षेत्र में बैरा–डोल (5 मै0वा0) का चयन किया गया है साइट व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले से ही भूमि के लिए तैयार किया गया है, भूमि के लिए आवश्यक राजस्व कागज़ यानी ततिमा और जमाबन्दी एकत्रित किए गए हैं। भूमि के लिए पट्टा समझौते के लिए आवेदन डी0 सी0 बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। 5 मेगावाट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त हि० प्र० पा० का० लि०, आई.पी.पीज साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम द्वारा पवन ऊर्जा के दोहन के लिए योजना बना रहा है

iii) निजी क्षेत्र के अधीनः

5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

क.सं.	परियोजना का नाम	नदी तट	क्षमता (मै0वा0)
1	2	3	4
1	नियोगल	ब्यास	15
2	मलाणा–।।	ब्यास	100
3	फोजल	ब्यास	9
4	तांगनू रोमोई–।	यमुना	44
5	तांगनू रोमोई–।।	यमुना	6
6	लम्बाहग	ब्यास	25
7	बड़ागांव	ब्यास	24
8	बनैर–।।	ब्यास	6
9	रौड़ा	सतलुज	8
10	बुधील	रावी	70
11	सोरंग	सतलुज	150
12	तिदोंग–।	सतलुज	100
13	चांजु–।	रावी	36
14	व्यास कुण्ड	व्यास	9
15	कूट	सतलुज	24
16	लोअर उहल	ब्यास	10
17	सुमेज	सतलुज	14
18	कूर्मी	सतलुज	8
	कुल		**658**

1. नियोगल हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की ब्यास नदी की सहयोगी नदी है बनाया जाना है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरशन लि0 नई दिल्ली को दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `61.74 करोड़ होगी। इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम.ओ. यू. 28.8.93 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्धारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकतांए पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चौथा अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता 27.10..2006 को

कम्पनी के साथ किया। उर्जा खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मै0 पतिकारी पावर प्रा0 लि0 ने पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया। अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना 2012–13 में बन कर चालू हो जाएगी।

2. मलाना हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट–।। (100 मैगावाट)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की लागत `633.47 करोड़ है। इस परियोजना से 428 मैगा युनिट वार्षिक उर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट प्राइवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम ओ यू तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। परियोजना का कार्य पूर्ण हो गया है और चालू होने के अग्रिम चरण में है।

3. फोजल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (9 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 फोजल पॉवर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत `49.17 करोड़ है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 21.6.2000 एंव 13.04.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

4. तागंनू रोवांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट स्टेज–। (44 मैगावाट)

तांगनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित राशि `239.73 करोड़ है। इस परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. मै0 पी.सी.पी. इन्वेस्टमैंट लि0 और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार, मै0 तांगनू रोवाई पावर जनरेशन लि0 के साथ क्रियान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014–15 में चालू हो जाएगी।

5. तागंनू रोवांई स्टेज –।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (6 मैगावाट)

तांगनू रोवाई हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट शिमला जिला के तांगनू रोवाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। सरकार तथा कम्पनी के बीच एम.ओ.यू. एवं क्रियान्वयन समझौता क्रमशः 5.7.2002 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014–15 में चालू हो जाएगी।

6. लम्बाडुग हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (25 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्रोजैक्ट प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत `149.81 करोड़ है। एम.ओ.यू. मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ सरकार द्वारा 14.6.2002 को हस्ताक्षरित

हुआ। कार्यान्वयन समझौता 28.1.2006 को हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी भू–अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी की प्रक्रिया में है। इस परियोजना का कार्य 2013–14 में पूर्ण होने की संभावना है।

7. बड़ागांव हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (24 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34 सैक्टर नोयडा यू0पी0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत `168.09 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

8. बनेर–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत `30.36 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2012–13 में चालू हो जाएगी।

9. रौड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पुणे को दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत `42.03 करोड़ हैं। मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पुणे के साथ 4.2.1996 एवं 24.3.2008 को एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस यह परियोजना वर्ष 2013–14 में चालू हो जाएगी।

10. बुधील हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (70 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 लैंको ग्रीन पावर प्राईवेट लि0 को प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत `418.80 करोड़ है। एम.ओ.यू. मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता पर 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना का कार्य मार्च,2012 में पूर्ण होने की संभावना है।

11. सोरंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 हिमाचल सोरंग पावर प्राईवेट लिमिटिड को प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत `586.00 करोड़ हैं। एम.ओ.यू एवं कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.1.2006 को हुआ। इस परियोजना में निर्माणकर्ता 50 मैगावाट की अतिरिक्त इकाई स्थापित करेगा जिससे सोरंग परियोजना की क्षमता 150 मैगावाट हो जाएगी तथा 100 मैगावाट क्षमता की स्थापना 2012–13 तक हो जाएगी।

12. तिदोंग–। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 को प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत `500.11 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर

क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना 2013–14 तक चालू हो जाएगी।

13. चांजु–I

यह परियोजना मै0 इण्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट्स को दी गई है। 25 मैगावाट संस्थापित क्षमता के लिए एम.ओ.यू. 20.12.2007 को हस्ताक्षरित किया गया। 36 मैगावाट के लिए हि0प्र0रा0वि0बो0लि0 ने टैक्नो इकोनोमिक कलीयरैंस के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत की है जिसके कार्यान्वयन समझौता पर 12.6.2009 को हस्ताक्षर हुए हैं। चांजू–II के उन्नयन में अड़चन आने के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचारधीन है।

14. ब्यासकुण्ड (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा0 लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 23.03.2001 व 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना का निर्माण कार्य मुख्य घटकों पर चल रहा है तथा इस परियोजना की मार्च,2012 तक पूरा होने की सम्भावना है।

15. कुट (24 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कुट एनर्जी प्रा0 लि0, नोयडा, यू0 पी0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 28.04.2007 व 25.05.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत `196.5 करोड़ है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2012–13 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

16. लोअर उहल (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 ट्राईडैंट पॉवर सिस्टम लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 05.02.2005 व 29.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

17. सुमेज (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रंगाराजु वेयर हाउसिंग प्रा0 लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 11.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तथा यह परियोजना निष्पादन के लिए तैयार है।

18. कूर्मी (8 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 19.06.2007 व 10.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2012–13 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

अतिरिक्त क्षमता बढ़ौतरी/नई चिन्हित परियोजनाएंः

क.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मैगावाट)
1	**2**	**3**
1.	देवी कोठी–।।	16.5
2.	साई कोठी–।।	15
3.	चौबिया–।	15
4.	रौला फेर	20
5.	हैल चन्दरू	18
6.	हरूइन	15
7.	चासग	18
8.	ढेला	20
9.	यूर धरेठ	17
10.	चोटी सैचु	26
11.	कुलिंग लारा	40
12.	लारा	60
13.	मनैनादंग	70
14.	सटिंगरी	98
15.	जांगलिक	18
16.	रोपा	12
17.	दोनाली	16.5
18.	रूपिन	15
19.	हौजी	10
20.	वांगर	10
21.	बुजलिंग	10
22.	सेरी रावला	13
23.	बलसोटी	30
24.	टुंडा	18
25.	अप्पर महाल	9
26.	लोअर महाल	8
	कुल	**618**

हिम उर्जा

13.9 हिमउर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उजा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। उर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक उर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र,

सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान उपलब्धियां (दिसम्बर, 2011 तक तथा मार्च,2012 तक प्रत्याशित) तथा वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न है:

(क) सौर उष्णता संबन्धी कार्यक्रम

(1) **सौर जल तापीय संयत्रः** दिसम्बर, 2011 तक 1,83,100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र मार्केट मोड रेट कान्ट्रैक्ट माध्यम से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं मार्च, 2012 तक प्रत्याशित उपलब्धि 5,00,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2012–13 के लिए 5,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

(2) **सौर कुक्करः** चालू वित्त वर्ष में 288 सौर कुकर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए तथा मार्च,2012 तक प्रत्याशित उपलब्धि 1,000 सौर कुक्कर होगी। वर्ष 2012–13 के लिए 2,500 सौर कुक्कर का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

(ख) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

(1) **सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियाः** 1,439 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई गई हैं तथा मार्च,2012 तक प्रत्याशित उपलब्धि 1,540 होगी।

(2) **सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियाः** 1,533 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर, 2011 तक स्थापित की जा चुकी है, मार्च, 2012 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 2,000 होगी। वर्ष 2012–13 के लिए 9,000 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 1,000 अनुसूचित जाति उप योजना तथा 8,000 भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत है।

(3) **सौर प्रकाशवोल्टिय सौर लालटेनः** 1,488 सौर प्रकाशवोल्टिय सौर लालटेन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई गई हैं तथा मार्च,2012 तक प्रत्याशित उपलब्धि 1,515 होगी।

(ग) निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाएं

इस अवधि के दौरान 23 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 73.55 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4 परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 16.50 मैगावाट है स्थापित की गई है। 16 परियोजनाएं जिनकी संस्थापित

क्षमता 19.96 मैगावाट हैं को प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी गई। वर्ष 2012–13 के लिए 25 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 67.45 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) हिमउर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं

(1) **लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः** हिम उर्जा द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। यह सभी परियोजनाएं ग्रिड से जुड़ी हैं। सुराल, पुरथी, लिंगटी तथा साच परियोजनाओं से केवल जनजातीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों को ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2011 तक इन परियोजनाओं से 34,73,189 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमउर्जा द्वारा निष्पादित की गई है जिनमें उत्पादन हो रहा है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय जनता को बहुत ही कम स्थिर मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इन परियोजनाओं के रख रखाव का खर्चा इनसे होनी वाली आय से अधिक है क्योंकि यह जनजातीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। विलिंग (400 किलोवाट) परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा इसकी एक यूनिट को 15.11.2011 से परीक्षण पर चलाया गया है। 19 नई परियोजनाएं हिमउर्जा को सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। इनमें से 16 परियोजनाओं (61.28 मैगावाट) है जो पनपने योग्य हैं जिनमें से 14 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उर्जा निदेशालय को टी.ई.सी. के लिए भेजी गयी हैं। 4 परियोजनाओं हेतु टी.ई.सी. प्राप्त हो गयी है । शेष 2 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(2) **लघु जल विद्युत जनरेटर सेटसः** हिमउर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में तथा शिमला जिला के डोडरा क्वार में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय जनता/ नजदीकी क्षेत्र को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्चा इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

(ङ) राज्य स्तरीय उर्जा पार्क

हिमउर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की स्कीम अनुसार 2 राज्य स्तरीय उर्जा पार्कों की स्थापना की जानी है जिनकी नवीनतम प्रगति निम्न प्रकार हैः

- उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में राज्य स्तरीय उर्जा पार्क की स्थापना हेतु विभिन्न सयंत्रों की स्थापना के लिए भवन निर्माण का कार्य ठेकेदार के माध्यम से प्रगति पर है।
- एन.आई.टी. हमीरपुर में अन्य राज्य स्तरीय उर्जा पार्क स्थापित करने हेतु विभिन्न सयंत्रों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य 8 जुलाई,2011 को कम्पनी को दे दिया गया है। एन.आई.टी. हमीरपुर ने सभी सिविल कार्यों का खर्चा तथा अतिरिक्त कोई भी कार्य स्वंय करने हेतु माना है ।

(च) सौर शहरों का विकास

शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम अनुसार इन्हें सौर शहरों के रूप में विकसित करने हेतु सिद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसके तहत शिमला शहर के लिए `42,95,000/– तथा हमीरपुर शहर के लिए `42,80,000/– भारत सरकार ने विभिन्न चिन्हित गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उदे्श्य आगामी 5 वर्षों के दौरान पारम्परिक उर्जा की मांग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाना है जोकि उर्जा गुणवता माप तथा अक्षय उर्जा की आपूर्ति में वृद्वि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । स्टेक होल्डर कमेटी की बैठकें शिमला तथा हमीरपुर में आयोजित की गई हैं। दोनों शहरों के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप परामर्शदाताओं ने तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे नगर निगत शिमला/नगर परिषद हमीरपुर तथा हिमउर्जा द्वारा जांचा जा रहा है ।

(छ) क्षेत्र विशेष प्रदर्शन परियोजना स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय तथा 12 उपायुक्त कार्यालयों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए `23.44 लाख दिनांक 19.08.2011 को स्वीकृत किए हैं जिसमें एक 6.5 किलोवाट का सौर उर्जा पलांट, 2000 लीटर प्रतिदिन क्षमता (2x1000 एल.पी.डी.) के सौर जल तापीय सयंत्र तथा 6 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां शामिल हैं। 12 उपायुक्त कार्यालयों के लिए `106.20 लाख दिनांक 17. 11.2011 को स्वीकृत किए गए हैं जिसमें प्रत्येक उपायुक्त कायार्लय में एक 4 किलोवाट का सौर उर्जा पलांट तथा 200 लिटर प्रतिदिन क्षमता का सौर जल तापीय सयंत्र स्थापित किया जाना है ।

(ज) बजट प्रावधानः

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ` 545.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर. एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय उर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवं संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर,2011 तक 34,000 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया हैं। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2011–12 के लिए इस हेतु ` 657.02 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2011–12 का लक्ष्य एवं दिसम्बर,2011 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:–

मद	इकाई	लक्ष्य 2011–12	उपलब्धियां दिसम्बर 2011 तक	2011–12 सम्भावित
1.	2	3	5	6
1. वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	665	365	500
2.जल निकास	कि0मी0	1090	637	800
3.पककी तथा विरालित सडकें	कि0मी0	1005	424	700
4.जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	20	5	20
5. पुल	संख्यां	47	24	47
6. गांव जुड़े	संख्या	195	79	160

सारणी 14.1

टिप्पणीः लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना

14.2 हिमाचल प्रदेश 31.12.2011 तक 9,709 गांव सड़कों से जोड़े गए जिनका ब्यौरा सारणी 14.2 में दिया जा रहा है।

सड़कों से जुड़े गांव	31 मार्च को संख्या				31.12.11 तक
	2008	2009	2010	2011	
1	3	4	5	5	6
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	200	202	205	208	208
1000–1500 की जनसंख्या वाले	248	262	266	266	270
500–1000 की जनसंख्या वाले	1050	1151	1208	1216	1243
200–500 की जनसंख्या वाले	2970	3092	3191	3240	3269
200से कम की जनसंख्या वाले	4371	4536	4671	4700	4719
कुल	**8839**	**9243**	**9541**	**9630**	**9709**

सारणी 14.2

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 1,458 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोड़ज तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। अभी तक ` 100.40 करोड़ दिसम्बर,2011 तक खर्च किए गए।

रेलवे

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूड्रू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, आटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रदेश में अन्य परिवहन सुविधाएं नगण्य होने के कारण निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदेश के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम द्वारा वर्ष 2011–12 में अनुमानित राजस्व में `18 करोड़ की वृद्धि हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के जनमानस को राज्य में तथा राज्य से बाहर लोगों को 2,034 बसों और 2 संबंधित बसें (अक्तूम्बर,2011 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। कुल 2,090 प्रचालन मार्गों से 1,65,546 हजार कि0मी0 क्षेत्र तय किया गया। प्रदेश के अत्याधुनिक अद्वितीय अर्न्तराष्ट्रीय बस ठहराव (आई.एस.बी.टी.) टुटीकण्डी, रामपुर, सुन्दरनगर व आनी के बस ठहरावों का निर्माण करके जनता को समर्पित किए गए। इसके साथ ही धर्मपुर (सरकाघाट) , मनाली तथा जुब्बल बस अड्डों का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है जिसे भी शीघ्र ही जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजनाः** विभाग ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना अंकित की गई है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

ii) **वाल्वो लगजरी वातानुकुल बसेः–** निगम ने प्रतिष्ठाग्राही मार्गों पर 11 वाल्वो लगजरी वातानुकुलित तथा 4 इसूजू बसें शिमला–मनाली तथा धर्मशाला–दिल्ली के लिए चलाई हैं।

iii) **वातानुकुलित बसेंः–** निगम ने 21 टाटा/ लैलैण्ड की वातानुकुलित बसें सुखद श्रेणी में प्रतिष्ठाग्राही मार्गों दिल्ली, चण्डीगढ़, हरिद्वार तथा धर्मशाला, नालगढ़, रामपुर, जोगिन्द्रनगर, मनाली पर चलाई गई हैं।

iv) **डिलक्स/सेमी डिलक्स बसेंः** परिवहन विभाग रिकॉग–पिओ, मनाली, हमीरपुर, धर्मपुर, चम्बा, धर्मशाला, ज्वालाजी तथा मण्डी से दिल्ली, चण्डीगढ, शिमला, धर्मशाला तथा मनाली के लिए 25 डिलक्स तथा 31 सेमी–डिलक्स बसों का संचालन कर रहा है।

v) निगम द्वारा पंजाब, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली राज्यों को भी अपनी बसें चलाई हैं।

vi) निगम द्वारा भैया दूज व रक्षा बन्धन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुसलिम

महिला के लिए भी “बकरीद” पर भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।

vii) **शिमला शहर में टैक्सी सेवाएंः** निगम द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वरिष्ठ नागरिकों, अपंगों तथा रोगियों और आम जनता को आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के उदेश्य से शिमला शहर में 21 टैक्सियों की सेवाओं का संचालन किया है इसे और अधिक सशक्त किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके।

viii) **ऑन लाईन बुकिंगः** शिमला, चण्डीगढ, दिल्ली, हरिद्वार, चम्बा, धर्मशाला, कांगडा, पालमपुर, बैजनाथ, हमीरपुर, कुल्लू, मनाली तथा मण्डी से सभी प्रकार की बसों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाईन आरक्षण सेवा दी है तथा लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी यह सेवा उपलब्ध है।

ix) **बस अडडों का विस्तार एवं निर्माणः** हि. प्र. बस अडडा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वारघाट, मैहरे, संधोल, बच्छबाड (सरकाघाट) तथा कोटली में बस अडडों का निर्माण तथा करसोग बस अडडे का विस्तार किया जाना है। हमीरपुर, उना तथा परवाणू के बस अड्डों का निमार्ण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

x) **आधुनिक बस ठहराव** :– पी.पी.पी. आधार पर सात आधुनिक बस ठहराव बिलासपुर, चिन्तपूर्णी, बद्द्वी, रोहड़ू, मनाली, नालागढ़ तथा बैजनाथ निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति भी प्रदान कर दी है।

xi) **शॉपिंग माल बस ठहराव एवं बहुमंजिला कार पार्किंगः**– पालमपुर में पी.पी.पी. आधार पर शॉपिंग माल एवं बहुमंजिला कार पार्किंग तथा लक्कड बाजार शिमला में बस ठहराव के साथ ही बहुमंजिला कार पार्किंग निर्माण प्रस्तावित है।

xii) **नई कार्यशालाः**– हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में उना, सुन्दरनगर तथा चम्बा में नई कार्यशाला निर्माण के लिए प्रस्तावित है।

xiii) हमीरपुर, उना तथा परमाणू में डी.बी.ओ.टी. के आधार पर आधुनिक बस अड्डे बनाने के लिए रियायत करारनामे पर हस्ताक्षर किए गए।

परिवहन विभाग

14.7 विभाग परिवहन सेवाओं को केन्द्रीकरण और यातायात सुविधाओं को सुचारू तौर से चलाने के लिए विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत बचनबद्व है। जैसे गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, ड्राईविंग लाईसैंस, प्रदूषण मानक नियंत्रक अनुदेशों का सख्ती से केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1988 के अन्तर्गत अनुसरण आदि करना है।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स/फीस जैसेः टोकन टैक्स, एस.आर.टी. आर. पी.एफ. तथा लाईसैंस फीस आदि से वर्ष 2011–12 के दौरान ` 11,483 लाख की राजस्व प्राप्तियां नवम्बर,2011 तक प्राप्त की गई जबकि विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन अपराध के माध्यम से गाड़ियों के चालान द्वारा ` 397.74 लाख (नवम्बर,2011तक) की

राशि एकत्र की गई। विभाग ने इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गये:—

i) **हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजनाः**
परिवहन विभाग ने नई योजना "हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना" चलाई है। इस योजना के तहत नए रूट परमिट, विशेषकर नई खोली गई "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री पथ योजना" (22 यात्रियों की क्षमता से अधिक नहीं) के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं एवं चालक/ परिचालक सहकारी सभाओं तथा विधवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुदृढ़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत कुल 69 मार्गों का आंवटन किया गया है।

ii) **दुर्घटना को कम करने के उपाय**
ड्राईवर द्वारा चलती गाड़ी में मोबाईल सुनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ड्राईविंग स्कूल में 30 दिन के स्थान पर 60 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। ड्राईविंग स्कूल का नियमित निरीक्षण, दुर्घटना स्थल की पहचान, काले धब्बे तथा लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि नियमों का सख्ती से पालन करना ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

iii) **राष्ट्रीय उच्च मार्ग दुर्घटना आपदा सेवा योजना**
सड़क सुरक्षा नियम के तहत भारत सरकार द्वारा 13 क्रैनों के लिए प्रदेश को प्रचलित वर्ष 2011—12 में दिसम्बर,2011 तक स्वीकृति प्रदान की है। विभाग द्वारा 20 क्रैनों, 18 रोगी वाहन, 10 सीमुलेटर, 15 गति अवरोधक राडार, 20 धुम्रपान मीटर तथा 20 गैस मापयंत्रों के लिए एन.एच.ए.आर.—55 के अन्तर्गत प्रस्ताव केन्द्र को प्रेषित किया गया।

iv) **उत्तराखण्ड राज्य से अनुबंधः**
दोनों राज्यों के परिवहन साधनों को सुचारू तौर से चलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुबंध किया गया।

v) **धर्मकांटा की स्थापनाः** सामान ढोने वाले वाहनों के अधिक भार को नापने के लिए 8 धर्मकांटे प्रवेश पुलों/अर्न्तराज्य सीमाओं पर लगाए गए।

vi) **कम्पयूटरीकरणः** प्रचालकों को उपयुक्त सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग से सम्बन्धित कार्यकलाप को निपटाने को प्राथमिकता के आधार पर कम्पयूटिकरण किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन बैरियरों का भी कम्पयूटरीकरण किया है। शीघ्र ही इस सुविधा से पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी जोड दिया जाएगा।

vii) **उच्च सुरक्षा पंजीकरण पटि्टकाः—**
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हि.प्र. राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों की संख्या पटि्टका को उच्च स्तरीय सुरक्षित पंजीकृत पटि्टकाओं में बदलने का निर्णय लिया गया है जिसका कार्य 15 जून, 2012 तक पूर्ण किया जायेगा।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए आर्थिकी के निर्वाह की अपार सम्भावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार तन्त्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्य कलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व संसाधन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसेः– भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, शांत व सुन्दर नदियां व झरनें, पवित्र स्थल, एतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोग।

15.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अंतर्गत जन

उपयोगी सेवाएं जैसे सड़कें, संचार, हवाई अडडे, परिवहन सुविधाएं, जलआपूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरों की तरह गांव में भी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास में सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 के लिए पर्यटन के अंतर्गत ` 2,094.44 लाख एवं नागरिक उड्डयन के अंतर्गत `167.97 लाख का प्रावधान किया गया है। अभी दिसम्बर,2011 तक 56,023 बिस्तरों की क्षमता के 2,150 होटल विभाग में पंजीकृत हैं।

15.3 वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने निम्न योजनाएं स्वीकृत की हैं :–

(` लाख)

क0 सं0	पर्यटन सर्किट/गन्तव्य का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि	भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	2	3	4
1.	कुल्लू दशहरा,2011	5.00	5.00
2.	रिवर राफ्टिंग,2011	10.00	10.00
3.	पर्वत मोटर साईकिल गतिविधि,2011	10.00	10.00

15.4 विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर निम्नलिखित 7 रज्जू मार्ग निजि क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव है जो इन्हें बनाएं, चलाएं तथा स्थानान्तरित करें।

1. भून्तर से बिजली महादेव, जिला कुल्लू।
2. पलचान से रोहतांग (मनाली), जिला कुल्लू।
3. न्यूगल (पालमपुर), जिला कांगड़ा।
4. शाहतलाई से दियोटसिद्व, जिला बिलासपुर।
5. खटयारा से टरयूंड, जिला कांगड़ा।
6. आनन्दपुर साहिब से नयनादेवी जी जिला बिलासपुर।
7. गांव जिया से आदि हिमानी चामूण्डा जिला कांगड़ा।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी से निम्न छः परियोजनाओं को चलाने हेतु प्रयास किए गए हैं:–

क्रम संख्या	स्थल का नाम
1	2
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	15 मील बड़ागांव, जिला कुल्लू
3.	झंटीगरी, जिला मण्डी
4.	शोजा बन्जार, जिला कुल्लू
5.	बिलासपुर
6.	सुकैती, जिला सिरमौर

प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से राज्य में पयर्टन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रचार के क्षेत्र में विभाग ने 'ब्रांड हिमाचल' को आकर्षक डेस्टिनेशन के अंतर्गत् **'कभी भुला न पाआगे'** शीर्षक के अन्तर्गत स्थापित किया है। हाल ही में माह नवम्बर,2011 में सी.एन.बी.सी. ने विभाग को पूरे देश में **विशिष्ट राज्य तथा विशिष्ट पहाड़ी गंतव्य शिमला** के पुरस्कार से सम्मानित किया।

15.5 पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा निजी होटल मालिकों के साथ विभाग तथा पर्यटन निगम प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले पर्यटन मेलों व उत्सवों में भाग लेता है।

15.6 समय–समय पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार–पत्रों, दूरदर्शन एवं इलैक्ट्रोनिकी माध्यम की सहायता ली गई। विभाग द्वारा 20 वर्षों की राज्य पर्यटन मास्टर योजना तैयार की है तथा अन्य विभाग भी अपनी विभागीय गतिविधियों में पर्यटन को ओषधि के रूप में विकसित कर रहे हैं

15.7 विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए विभिन्न साहसिक व सामान्य प्रशिक्षण का अयोजन किया गया जैसे ट्रेकिंग, जल क्रीड़ा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर रॉफटिंग व वर्ड वॉचिंग इत्यादि। विभाग प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इस वर्ष विभाग द्वारा पर्यटन से संबंधित निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:–

1. विश्व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर, 2011)
2. मसरूर उत्सव (दिनांक 21 दिसम्बर, 2011)
3. पर्वत मोटर साईकिल गतिविधि, 2011

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अडडे है। जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से है:–

क) शिमला हवाई अडडा : शिमला हवाई अडडे के रनवे का आकार 4,100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। रनवे छोटा होने के कारण केवल ए.टी.आर स्तर के विमान के लिए सेवा ही उपलब्ध है।

ख) कुल्लु हवाई पट्टी :–इस हवाई अडडे के रनवे का आकार 3,800 X 100 फुट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचित किया है कि इस हवाई अडडे के रनवे को 550 मी0 से 1678 मीटर तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे ATR–72 टाईप का एयरक्राफट इस हवाई अडडे पर उड़ान भर सके।

ग) कांगड़ा हवाई पटटी :–इस हवाई पटटी के रनवे का आकार 3,900 X 100 फुट था जिसे 4,500 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72 टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने शुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा रनवे को 418 X 250 मीटर तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

घ) प्रदेश में नए अड्डे:– विभाग द्वारा प्रदेश में अन्य उपयुक्त स्थानों पर हवाई अड्डे निजि क्षेत्र की भागीदारी से बनाने की सम्भावनाएं तलाश रहा है। शिमला के नजदीक बड़े हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि की तलाश की जा रही है।

हैलीपैड :

15.9 प्रदेश में 57 हैलीपैड है तथा 12 नये हैलीपैडों के निर्माण का मामला विचाराधीन है।

हैली–टैक्सी सेवाएं :

15.10 सरकार द्वारा राज्य के दुगर्म एवं जन–जातीय क्षेत्र में यातायात को और सुगम बनाने हेतु हैली–टैक्सी सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है। हैली–टैक्सी सेवा द्वारा राज्य में हवाई सम्बन्ध बनाने के लिए शिमला–चण्डीगढ़–दिल्ली के बीच में चलाई जा सकती है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 90.83 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 76.60 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है जिसका उद्धेश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,768 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,511 कियाशील हैं। 257 पाठशालाओं का बच्चों की संख्या 10 से कम होने के कारण विलय किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान (31.12.2011 तक) राज्य में 2,269 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,265 कार्यरत हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढौ़तरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति, लाहौल व स्पिति प्रणाली पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढा़ने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफत पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। माननीय

उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 सितम्बर,2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 797 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित पाठशालाओं में वर्ष 2008–09 से छठी कक्षा से पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है जिसके लिए अध्यपाकों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर दी गई है।

उपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2011–12 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को क्रमशः `400 व `800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ` 150 प्रति विद्यार्थी को तथा (छठी से आठवीं कक्षा तक) ` 250 प्रति छात्र तथा ` 500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iii) अनुसूचित जाति परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ` 150 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iv) सैनिकों के बच्चों को ` 150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी पहली से पांचवीं तथा छठी से आठवीं तक के छात्र को `250 व `500 प्रति छात्रा प्रतिवर्ष दी जा रही है।

v) अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों से संबधित प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ` 750 तथा (छठी से आठवीं कक्षा तक) ` 900 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

सर्व शिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघू योजनाएं आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना था।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए (घुमन्तू एवं अन्य)** हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या दर 99 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की

संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र (NRBCCs) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह पाया जाता है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0 सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित किया और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री के बाद इन्हे इनकी आयु अनुरूप कक्षा में विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 2,414 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो जिसमे 105 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.बी.सी के माध्यम से दी जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

- **समावेशित शिक्षा**

  हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, वाले कुल 18,211 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। 15,700 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 2,511 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु के अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 530 बच्चों को विभिन्न जिलों में 24 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापको द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **स्त्रोत शिक्षकों द्वारा शैक्षिक समर्थन**

  समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग है। लगभग 1,332 सेवारत अध्यापकों को इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विद्यालय (भोपाल) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं अति गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम का सहारा लिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक

माह में लगभग 5 दिन इन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान कर रहें है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसे : (1)स्वंय सहायक कौशलः शौच, भोजन, स्नान आदि (2)मोटर क्रियाएंः इस के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक। व्यवसायिक चिकिसिक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है।

- **चिकित्सीय सेवायें**
  मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। चूंकि भौतिक चिकित्सकों की कमी के कारण यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।

- **IEP/ITP तैयार करना**
  प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चें के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई। अब इस तरह के बच्चे को Open स्कूलों के माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।

- **व्यवसायिक प्रशिक्षण**
  कुछ अच्छे स्तर वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कई जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू किये गये जैसे : मोमबत्ती बनाना, चॉर्ट बनाना, पेपर बैग फाइल कवर, लिफाफे आदि।

- **अभिभावकों के लिए परामर्श**
  पुनर्वास प्रक्रिया का महतवपूर्ण पहलू है विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक जन गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।

- **सामुदायिक भागीदारी**
  प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है।

- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन शिक्षा महत्वपूर्ण रूप में कार्य कर रही है।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र**
  जिला शिमला, मंडी और कांगड़ा में तीन देखभाल केन्द्र स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे शिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

- **चिकित्सीय मूल्यांकन**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान हेतु चिकित्सीय शिविर आयोजित किये जा रहे है। इन चिकित्सीय शिविरों द्वारा प्रत्येक बच्चें को आवश्यकतानुसार सहायता उपकरण जैसे व्हील चेयर, चश्में, सी.पी.चेयर इत्यादि प्रदान की गई। उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शल्य चिकित्सा की गई जिन्हें शैक्षणिक व्यवस्था को लगाने तथा अपंगता का स्तर प्रमाणित करने के लिए उच्च स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा इसके लिए योजना बनाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है।

- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ता**
  चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक तथा यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।
- **अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें**
  शिमला के विशेष आश्यकता वाले बच्चों के स्कूल ढ़ली में कक्षा I-VIII की अच्छे व बड़े अक्षर वाली पाठ्य पुस्तकें दी गई और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई।
- **बाधा रहित पहुंच**
  हिमाचल प्रदेश के कुल 2,875 विद्यालयों में जहां भवन में जगह सम्भव है, बाधा रहित पहुंच प्रदान की गई हैं।
- **आई.ई. किया कलापों का मुल्याकंन**
  रिसार्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही मुल्याकंन के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक मुल्याकंन प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगीं।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तिय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी संसाधन शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिर्पोट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत कम है या न के बराबर है। राज्य सरकार स्कूल छोड़ने की प्रवृति कम करने में सफल रही है। डी.आई.एस.ई. डाटा के अनुसार एलिमैंटरी स्तर पर यह दर बहुत ही कम है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं का सर्वेक्षण करवाने पर पाया कि वर्ष 2001–02 में 98 प्रतिशत बच्चे ग्रेड–1 नामांकित थे तथा 2 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर

सके। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ड्राप आउट रेट चैक करने में काफी हद तक सफल रही है। परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान ने "प्रथम" के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहा है।

बालिका शिक्षा

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

16.8 प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश के चार जिलों शिमला, मण्डी, सिरमौर तथा चम्बा जिला के 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) चल रहा है। (चम्बा के मेहला, पांगी, तीसा, भरमौर व सलूणी, जिला मण्डी के सराज, जिला शिमला के चौहारा व जिला सिरमौर के शिलाई ब्लॉक) में जहाँ 1991/2001 जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे व लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। तीन खण्ड़ चम्बा का भरमौर, शिमला का चौहारा व मण्ड़ी का सरॉज जो 1991 जनगणना के अनुसार NPEGEL की शर्तों को पूरा कर रहे थे, अब 2001 की जनगणना अनुसार इन खण्डों में साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। मॉडल स्कूल स्कूलों में एक अतिरिक्त कमरा, लड़कियों के लिए शौचालय, बालिका–शिक्षा अनुकूल शिक्षण अधिगम साम्रगी, पुस्तकालय व खेल गतिविधियां आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त NPEGEL के अन्तर्गत शिक्षा कौशल गतिविधिया जैसें कराटे, सिलाई, चम्बा रूमाल कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार, योग, चित्रकला, दरी बनाना, आचार, चटनी बनाना, स्वास्थ्य शिक्षा योग, कम्पयूटर शिक्षा, मोमबती बनाना, हस्तकला, उद्यान एवं बागवानी, अग्निशमन, मशरूम उत्पादन, खिलौने बनाना, बुनाई, टाट–पटटी बनाना, झाड़ू बनाना इत्यादि।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.9 वर्तमान मे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं व अल्पसंख्यक (Minority) बालिकाओं के लिए 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का प्रावधान किया गया है जो 441 बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इन प्रत्येक विद्यालय में 50 बालिकाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 8 विद्यालय पूर्णतया निर्मित है व 2 विद्यालय प्रगति पर हैं।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.10 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन माध्यम द्वारा बच्चों का मूल्यांकन जॉच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। आज रटना, व लिखित परीक्षा के बजाए उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। बच्चों के अधिगम संवर्घन हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'आधार' व 'संवृद्धि' चलाए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सीखने की गति को Child Tracking प्रणाली द्वारा ग्रेड दर्ज किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रूप से विकसित सॉफटवेयर में छात्रों की

उपलब्धियॉ, शैक्षिक प्रगति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस अभिलेख में छात्र का कक्षावार, स्कूल, संकूल, खण्ड व जिलावार प्रगति का त्रैमासिक संकलन किया जाता हैं। इस सॉफटवेयर में प्रत्येक बच्चें की संचयी उपलब्धि को स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चें को अलग पहचान संख्या दी जाएगी ताकि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल (राज्य में अपितु राज्य के बाहर) आसानी से Trace किया जा सकेगा।

विद्यालयों का मुल्याकंन

16.11 निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य मिशन प्राधिकरण, सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में अनुश्रवण को आवश्यक रूप से शामिल किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य अनुश्रवण समिति बनाई गई है जिसमें पांच सदस्य मुख्यालय, एक सदस्य डाईट तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के अधिकारी शामिल है। अनुश्रवण समिति स्कूल के विकास तथा अन्य संबन्धित जानकारियां अनुश्रवण प्रपत्र पर भरती है तथा उन पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की जाती है। अब तक 67 खण्डों के 700 से अधिक विद्यालयों व सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा चुकी हैं।

क्षमता निर्माण

16.12 SIEMAT द्वारा राज्य के खण्ड स्त्रोत समन्वयकों (BRCs) की SSA, RTE व EFA सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तिमाही बैठक/कार्यशाला शुरू की गई है। सभी BRCs को नियमित रूप से विभिन्न खण्ड व संकुल स्तर पर गतिविधियों व कार्यक्रमों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

16.13

- **पाठ्य क्रम/पाठ्य पुस्तक नवीकरण**
  कक्षा पहली से पांचवी तक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का NCF 2005 के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए पाठ्य क्रम लेखकों (प्राथमिक अध्यापक, SCERT संकाय व विशेषज्ञ) के समूह को चिन्हित किया गया है। पाठ्य क्रम को तैयार करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा हैं।
- **अध्यापक प्रशिक्षण**
  अध्यापकों का सशक्तिकरण करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। प्रतिवर्ष प्रारम्भिक अध्यापकों के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।
- **शिक्षण अधिगम सामग्री/बाल मेला**
  यह आयोजन अध्यापक और बच्चों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। इसमें अध्यापकों और बच्चों को एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिलता है ।

- **कार्यात्मक (Functional) पुस्तकालय**

  राष्ट्रीय पाठयचर्या प्रारूप –2005 इस बात पर जोर देता है कि बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करें। पुस्तकालय को कियाशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही है :–

  i) पुस्तकालय का प्रयोग प्रशिक्षण माडयूल का एक अभिन्न अंग है।

  ii) रूम टू रीड के सहयोग से 200 स्कूलों व 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे पुस्तकालय स्थापित करना।

  iii) बच्चों और अध्यापकों से प्राप्त रचनाओं के आधार पर अक्कड़–बक्कड़ पत्रिका का प्रकाशन।

- गुणवता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर 'आधार' कार्यक्रम प्राथमिक स्तर और सम्वृद्धि कार्यक्रम उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए चलाए जा रहे हैं । अनुपूरक सामग्री तैयार की गई तथा प्रदेश के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध करवाई गई हैं ।

- अध्यापको की सक्रिय भागीदारी द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मॉडूल राज्य स्तर पर तैयार किया गया।

- कम्पयूटर सहायक अधिगम (CAL) कार्यक्रम प्रदेश में 602 स्कूलों में 6–8 कक्षा के बच्चों के लिए शुरू की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण मे एवरान का सहयोग लिया जा रहा है। 282 पाठशालाओं में यह कार्य एवरान एजुकेशन लिमिटिड को सौंपा गया है। शेष 320 पाठशालााओं में उपलब्ध अध्यापकों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में 195 अतिरिक्त पाठशालाएं भी इसके तहत लाई गई हैं।

- गिरिराज साप्ताहिक के माध्यम से प्रचार–प्रसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एवं उपलब्धियां हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'गिरिराज साप्ताहिक' के अन्तिम बुधवार को प्रतिमाह प्रकाशित की जा रही हैं। साप्ताहिक के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों एवं उपलब्धियों को समस्त जन समुदाय/ अध्यापकों/ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।

- राज्य स्तर पर SCERT, DIETs, SMCs, मुख्य अध्यापकों, प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापकों के सहयोग से प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए 'गुणवत्ता

योजना' (Quality Plan) तैयार किया गया। इस योजना को दोबारा उप–निदेशक (एस0एस0ए0) जिला परियोजना अधिकारी (एस0एस0ए0), BPEOs (खण्ड प्राथमिक अधिकारी) खण्ड स्त्रोत समन्वयक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, SMCs/स्त्रोत समूह के सदस्यों व शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। सभी स्कूलों में पदाधिकारियों को 'राज्य गुणवत्ता' योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों को स्कूली शिक्षा में लागू करने के निर्देश दिए गए है।

- शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूल प्रणाली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पुर्नउत्थान किया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश "बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009" के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा का अधिकार नियम (RTE Rules) की 01–04–2010 अधिसूचना जारी कर दी गई है।

खेल–कूद किया–कलाप

16.14 वर्ष 2011–12 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद किया कलाप के लिए `105.00 लाख का प्रावधान है। इससे बच्चों को केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खर्च को वहन किया जाता है। विभाग इन गतिविधियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा युवा खेल सेवाऐं विभाग के सहयोग द्वारा प्रायोजित करता है ।

योग शिक्षा

16.15 योग शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और हिमांचल के युद्व बीरों के लिए विभाग द्वारा कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए एक विशेष पुस्तक बनाई है जिसे आगामी शैक्षणिक सत्र 2011–12 से हिमांचल की सभी पाठशालाओं में लागू कर दिया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

16.16 वर्ष 2011–12 के लिए सरकार ने ` 700.12 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिसके साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं को कमरों की मांग पूरी की जा सके ।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

16.17 राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्च्तम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला व्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। दिसम्बर,2011 तक कुल 2,198 शैक्षणिक संस्थान अधिसूचित हैं जिसमें 850 उच्च पाठशालाएं, 1,276 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 72 महाविद्यालय हैं जिसमें से 845 उच्च पाठशालाएं व 1,273 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं कार्यमूलक कर दी गई हैं। 67 महाविद्यालय व 5 संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत हैं (जिसमें एस.ई.आर. टी. सोलन भी सम्मिलित है)

छात्रवृति योजनाएं

16.18 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजना:** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अधिकतम 4,000 विद्यार्थियों को 2,000 जमा एक व 2,000 जमा दो कक्षा के उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 77 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किये हो, को `10,000/– की राशि वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2010–11 में 3,336 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(ii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजना:** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 200 छात्र तथा 200 छात्राओं को जिन्होंने 10वीं व +1 की परीक्षा में 72 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों को ` 11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 में 334 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iii) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजना:** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक (स्वच्छता से संबंधित) अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक ` 9,000/– प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2010–2011 में 90 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

(iv) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना:** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 2,000 (1,000 छात्र जमा एक व 1,000 छात्र जमा दो) छात्रों तथा 2,000 (1,000 छात्र जमा एक व 1000 छात्र जमा दो) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जिन्होंने दसवीं एवं +1 की परीक्षा में 72 प्रतिशत व उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों को ` 10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2010–11 में 1,506 अनुसूचित जाति और 1,430 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(v) **उच्च विद्यालय मेधावी छात्रवृति योजना:** यह छात्रवृति 300 उन नवीं व दसवीं कक्षा के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मैरिट प्राप्त की हो। डे स्कोलर को ` 1,000 तथा छात्रवास में रहने वालों को ` 1,500 प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 में 333 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(vi) **संस्कृत छात्रवृति योजना:** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ` 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ` 300 प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय के साथ 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(vii) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ` 10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2010–11 में 125 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैः–

1. आई. आर. डी. पी. छात्रावृति योजनाः

इस योजना के अतर्गत ` 300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ` 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ` 1200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको ` 2,400 मासिक प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2010–11 में 81,447 छा्त्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः

इस योजना के अतर्गत ` 300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को तथा ` 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ` 1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ` 2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं। अपंगता 50 प्रतिशत से नीचे होने की स्थिति में बच्चों को आधी छात्रवृति मिलेगी।

3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)ः

इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय `1,00,000/– से कम हो व अनुसूचित जन–जाति के छात्र/ छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय `1,08,000/– से कम हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय `44,500/– से कम हो। वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2010–11 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–9,683, अनुसूचित जन–जाति –2,448 अन्य पिछड़ा वर्ग–3,232 है।

4. सैनिक स्कूल छात्रवृति योजनाः

यह छात्रवृति उन विद्यार्थियों को देय है जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे हों तथा हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो। वर्ष 2010–11 में कुल 523 विधार्थी लाभान्वित किए गये।

5. अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता ऐसे कार्य में कार्यरत हों जिसे अस्वच्छ व्यवसाय की संज्ञा दी गई। जैसे मैला ढोने वाले या चर्म शोधक आदि। छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की प्राप्ति हेतु उनके माता–पिता को जिस विभाग में ऐसे कार्य में कार्यरत हों से प्रमाण–पत्र लेना होगा। पात्र छात्र/छात्राओं को सरकारी /मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत होना अनिवार्य होगा (दसवीं और उनके समकक्ष)। इस छात्रवृति की प्राप्ति के लिए कोई भी आय सीमा नहीं है। वर्ष 2010–11 में इस योजना के अंतर्गत 139 विद्यार्थियों को लाभ मिला।

6. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ` 44,500/– से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगी। वर्ष 2010–11 में इस योजना के अंतर्गत 4,420 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

7. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदान:

इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने उसी वर्ष नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो और उस वर्ष 31 मार्च को उसकी 16 वर्ष से कम आयु हो और अविवाहित हो, अनुदान राशि ` 3,000 है। यह अनुदान राशि उन सभी छात्राओं के लिए भी देय है जिन्होंने आठवीं कक्षा कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालय से की हो चाहे वह किसी भी जाति/ धर्म से संबंधित हों। वर्ष 2010–11 में 7,616 लड़कियों के नाम नामांकित किए गये तथा `2.28 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.19 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:–

(क) विख्यात संस्कृत पण्डितों को बदहाली से उपर उठाने हेतु वित्तीय सहायता।

(ख) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ग) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(घ) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(ड.) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.20 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्धेश्य से इनटेल तकनीक

इंडिया प्राईवेट लिमिटिड बैंगलूर द्वारा कम्पयूटर की शिक्षा पूरे प्रदेश में दी जा रही है और इन कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ करने के उद्वेश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, फेयरलॉन, शिमला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी/ एन.सी.ई.आर.टी./ आर. आई.ई. अजमेर आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

16.21 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं जिनपर प्रति पाठशाला पर `15 लाख व्यय किए जा रहे हैं।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

16.22 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफत दी जा रही हैं। वर्ष 2010–11 में नवीं से दसवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों पर इस योजना के अंतर्गत ` 8.39 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,16,654 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

16.23 व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में चलाया जा रहा है जिसमें 6 पाठयक्रम पढ़ाये जा रहे हैं।

(i) इलैक्ट्रोनिक टैकनोलोजी।
(ii) कम्पयूटर तकनीक।
(iii) लेखा परीक्षा।
(iv) इलैक्ट्रिकल।
(v) उद्यान।
(vi) फूड प्रीजर्वेशन

व्यावसायिक शिक्षा को 5 नए विषयों के साथ चलाए जाने बारे प्रत्येक खण्ड में 63 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। 5 विषय निम्न प्रकार से हैंः–

1. औटोमोवाईल इंजीनियरिंग
2. बिल्डिंग मैन्टेनैन्स
3. कर्मशियल शीथल गारमैन्ट ट्रेनिंग एवं डिजाईनिंग
4. हैल्प केयर एवं ब्यूटी कल्चर
5. ट्रैबल एवं टूरिज्म

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

16.24 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

16.25 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

16.26 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जिनमें 50 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 968 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं लाई गई तथा लगभग 81,098 विद्यार्थी वर्ष 2010–11 के दौरान लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2010–11 में सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

16.27 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर का सार्वजनीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना का 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदन किया है। इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 10 प्रतिशत व्यय करेगी। इसका उद्वेश्य 14 से 16 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में गुणवता प्रदान करना है। भारत सरकार ने 45 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने के लिए वार्षिक योजना 2010–11 के लिए ` 156.84 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

आदर्श विद्यालय

16.28 माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्वेश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए शिक्षा खण्डों के अंतर्गत जहां ग्रामीण महिला शिक्षा दर 46.13 प्रतिशत से कम है और जैण्डर गेप 21:59 से अधिक है। समस्त विद्यार्थियों को विशेषकर शिक्षा में अक्षम छात्राओं को जोकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबन्धित हैं को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना है ताकि विद्यार्थियों को वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धात्मक गुण में वृद्वि के साथ–साथ रोजगारनोमुख अवसर प्राप्त हो सके। इन प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में चम्बा जिले के पांगी, तीसा, सलूनी एवं मैहला खण्ड तथा सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड को चुना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में पांच आदर्श पाठशालाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग के रूप में ` 6.78 करोड़, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी –कम–सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ओथोरिटी को जारी कर दिए हैं तथा ` 0.75 करोड़ (10 प्रतिशत राज्य भाग के रूप में) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला चम्बा तथा सिरमौर में दिए गए हैं।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.29 केन्द्रीय प्रायोजित यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों की माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की छात्राओं के लिए छात्रावास बनने एवं छात्रावास सुविधा को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं लाभान्वित होगी। यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगी। केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत भाग जोकि ` 95.63 लाख की पहली किश्त के स्वरूप में जारी कर दी है तथा राज्य सरकार की 10 प्रतिशत, ` 9.56 लाख की पहली किश्त प्रस्तावित है। जिला सिरमौर व चम्बा के पक्ष में शिलाई और सांच के लिए क्रमशः `19.12

लाख और ` 6.37 लाख राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रोद्यौगिकी

16.30 यह योजना मानव विकास संसाधन मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 75:25 (90:10 विशेष श्रेणी के राज्य को) के अनुपात में आई.सी. टी. परियोजना देश के उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में चलाने के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को LCD टेलिविजन और LCD Projector के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक Computer lab और 2 smart classrooms बनवाए जा चुके हैं। वर्ष 2010–11 में इस योजना के लिए मानव विकास संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 75:25 हिस्से के आधार पर 618 GSSS व 5 Smart स्कूलों की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को चालु करने का कार्य 618 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं व पांच स्मार्ट स्कूलों में आरम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त 848 उच्च पाठशालाओं में इस परियोजना को लागू करने बारे प्रस्ताव मानव संसाधन मन्त्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

16.31 वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी तथा जुलाई 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अर्न्तगत् लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश मे इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 17 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 10 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 19 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 74 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 117 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय रोहड़ू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 1 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 11 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. में 1,2 और 3 वर्षीय पाठयक्रमों द्वारा 24 विभिन्न इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार हैः–

1.	डिग्री स्तर	–	6,120
2.	बी फार्मेसी	–	940
3.	डिप्लोमा स्तर	–	7,790
4.	आई.टी.आई. / आई.टी.सी.	–	29,164

कुल — 44,014

इसके अतिरिक्त 02 इंजीनियरिंग कालेजों जिनमें एक प्रगतिनगर जिला शिमला व एक बंदला जिला बिलासपुर में तथा 05 बहुतकनीकी क्रमशः एक–एक बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर तथा लाहौल एवं स्पिति में शैक्षणिक सत्र अगस्त, 2012 में खोले जाने प्रस्तावित है। हमीरपुर में सरकारी क्षेत्र में एक तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थापित किया गया है। विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम के अधीन (द्वितीय चरण) राज्य योग्यता प्रस्ताव का राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई/ विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए ` 4.00 लाख का टोकन बजट प्रावधान रखा गया है। `10.00 करोड़ संस्थान को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ` 1.00 करोड़ प्रत्येक संस्थान की दर से तथा ` 2.00 करोड़ प्रति संस्थान की दर से सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में आरम्भ की गई स्किल डबल्पमैन्ट इन्सीएटिव स्कीम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगार जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतू इस समय विभाग में 86 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (57 सरकारी क्षेत्र और 29 निजी क्षेत्र) पंजीकृत हैं, जो कि 18 विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 31.03.2011 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 9,796 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। गत वर्ष में 3,800 व्यक्तियों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 2,579 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं एवं प्रशिक्षण कर रहे हैं।

विभाग में 14 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोलन, उना, रामपुर, शमशी, मण्डी, शिमला तथा रिकांगपीओ तथा आईटीआई (महिला) मण्डी, आईटीआई (महिला) शिमला तथा आईटीआई रोंगटोंग (काजा) श्रेष्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में स्तरोन्नत किए हैं तथा कुल ` 2,569.19 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल

दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ` 80.00 करोड़ की धनराशि संबंधित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है।

17 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सेवाएं आरोग्य देने वाली, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं 53 चिकित्सालयों, 76 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 456 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 23 नागरिक/ई.एस.आई. औषधालयों और 2,065 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 56 ज्वर चिकित्सा डिपो कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान (नवम्बर,2011तक) इस कार्य के अंतर्गत 3,43,905 रक्त पटिकाओं को एकत्रित करके 3,39,214 परीक्षण किए गए जिनमें से 237 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, 30.11.2011 में घटकर 0.26 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2011–12 के दौरान नवम्बर,2011 तक 135 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 136 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 190 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफत में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक,44 क्षयरोग युनिट और 175 माईक्रोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 310 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2011–12 में 30.9.2011 तक 10,745 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 56,422 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः–** वर्ष 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य 40,000 के अन्तर्गत नवम्बर,2011 तक 16,303 मोतिया विन्द आप्रेशन किये गये जिनमें 15,534 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए गये। वर्ष 2011–12 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत नवम्बर,2011 तक 1,23,879 विद्यार्थियों की जांच की गई।

v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः–** यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्वेश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान नवम्बर,2011 तक क्रमशः 3,743 बन्धयाकरण, 13,047 लूप निवेश, ओ. पी. प्रयोगकर्ता 28,781 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 74,167 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः–** हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर. सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्वेश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई हैः–

सारणी संख्या 17.1

क. सं.	मद	लक्ष्य	उपलब्धियां 2010–11 (नवम्बर 2011 तक)
1	डी0 पी0 टी0	116000	72297
2	पोलियो	116000	72778
3	बी0 सी0 जी0	116000	78382
4.	हैपाटाइटस–बी	116000	73397
5	मीजल	116000	78967
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	116000	74107
7	पोलियो (बुस्टर)	114000	65651
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	114000	65539
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	-	79989
10	डी0 टी0 (5–6 वर्ष)	113000	79415
11	टी0 टी0 (10 वर्ष)	113000	90574
12	टी0 टी0 (16 वर्ष)	126000	100383
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	133000	75404
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	133000	30411

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। इस अभियान का प्रथम चरण 19.02.2012 के लिए निर्धारित किया गया है।

vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः–** वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक 89,272 जांच किए व्यक्तियों में से 577 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 18 रक्त बैंक कार्यरत हैं।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रम** :–हिमाचल प्रदेश में कुल 49 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2011–12 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान कुल जांच किए गए लोगों में 29,007 गर्भवती महिलाएं थीं जिनमें से 24 एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। वर्ष 2010 हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन चलाई जा रही है जिसमें 4,310 लोगों ने अपनी जांच करवाई।
- **यौन रोग नियंत्रण**:– हिमाचल प्रदेश में कुल 16 आर.टी.आई./ एस.टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है जिसमें से 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 3 जिला अस्पताल, 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 2 नए क्लीनिक कमला नेहरू अस्पताल और ई.एस. आई. परमाणु में चलाए जा रहे हैं। 2011–12 में 22,860 लोगों ने आर. टी.आई./ एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यक्रम**:–राज्य में 15 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेषन युनिट आई.जी. एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2011–12 में 254 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 2011–12 में 86 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस 4 डोनर कोचों के साथ `1.38 करोड़ की लागत से संचालित है।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम**:– प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई.जी. एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 8 लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में कुल 4,358 लोग एच.आई.वी. के उपचार हेतु पंजीकृत हैं जिसमें 1,617 लोग एच.आई.वी. उपचार ले रहे हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाए** :– हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 24 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गत वर्ष में 4,445 लोगों को यौन रोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं जिसमे से 19,745 लोगों को एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र में इलाज करवाने हेतु भेजा गया। प्रदेश में गैर सरकारी संगठन द्वारा 69 जागरूकता शिविरों तथा 141 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।
- **टोल–फ्री हेल्पलाईन**:–टोल फ्री नम्बर 1299 के द्वारा लोगों को एच. आई.वी./ एड्स यौन रोग और रक्तदान के विषय में जानकारी हेतु इस वर्ष 18,069 लोगों ने जानकारी प्राप्त की।
- **सामुदायिक सहायता केन्द्र**:–प्रदेश में सामुदायिक सहायता केन्द्र टांडा, शिमला और हमीरपुर में स्थापित है जोकि एच.आई.वी./ एड्स से ग्रसित लोगों को आवासीय एवम् चिकित्सकीय संबंधी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

वित्तीय उपलब्धियां: वर्ष 2011–12 में `1,316.66 लाख अनुदान में मिले थे जिसमें से `888.85 लाख की राशि दिसम्बर तक खर्च हो चुकी हैं।

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः–इस योजना के अन्तर्गत 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 572 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 31.12.2011 तक `3.24 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिंग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई।

17.4 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब तथा तीन परिषदें हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य परिषद, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग परिषद एवं हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल परिषद कार्यरत हैं। 30 जी.एन.एम. स्कूल (दो सरकारी एवं 28 निजी) में 1,170 विद्यार्थियों वाला नये बैच को प्रवेश दिया गया है। 500 नर्सिंग विद्यार्थियों को 11 बी0एस0सी0 नर्सिंग महाविद्यालय (एक सरकारी एवं 10 निजी) में प्रवेश दिया गया है। विभाग की (संस्थान अनुसार) निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई। शैक्षणिक सत्र 2011–12 के दौरान विभिन्न विषेशज्ञताओं में स्नात्कोत्तर उपाधि की 71 से 81 सीटें की गई है। वर्ष 2012–13 से 9 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष नर्सिंग स्कूल का ग्रेड बढ़ाकर नर्सिंग महाविद्यालय करने हेतु ` 520.50 लाख प्रदान किए गए। यह महाविद्यालय जिसका नाम सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय रखा गया है में 60 सीटें बी.एस.सी. नर्सिंग तथा 30 सीटें पोस्ट बेसिक नर्सिंग की हैं। प्रदेश के योजना विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में इस संस्थान के रेडियोथेरिपी विभाग में क्षेत्रीय केंसर केन्द्र की स्थापना हेतू ` 120.00 लाख राज्य सरकार की तरफ से प्रदान कर दिए हैं तथा शेष ` 480.00 लाख भारत सरकार द्वारा शीध्र प्रदान कर दिए जाएगें। वर्तमान में पुरानी कैथ प्रयोगशाला के स्थान पर ` 7.00 करोड़ की लागत से एक नई कैथ प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा कमला नेहरू अस्पताल में प्रसुति व स्त्रीरोग विभाग को सशक्त बनाने हेतु `2. 25 करोड़ की राशि उपकरणों व संयत्रों को खरीदने के लिए प्रदान की गई है। महाविद्यालय को सशक्त बनाने हेतू ` 5.44 करोड़ विभिन्न विभागों की जरुरत के

अनुसार उन्नत तकनीक के उपकरण खरीदने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रसुति एवं स्त्री रोग की सुविधाएं प्रदान करने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा नए भवन का शिलान्यास दिनांक 1.6.2011 को किया गया तथा इस संस्थान में सभा भवन का उदघाटन माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 25.12.2011 को किया गया।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तिय वर्ष 2011–2012(25.12.2011 तक) के लिए ` 7,175.22 लाख की राशि राजस्व शीर्ष (गैर योजना), `180.00 लाख राजस्व शीर्ष (योजना) के लिए उपलब्ध करवायें गए हैं। इसके अतिरिक्त ` 13,809.60 लाख राजस्व शीर्ष (गैर योजना), ` 910.00 लाख पूंजीगत शीर्ष (योजना), ` 300.00 लाख कार्यालय भवन के मुरम्मत व रखरखाव के लिए एवं ` 75.50 लाख आवासीय भवनों के मुरम्मत व रखरखाव के लिए आगामी वर्ष 2012–2013 के लिए प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

भौतिक उपलब्धियां (1.4.2011 से 25.12.2011 तक):–

भौतिक उपलब्धियों के अंतर्गत इस संस्थान द्वारा 73 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। 31,310 आंतरिक तथा 3,05,700 बह्य रोगियों का उपचार, 10,241 रोगियों का मेजर शल्य तथा 24,424 रोगियों का लघु शल्य क्रिया किया गया। 6,700 रोगियों की सी.टी.स्कैन तथा 3,200 रोगियों की एम.आर.आई. की गई।

(ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडाः–

डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। वर्ष 1999 में प्रथम बैच आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। एम0 सी0 आई0 द्वारा एम0 बी0 बी0 एस0 की 50 सीटों को बढाकर 100 सीटों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस महाविद्यालय में विभिन्न विभागो में 29 पी0 जी0 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण तथा विकिरण, निश्चेतन तथा शल्य विभागों में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम (प्रत्येक विभाग में में 2 सीटों सहित)आरम्भ किया गया है वर्तमान में 30 नर्सिंग विद्यार्थियों का दूसरा बैच जी0 एन0 एम0 पाठयक्रम का प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

यह संस्थान उन 19 संस्थानों में से एक उतरी भारत का पहला संस्थान है जहां पर डब्लयू0एच0ओ0 के सहयोग द्वारा फैलोशिप प्रदान करने का केन्द्र बनाया गया है जिसके अन्तर्गत 7 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसमें 2 हिमाचल प्रदेश से थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड धारको को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना 17 फरवरी, 2009 को शुरू की गयी। 1 जनवरी, 2011 से 30 नवम्बर, 2011 तक कुल 2,220 रोगियों का इलाज किया गया।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तिय वर्ष 2011–2012 के लिए ` 600.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग तथा `5,631.74 लाख की राशि राजस्व शीर्ष (गैर योजना), में रखे गये। सुपर स्पैशलिटि अस्पताल का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री स्वास्थय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2011 में शुरू कर दिया गया है

जिसकी अनुमानित निर्मित लागत ` 50.74 करोड़ है। इसके निर्माण कार्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ` 17.50 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। वर्ष 2012–13 के लिए 15 विभागों में पी0जी0 की अतिरिक्त 35 सीटों के दाखिले का प्रस्ताव ` 30 लाख निरीक्षण शुल्क सहित भारतीय चिकित्सा परिषद को भेज दिया गया है। वर्ष 2012–13 के लिये `7,886.00 लाख राजस्व शीर्ष (गैर योजना) तथा `1,020.00 लाख पूंजीगत शीर्ष (योजना) का प्रावधान रखा गया है।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई जिसमें प्रतिवर्ष 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता थी। वर्ष 2007–08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों के लिए आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 से स्नातकोतर सर्जन के पाठयक्रम हेतु 4 विशेषज्ञ पाठ्यक्रम में 2–2 विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ किया गया। दन्त स्वास्थ्य और दन्त मकैनिक कोर्स 20–20 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एंव पैरा मैडिकल स्टॉफ की मांग को देखते हुए किया गया। इस वर्ष (1.1.2011 से 30.11.2011 तक) 196 अन्तरंग तथा 53,690 वाह्य रोगियों का इलाज किया गया, 52 दन्त चिकित्सा कैप के अन्तर्गत 5,200 रोगियों का इलाज किया गया। माननीय मुख्यमंत्री हि0प्र0 की घोषणा के अनुसार आई0आर0डी0पी0 एवं बी0पी0एल0 परिवारों के लिए मुफ्त दन्त चिकित्सा आरम्भ कर दी गई है तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घोषित मुस्कान योजना भी शुरू की गई है।

वित्तीय उपलब्धियांः

राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला में सुचारू कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए मु0 ` 576.13 लाख राजस्व, शीर्ष गैर–योजना मु0 ` 05.00 लाख राजस्व शीर्ष (योजना) के लिए आबंटित किए गए।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,109 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिनमें एक कार्यशील है)

कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जोकि जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए. एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म एवं बाल रोग की स्नातकोतर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 29 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मेसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2011–12 के लिए ` 130.79 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें `114.34 करोड़ गैर योजना तथा ` 16.45 करोड़ योजना में है।

अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम

17.6 अनीमिया के उन्मूलन हेतू स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग द्वारा अनीमिया मुक्त हिमाचल कार्यक्रम हमीरपुर व कांगडा जिला में आरम्भ किया गया। माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा 2 अक्तुबर 2008 से राजकीय आयुर्वेद महाविधालय, पपरोला से यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया। स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा दल द्वारा प्रत्येक मगंलवार को आगंनबाडी व प्रत्येक शनिवार को सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम के निरीक्षण हेतू कार्य आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत `129.68 लाख की राशि इस विभाग को प्राप्त हो गए है तथा प्रथम चरण के दौरान कुल 8,98,491 रोगियों का उपचार किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य 10 जिलों के चयनित स्वास्थ्य ब्लाक में आरम्भ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत दूसरे चरण हेतू ` 209.77 लाख की राशि प्रदान की गई जिसमें लगभग 5.66 लाख लोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

17.7 राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत ` 1.19 करोड़ मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। 168 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी। इसके अन्तर्गत 2 मॉड़ल एवं 2 लघु नर्सरियां निजी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी। वर्ष 2010–11 की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत 3 मॉडल एवम् 22 लघु नर्सरियां स्थापित की गई तथा 115 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की गई है।

औषधि जांच प्रयोगशाला

17.8 वर्ष 2011–12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के 762 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ` 66,000 का राजस्व प्राप्त किया गया।

विकासात्मक गतिविधियांः

17.9

i) आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्थानों में 26 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 48,466 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, पपरोला में क्षेत्रीय जरारोग उत्कृष्ठ संस्थान की स्थापना की जा रही है। क्षेत्रीय जरारोग उत्कृष्ठ कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर एवं सिरमौर में सात शिविरों का आयोजन कर 400 से अधिक रोगी प्रत्येक शिविर में लाभान्वित किये गये। गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जरारोग/ पंचकर्मा पर 4 सी.एम.ई. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वैदिक महाविद्यालय, पपरोला में जरारोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हेतु बाह्य/ अंतरंग सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान ` 9.72 करोड़ की औषधियां आयुर्वेदिक स्वास्थय संस्थाओं में वितरित की गई ।

ii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी**

वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफत वितरण हेतु कर रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को क्रियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है।

विभाग की तीनों आयुर्वेदिक फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा आधुनिक मशीनें व उपकरण लगाने हेतु समय–समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आयुर्वेदिक फार्मेसी, जोगिन्द्रनगर के सुदृड़ीकरण हेतु `1.15 करोड़ की वितीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

विभाग की तीनों फार्मेसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतु, क्रय कर रहा है।

iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस ध्येय से आरम्भ किया गया कि ग्रामीणों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें। भारत सरकार, आयुष विभाग द्वारा इस विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2008–09

में ` 18.90 करोड़ की राशि 70 सी.एच.सी एवं 10 क्षेत्रीय/जोनल अस्पतालों में आयुष उपचार केन्द्र स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं । भारत सरकार द्वारा ` 22 लाख की राशि सी.एच.सी एवं ` 35 लाख प्रति क्षे़त्रीय/जोनल अस्पतालों/महाविद्याालय अस्पताल के लिए प्राप्त किये गए हैं।

यह राशि को लोकेशन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के सी.एच.सी / जिला अस्पताल में आयुष क्लीनिक पर व्यय किए जाएंगे परन्तु अभी तक व्यय नहीं किए जा सके। सरकार द्वारा 155 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के इस पोलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से दिसम्बर,2010 तक 66 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद स्वास्थ्य विभाग के पी.एच.सी./सी.एच.सी. में भरे जा चुके हैं तथा 75 पदों को वर्ष 2011–12 में भरा गया है।

इस पोलिसी के अन्तर्गत 2011–12 में मु0 ` 400.07 लाख राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फलैक्सीपुल के अन्तर्गत वेतन के लिए 273 आयुर्वेद ईकाइयों को ग्रामीण पी.एच.सी./सी.एच.सी. में स्थापना के लिए 14, जिला/जोनल अस्पताल में आयुष विशेष ईकाईयों की स्थापना के लिए तथा 28 होम्योपैथिक ईकाईयों का ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए हैं। आयुष विभाग, भारत सरकार से इन इकाईयों में संरचनात्मक ढांचा, औषधियों/ उपकरणों आदि हेतु ` 11,243.95 लाख की परियोजना प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित की जा रही है ।

वर्ष 2011–12 के दौरान उपलब्धियां:

17.9

i) प्रदेश में विभिन्न स्थानों में 8 नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।
ii) एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को बढ़ाकर 10 –बिस्तरीय अस्पताल बनाया गया।
iii) 10 बिस्तरों वाले जिला आयुर्वैदिक अस्पताल, उना को 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया।
iv) आयुष विभाग द्वारा विभाग को स्वीकृत अनुदान राशि ` 765.00 लाख के बदले में, मु0 ` 650.25 लाख की वितीय सहायता जिला–हमीरपुर में 50–बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू करने हेतु प्रदान की गई है।

वर्ष 2012–13 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य

17.10 विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये 10 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना, 02 होम्योपैथिक स्वास्थय केन्द्र खोलना, एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना, आयुर्वेदिक औषधालय का दर्जा बढाकर 10–बिस्तरीय अस्पताल बनाने हेतु। एक 10/20 बिस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय को 30/50 बिस्तरीय अस्पताल में बदलने हेतु तथा 11 पंचकर्मा/ क्षारसूत्र चिकित्सा केन्द्र आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

18 समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

18.2

(क) वृद्धावस्था पैंशनः–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है तथा उनकी देख–रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से `9,000/– से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत आय के अतिरिक्त `15,000/– से अधिक न हो। इनको `330/– प्रतिमाह पैंशन दी जाती है।

(ख) अपंग राहत भत्ताः–ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से `9,000/– से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त समस्त स्त्रोतों से `15,000/– से अधिक न हो। वृद्धावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 1,13,443 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु `6,221.53 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `4,178.47 लाख व्यय किए जा चुके है।

(ग) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन :–ऐसी महिला जो विधवा,परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से `9,000/– से अधिक न हो। ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के

अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय `15,000/– से अधिक न हो। इनको भी `330/– प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 63,304 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ` 2,491.48 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `1,854.20 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(घ) **कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः**–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो ऐसे कुष्ठ रोगियों पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोगियों को `330 प्रतिमाह रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा `61.73 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `38.44 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(ड़) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना** :–इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 91,440 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा `2,222.72 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `1,654.58 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(च) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजनाः**–इस योजना के अंतर्गत 40 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 7,957 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा `193.74 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `135.55 लाख व्यय किए जा चुके है ।

(छ) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजनाः**–इस योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2011–12 में 191 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा `4.50 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2011 तक `3. 24 लाख व्यय किए जा चुके है। केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार से `200/– प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है जबकि शेष `130/– की राशि तथा मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्वावस्था, विधवा तथा अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है।

स्वरोजगार योजना

18.3 विभाग 4 निगमों द्वारा जोकि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम है को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अंतर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2011–12 के लिए `540.00 लाख है, दिसम्बर,2011 तक `237.00 लाख की राशि निर्गत कर दी गई।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.4 इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:–

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः–** अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातिय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए `25,000 प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2011–12 मे इस योजना के अंतर्गत `60.00 लाख रखे गए और 177 दम्पतियों को दिसम्बर, 2011 तक `44.25 लाख खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

ii) **गृह अनुदानः–** इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय `17,000 से अधिक न हो, को `48,500 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 में `1,050.25 लाख रखे गए और 2165 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान दिसम्बर,2011 तक `812.86 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया।

iii) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः–** इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो या जिनकी वार्षिक आय `60,000/– से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा `1,200 प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय की जाती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को `1,000 प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को `1,500 प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2011–12 के लिए `310.46 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2011 तक `75.04 लाख व्यय किए गए तथा 240 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यक्रमः–** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय `11,000 वार्षिक से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए `1,300 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अंतर्गत `83.89 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ` 37.19 लाख की राशि दिसम्बर,2011 तक व्यय की गई जिससे 2,860 लोग लाभान्वित हुए।

v) **अनु0 जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः–** उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को वितीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। वर्ष 2011–12 के लिए `16.52 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से `16.52 लाख की राशि दिसम्बर,2011 तक व्यय करके 49 परिवारों को सहायता दी गई।

विकलांग कल्याण

18.5 विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2011 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है:–

i) **विकलांग छात्रवृतिः–** इसका मुख्य उद्वेश्य विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है व जिनके माता–पिता की वार्षिक आय `60,000/– से अधिक नहीं है, को इस घटक के अंतर्गत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृति `350 से `700 प्रतिमास तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को `1000 से `2000 तक प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 मे `52.70 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है और दिसम्बर,2011 तक `35.50 लाख व्यय किए गए।

ii) **विकलांग विवाह अनुदानः–** सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आशय से `8,000 से `15,000 तक विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत `30.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर,2011 तक `17.14 लाख व्यय हुए जिससे 225 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

iii) **सर्वेक्षण एवं अनुसंधानः–** इस योजना के अन्तर्गत् इस वित्तीय वर्ष में `5.00 लाख का बजट प्रावधान है। सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाएगा। विकलांगता के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अनुसधान गैर

सरकारी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मंगवाएं हैं।

iv) **जागरूकता अभियानः–** इस घटक के अंतर्गत् खण्ड एवं जिला स्तर के केम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। इन शिविरों में विकलांगजन को चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे जागरूक किया जाता है। वर्ष 2011–12 में `12.00 लाख की राशि का प्रावधान है। दिसम्बर,2011 तक इस योजना के अंतर्गत् `6.45 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

v) **स्वः रोजगारः–** 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक ईकाईयां के लिए अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसपर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग `10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2011–12 में हि0प्र0 अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम द्वारा दिसम्बर,2011 तक `1.42 करोड़ पात्र मामलों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए विभाग ने ` 66.00 लाख की अनुदान राशि निगम को उपलब्ध करवाई है।

vi) **कौशल विकासः–** चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और `1,000 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष 42 विकलांग बच्चों को 11 आई.टी.आई. में 9 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है वित्तीय वर्ष में `12.13 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

vii) **पुरस्कार योजनाः–** इस योजना के अंतर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बाबजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को `10,000 व निजी उद्यमी को `25,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए `0.50 लाख का प्रावधान है जिसके विरूद्व दिसम्बर,2011 तक `0.30 लाख व्यय की जा चुकी है।

viii) **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षाः–** प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में स्थापित संस्थान का नाम बदलकर विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के संस्थान का नाम आई.सी. एस.ए. रखा गया है। इस संस्थान

में 25 दृष्टिवाधित तथा 75 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए `12.50 लाख के बजट के प्रावधान से दिसम्बर,2011 तक `10.64 लाख व्यय हुए हैं इस वर्ष ढल्ली स्कूल के लिए हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद को `23.31 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम उना में 30 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष `25.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर,2011 तक `4.03 लाख व्यय हुए हैं

ix) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः**– प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जोकि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 में `20.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उप–योजना

18.6 अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप–योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्ष 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। 2002 से पूर्व यह कार्य जन–जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

18.7 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रतिशत है।

18.8 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.9 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्याक्रम शुरू किए गए हैं।

राज्य योजना के कुल बजट का 24.72 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

18.10 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष "789" बनाया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए शीर्ष में किया गया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्य योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट `742.00 करोड़ में से `733.65 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं जबकि वर्ष 2011–12 अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट `816.00 करोड़ में से 30.9.2011 तक `259.66 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

18.11 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योाजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जोकि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम (10क)

18.12 वर्ष 2010–11 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2010–11 में 58,000 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 63,657 परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2011–12 में 30.11.2011तक 58,000 लक्ष्य के मुकाबले 38,956 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए है।

बाल कल्याण

"मुख्यमन्त्री बाल उद्वार" योजना

18.13 अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिस्सा, भरमौर, कल्पा(2), शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) तथा मशोवरा, टुटीकण्डी, मासली (शिमला), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किल्लाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा हैं। इन आश्रमों में बच्चों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस

योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करने का प्रावधान हैं। इन आश्रमों में 1,060 बच्चों को रहने की सुविधा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए `220.00 लाख का प्रावधान है तथा दिसम्बर,2011 तक `62.15 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

महिला कल्याण

18.14 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैं:–

(क) नारी सेवा सदन मशोवरा:– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए `10,000 तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2011–12 में इस गृह के संचालन के लिए ` 80.11 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर,2011 तक `5. 91 लाख खर्च किए गए।

(ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना:–इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए `11,001/– का अनुदान दिया जाता हैं जिनकी वार्षिक आय `15,000 से अधिक न हो। वर्ष 2011–12 में इस उद्वेश्य के लिए `141.70 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें दिसम्बर, 2011 तक `39.05 लाख खर्च किये गये जिससे 355 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

(ग) महिला स्वरोजगार योजना:– इस योजना के अंतर्गत `2,500 उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय `7,500 से कम है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के अंतर्गत `13.00 लाख का प्रावधान किया गया।

(घ) विधवा पुनर्विवाह योजना:– इस योजना का उद्वेश्य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को `25,000 के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के अंर्तगत `30.75 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर,2011 तक 32 दम्पतियों को `8.00 लाख दिए गए।

(ङ) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्भाल योजना:– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय `1,8000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु `2,000 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक

ही दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए `255. 98 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर,2011 तक `139.23 लाख व्यय किये गए। 13,981 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

समेकित बाल विकास सेवाएं

18.15 समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 18,352 आंनवाड़ी केन्द्रों व 177 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें बच्चों, गर्भवती / धात्री माताओं को प्रदान की जा रही हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाए , टीकाकरण , स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवायें, शालापूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.2009 से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है । वित्त वर्ष 2011–12 के लिए आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत प्रावधित बजट `102.95 करोड़ था। जिसमें से `8. 38 करोड़ राज्य का हिस्सा केन्द्रीय का हिस्सा `94.57 करोड़ है दिसम्बर,2011 तक `59.41करोड़ व्यय किए गए। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को प्रतिमाह `3000/– व `1,500/–क्रमशः का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2000 से हर वर्ष 15 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है।

बेटी है अनमोल योजना

18.16 यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली दो लड़कियों तक को लाभान्वित करने के लिए 05–07–2010 से आरम्भ की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा आय के स्त्रोत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना हैं। जन्म के पश्चात बालिका के नाम बैंक/डाकघर में `5,100/– जमा कर दिये जाते हैं जोकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा खाते में से आहरित किये जा सकते हैं।

ii) छात्रवृतिः स्कूल जाने पर इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश से बारहवीं कक्षा तक निम्नलिखित दरों पर `300 से `1,500 प्रतिवर्ष छात्रवृति वार्षिक तौर पर भी दी जाती हैः

कक्षा एक से तीन	` 300/– प्रति वर्ष
कक्षा चार	` 500/– प्रति वर्ष
कक्षा पांच	` 600/– प्रति वर्ष
कक्षा छः से सात	` 700/– प्रति वर्ष
कक्षा आठ	` 800/– प्रति वर्ष
कक्षा नौ से दस	` 1,000/– प्रति वर्ष
कक्षा 10+ 1 तथा 10 +2	` 1,500/– प्रति वर्ष

वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत `201.00 लाख व्यय का बजट प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर,2011 तक `101.00 लाख व्यय किए गए हैं तथा 11,260 बालिकाएं लाभान्वित हुई।

किशोरी शक्ति योजना

18.17 100 प्रतिशत केन्दीय प्रायोजित योजना के रूपमें किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 8 जिलों में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देना, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाना, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाना है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही विवाह करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष प्रति परियोजना ₹1.30 लाख प्रदान करती है। यदि भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करवाए तो प्रदेश सरकार अधिकतम ₹50.60 लाख प्रतिवर्ष व्यय कर सकती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में दिसम्बर, 2011 तक 98,866 किशोरियों को पूरक पोषाहार 581 को कौशल विकास प्रशिक्षण, 36,870 को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ एवं 60,784 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹25.30 लाख की राशि स्वीकृत/निर्गत की गई है तथा दिसम्बर, 2011 तक ₹22.69 लाख व्यय कर दिए गए हैं ।

पूरक पोषाहार कार्यकम

18.18 समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम के तहत विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी0पी0एल0 किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर 1.4.2000 से पूरक पोषाहार दिया जा रहा है पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चे ₹4.00 गर्भवती/ धात्री माताएं/ बी0पी0एल0 किशोरियां ₹5.00 अति कुपोषित बच्चे ₹6.00 है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2011–12 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ₹3,240.00 लाख का बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,2011 तक ₹2,930.58 लाख खर्च किया जा चुके हैं। भारत सरकार से भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2011 तक ₹2,819.48 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है। नवम्बर,2011 तक बच्चे 4,03,335, गर्भवती/ धात्री माताएं 96,955 बी.पी.एल. किशोरियों 32,000 तथा 257 अति कुपोषण बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–(सबला):

18.19 किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए 19.11.2010 में दो वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर सबला नामक योजना चलाई गई है। योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु ₹3 लाख 80 हजार भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2011–12 में ₹60.80 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा नोन पोषाहार घटक के अन्तर्गत 1,56,772 किशोरियों को विभिन्न

सेवाओं के लाभ हेतु स्वीकृत किए गए । दिसम्बर, 2011 तक `25,59,385/– व्यय किए जा चुके हैं। किशोरियों को पूरक पोषहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका व्यय 50:50 आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । भारत सरकार से पोषाहार प्रदान करने हेतु 2011–12 में `320.76 लाख भारत सरकार से तथा `320.76 लाख राज्य सरकार का हिस्सा प्राप्त हो चुके हैं व्यय किए जा चुके हैं। 90,016 किशेरियों को पूरक पोषहार के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है ।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

18.20 वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित "इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना" प्रायोगिक तौर पर हमीरपुर जिला के लिए स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उचित पोषण स्तर में सुधार लाना है। प्रैक्टिसिस्, केयर तथा सर्विस यूटीलाइजेशन" स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से उपर की गर्भवती तथा धात्राी महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु `4,000 निम्नानुसार दिये जाने का प्रावधान है (राज्य / केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर)। पहला चरण : `1,500. दूसरा चरणः मु0 `1,500 तथा तीसरा चरणः `1,000 हैं। वर्ष 2011–12 में 173.24 लाख भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जिसमें से दितम्बर 2011 तक `41,61,850/– व्यय किए जा चुके हैं ।

नई योजना– "हि0प्र0 माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना 2011"

18.21 यह योजना अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. श्रेणी के परिवारों की महिलाओं के लिए वित वर्ष 2011–12 में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत् 50 प्रतिशत की राशि जोकि अधिकतम `1,300/– होगी उपदान के रूप में गैस कनैक्शन खरीदने के लिए पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के विधान के तहत प्रतिवर्ष 75 अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. महिलाएं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित होगीं।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

19.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रदेश मे वर्ष 1999–2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्वंय सहायता ग्रुपों मे गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लाभ–भोगी परिवारों को स्वरोजगारी कहा जाता है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अंतर्गत उपदान सहायता समान रूप से परियोजना कीमत का 30 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा `7,500 निर्धारित है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति एवं विकलांग व्यक्ति के परिवारों को 50 प्रतिशत तथा अधिकतम `10,000 उपदान के रूप में रखे गये है। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत 50 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति `10,000 या `1.25 लाख जो भी कम हो उपदान के रूप में दिए जाते है। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदनशील परिवारों पर केंद्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/ जन–जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

19.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 (दिसम्बर तक) 763 स्वयं सहायता समूहो का गठन किया गया है जिसमें से 763 समूहों के 5,812 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों ने आयवर्धक गतिविधियां अपना ली है। इन समूहों को अब तक `465.32 लाख अनुदान के रूप में तथा ` 2,170.40 लाख ऋण के रूप में प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 1,274 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी ` 112.61 लाख अनुदान तथा `678.05 लाख ऋण के रुप में प्रदान किये गए हैं।

किन्नौर व लाहौल–स्पिति जिलों को छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इन केन्द्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण युवाओं को जिला के अग्रणी बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा अब तक 5,495

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

कुशलता विकास परियोजना (समस्त प्रदेश के लिए)

19.4 भारत सरकार द्वारा यह परियोजना `117.00 लाख की कुल लागत से दिनांक 08.12.2009 से समस्त प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात से उपदान की राशि वहन की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 1,700 ग्रामीण परिवारों के युवाओं को हिमकोन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत् अब तक 435 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं तथा 297 युवकों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा `29.25 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

कुशलता विकास परियोजना (जिला हमीरपुर के लिए)

19.5 भारत सरकार द्वारा यह परियोजना `226.68 लाख की कुल लागत के साथ जिला हमीरपुर के लिए अनुमोदित की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा कार्यान्वयन संस्था द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जा रही है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत 2,000 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों के युवाओं को आई0 टी0 एफ0 टी0, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक 707 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं तथा 649 युवकों को रोजगार स्थापना कर दी गई है तथा `102.66 लाख व्यय किये जा चुके हैं

वाटरशैड

19.6 इस परियोजना के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रमशः एकीकृत बंजर भूमि वाटरशैड विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा कार्यक्रम के प्रारम्भ से दिसम्बर,2011तक एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (873 माइक्रो वाटरशैड़) जिनकी कुल लागत मु0 `254.12 करोड़ है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सुक्ष्म जलागम स्वीकृत है जिनकी कुल लागत मु0 ` 116.50 करोड़ तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सुक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत मु0 `159.20 करोड़ है तथा 2,36,770 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर,2011 तक आई.डब्लयू.डी.पी. पर `217.20 करोड़, डी.पी.ए.पी. पर `86. 04 करोड़, डी.डी.पी. पर `90.45 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना

(आई.डब्लयू.एम..पी.) के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों के लिए 80 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत मु0 `662.22 करोड़ प्रस्तावित है तथा 4,41,482 हैक्टेयर भूमि का विकास 4 से 7 सालों में किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए मु0 ` 82.54 करोड़ की प्रथम किश्त निर्मक्त की चुकी है तथा इस निर्मुक्त राशि में से मु0 `12.90 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

19.7 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को `48,500 प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात से इस योजना पर व्यय करती है। वर्ष 2011—12 में 5,659 नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य है तथा दिसम्बर,2011 तक 4,354 नए मकान बनाये गये तथा शेष मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अधीन दिसम्बर,2011 तक `1,613.39 लाख खर्च किए गए।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.8 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जोकि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। यह परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो राहत प्रदान करती है। दुर्घटना से किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, गर्भाश्य, वक्षस्थल निकालने, प्रजनन के समय, किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू—स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु में लागू है। योजना के अन्तर्गत बीमा राशि को निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है:—

i) मृत्यु पर `1.00 लाख
ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर `1.00 लाख
iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर `1.00 लाख
iv) एक आंख या एक अंग की क्षति पर `.0.50 लाख
v) पति की मृत्यु पर `1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2011—12 मे जिलों को मु0 `121.75 लाख दिसम्बर,2011 तक जिलों के समस्त डी. आर.डी.ए. को आंवटित कर दिए गए हैं।

अटल आवास योजना

19.9 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस प्रकार अटल आवास योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित वर्ष के लिए 2,099 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 891 मकानों का निर्माण किया जा चुका है

तथा ` 4,79.60 लाख व्यय किये जा चुके है।

गुरु रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना

19.10 गुरू रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011.12 के लिए `1,000.00 लाख का आबंटन किया जाएगा। पूर्व में एक विधान सभा क्षेत्र में केवल पांच वार्ड ` 3.00 लाख प्रति वार्ड इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे थे, अब वार्ड की संख्या बढाकर सात कर दी है तथा प्रति वार्ड राशि को `3.00 लाख से बढाकर `5.00 लाख कर दिया है। यह प्रस्तावित किया है कि अनुसूचित जाति बहुल वार्ड के उन लोगों को, जिनको अन्य योजनाओं के अन्तर्गत न लिया गया हो, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं

19.11 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक योजना के माध्यम से समुदाय आधारित अभियान के द्वारा स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी सुनिष्चित करने तथा पर्यावरण स्वच्छता पर स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेवारी को देखते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को सम्बोधित व्यवरोध जैसेः

- स्वच्छता की आवश्यकता तथा स्थायित्व के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव
- स्कूलों,आंगनवाड़ियों तथा सामुदायिक स्थानों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार
- कचरा प्रबन्धन पर सुरक्षित एवं व्यावहारिक सामुदायिक कार्यप्रणाली का प्रावधान और
- इस अभियान को स्थाई और जनआंदोलन बनाने तथा संसाधनों के सृजन् में स्थानीय निकायों की भूमिका पर जागरूकता का अभाव

उपरोक्त व्यवरोध को सम्बोधित करने की दृष्टि से प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम से स्थाई एवं रचनात्मक सामुदायिक सोच की व्यवस्था का विकास कर रहा है ताकि लोग अपने लिए स्वच्छता से सम्बन्धित आवश्यकताओं की मांग करें तथा उसके उपरान्त उन्हें पुरा करने के लिए उचित कदम उठाए। वर्तमान में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। इस कार्यक्रम की 30.12.2011 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार से है :–

1. वित्तीय प्रगति

(` लाख में)

वर्ष	व्यक्तिगत शौचालय (एपीएल+ बीपीएल)	स्कूल शौचालय	आंगनबाडी शौचालय	समुदायिक स्वच्छता परिसर
2007–08	136043	1858	484	23
2008–09	313872	1959	994	35
2009–10	239576	4701	2302	63
2010–11	216571	6429	4400	310
2011–12 (दिसम्बर, 11 तक)	29519	509	67	98

कुल परियोजना परिव्यय	17696.55
केन्द्रीय भाग	11721.88
राज्य भाग.	4500.44
लाभार्थी भाग.	1474.23
जारी राशि	10518.97
केन्द्र द्वारा जारी	7081.23
राज्य द्वारा जारी	2652.84
लाभार्थी द्वारा जारी .	784.90
खर्चा	8324.40
केन्द्रीय भाग से.	5765.25
राज्य भाग से.	2001.48
लाभार्थी भाग से.	557.66

भौतिक प्रगति

घटक	लक्ष्य	उपलब्धि
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	850737	1024808
बीपीएल शौचालय	218154	248323
एपीएल शौचालय	632583	776485
स्कूल शौचालय	17863	16530
आंगनवाड़ी शौचालय	10408	8377
स्वच्छता परिसर	1229	602

.

वर्ष वार प्रगति
वित्तीय प्रगति

(` लाख में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	जारी राशि	खर्चा	जारी राशि	खर्चा
2007–08	1024.50	355.13	113.22	117.14
2008–09	778.76	466.90	469.63	170.78
2009–10	1116.80	1312.38	400.00	563.66
2010–11	2939.78	2130.20	711.51	702.71
2011–12 (दिसम्बर, 11 तक)	469.57	889.52	700.50	302.60

भौतिक प्रगति

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

19.12 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना की नवीनतम दिशा निर्देशों अनुसार उन महिला मण्डलो को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होनें अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना में ` 182.50 लाख विजेता महिला मण्डलों को प्रदेश में बांटे जाएंगे।

निर्मल ग्राम पुरस्कार

19.13 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तुबर,2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रारम्भ किए तथा प्रथम पुरस्कार वर्ष 2005 में वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यो को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना शिक्षा व सम्प्रेशण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य

शिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहो,गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सामाजिक एवं राजनैतिक बहस का मुद्दा बनाना
2. खुले में शौच मुक्त वातावरण एवं साफ सुथरे आदर्श गांव विकसित करना जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हों
3. खुले में शौच प्रथा को पूर्णतयः बंद करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों के स्थाईत्व को बनाए रखने के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान करना
4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में समुदायिक लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा वैष्वीय स्वच्छता के बढ़ावे के लिए संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान प्रदान करना

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षो के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या
2007	22 ग्राम पंचायत
2008	245 ग्राम पंचायत व एक खण्ड
2009	253 ग्राम पंचायत
2010	168 ग्राम पंचायत
2011	1081 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया है परन्तु विजेता ग्राम पंचायत का अभी निर्णय होना है।

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.14 प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य प्रोत्साहन योजना महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत खण्ड/ जिला/ मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को राज्य स्तरीय सामारोह में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– `1.00 लाख
2. जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– `3.00 लाख
   300 से कम ग्राम पंचायतों के जिला में एक पुरस्कार
   300 से अधिक ग्राम पंचायतों के जिला में दो पुरस्कार
3. मण्डल स्तरीय सबसे साफ ग्राम पंचायत– `5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय सबसे साफ ग्राम पंचायत– `10.00 लाख

- इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009 के दौरान `144 लाख की पुरस्कार राशि विभिन्न खण्ड, जिला, मण्डल, राज्य स्तरीय विजेताओं को प्रदान किए गए

- वर्ष 2010 में विजेता ग्राम पंचायतों को `147.00 लाख पुरस्कार राशि 15 अगस्त, 2010 को वितरित की गई।
- वर्ष 2011 के सभी स्तरों की विजेता ग्राम पंचायतों को अधिसूचित कर दिया गया है तथा उन्हें कुल `147.00 लाख पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना(प्रारम्भिक शिक्षा स्कूलों के लिए)

19.15 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत एक नई प्रोत्साहन योजना दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के मानदण्ड़ों में कुछ बदलाव किया गया है और अब इस योजना में हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना प्रति वर्ष 31 दिसम्बर से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होती है।

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ` 50,000/– की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार `20,000/– की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र
- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ` 10,000/–

इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में `62.00 लाख तथा वर्ष 2010–11 में `82.00 लाख (मुल्यांकन व्यय सहित) का उपयोग किया गया। वर्ष 2011–12 के लिए इस योजना में विजेता स्कूलों के लिए पुरस्कार राशि ` 87.30 लाख होगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.16 संसद द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह अधिनियम–2 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू माना जाएगा जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया है। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण मे लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांगड़ा व मण्डी

को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। 1.4.2008 से शेष 8 जिलों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2011 तक भारत सरकार द्वारा `295.38 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्य भाग के रूप मे `45.45 करोड़ रोजगार गांरटी फण्ड में जमा किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत् जिलों के पास ` 520.54 करोड़ (दिसम्बर, 2011) उपलब्ध हैं और ` 92.20 करोड़ राज्य रोजगार फंड में जमा हैं तथा दिसम्बर

माह तक `286.70 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं और 152.20 लाख कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं तथा 3,85,305 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

20. आवास एवं शहरी विकास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतू विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फलैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। दिसम्बर, 2011 तक प्राधिकरण द्वारा 12,343 मकान/ फलैटों का निर्माण तथा 4,476 प्लाटों का विकास विभिन्न आवासीयों योजनाओं के अर्न्तगत किया गया है।

20.2 इस वर्ष में `17, 538.02 लाख बजट के अन्तर्गत 9 मकानों, 238 फलैटों का निर्माण करने, 449 प्लाटों को विकसित करने के लिए तथा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों को करने का प्रावधान रखा गया है। नवम्बर, 2011 तक `7,357.94 लाख का खर्चा किया जा चुका है।

20.3 आर्थिक आधार मुख्यतः हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंको से ऋण लेकर, स्वतः वित्त योजना के आंवटियों से तथा विभिन्न सरकारी विभागों के डिपोजिट कार्यो से प्राप्त होता है।

20.4 वर्ष 2010—11 के दौरान हिमुड़ा ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 9 मकान तथा 75 फलैटों का निर्माण किया है । इस अवधि के दौरान हिमुड़ा ने 348 प्लाटों को भी विकसित किया है।

20.5 ठियोग, छबगरोटी, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला और परवाणु में आवासीय कालोनी का निर्माण प्रगति पर है। भू—अर्जित कार्य शिलीहार कोट कांडी, मोहाली—सेरी, व्राड़ा दयार, (जिला कुल्लू) पटटी, चचियां, ब्रहमथेरू, और बैजनाथ (जिला कांगड़ा) स्वार (जिला हमीरपूर), जलफ, पौंटी (जुन्गा) पड़ेच, पांटी नजदीक घणाहटटी, मोहल—इशासर अणु—रोहड़ू (जिला शिमला), मोहल—रजवाड़ी सुन्दरनगर, बडसु (जिला मण्डी), पड़या—धर्मपुर, मोहल सलकाना, मौजा कोटी, मोहल—चक्की, मोहल—मंझारी, मोहल—कैंथी (राजपुर—कसौली) मोहल—मसूरखाना और मोहल—डगशाई (जिला सोलन), मोहल वोलोह—लखनपुर (जिला बिलासपुर) वनगढ़ (मैहतपुर) जनकौर तथा रक्कड़ कलौनी उना (जिला उना), जुरजा (जिला सिरमौर) में आवासीय कलौनी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

20.6 हिमुड़ा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे की सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवाये, पशु—पालन, शिक्षा, मछली पालन, तकनीकी शिक्षा, औद्यिगिक प्रशिक्षण संस्थान, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज, दुग्ध फेडरेषन, आर्युर्वेद, नागरिक आपूर्ति, उद्यान, जन—सूचना एवं सम्पर्क, पर्वतारोहण और अलाईड स्पोर्टस मनाली, गृह रक्षक और सिविल डिफेन्स तथा सूचना तकनीकी विभागों का निर्माण कर रहा है।

20.7 बददी, फेज–3 में (दुकाने), नालागढ में (बुथों) और रोहडू व बद्दी फेज–1 में वाणिज्य परिसर का निर्माण किया जा रहा है। अटल नगर (कालूझण्डा) में 11 प्लॉट शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए बेचे गए है। इसके अतिरिक्त हिमुडा ने हाल ही में मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन मांगे हैं। जिसके लिए भू–अर्जन का कार्य विभिन्न स्थानों पर चल रहा है।

20.8 हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमुडा को भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत नोडल ऐजेन्सी घोषित किया है। शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं की योजना (वी.एस.यू.पी.) के अन्तर्गत 176 फलैटों (आशियाना–2) ढल्ली, शिमला का निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत हमीरपुर में 152 फलैटों का और परवाणु में 192 फलैटों का नालागढ़ में 128 फलैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यु0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 के अन्तर्गत हिमुडा मण्डी नगर में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य कर रहा है।

शहरी विकास

20.9 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्रूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 49 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। शहरी स्थानीय निकायों की आय के साधन सीमित होने की बजह से सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में इन निकायों को `10,990.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जानी प्रस्तावित है।

20.10 राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2011–12 में सभी मजदूरी स्थानीय निकायों को `5,188.00 लाख की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। जिससे दिसम्बर, 2011 तक ` 4,888.00 लाख प्रदान किए जा चुके हैं। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता राशि भी शामिल है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

20.11 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मे केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया है।

20.12 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है । वर्ष 2011–12 में

`1,199.99 लाख का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना मे निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. शिमला नगर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बेहतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का पुर्नवास।
4. शिमला शहर के लिए शहरी परिवहन में 75 बसों को खरीदना।
5. शिमला के विभिन्न कटिबन्धों में मल व्यवस्था तथा छूटे हुए क्षेत्रों / घिसी पिटी मल व्यवस्था की कायाकल्प करना।

एकीकृत गृह एवं मलिन बस्ती विकास योजना

20.13 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी ईकाई (दो कमरे, एक रसोई तथा शौचालय) के निर्माण का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई मु0 ` 1,00,000.00 की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मु0 `7,203.89 लाख की आठ योजनाओं को (हमीरपुर 443.32 लाख, धर्मशाला 942.31 लाख, सोलन 958.30 लाख, परवाणु 1,167.98 लाख, बददी 1,475.39 लाख, नालागढ़ 546.59 लाख, सुन्दरनगर 999.00 लाख, सरकाघाट 671.00 लाख) हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत कर दिया है। भारत सरकार द्वारा `3256.20 लाख (हमीरपुर 443.32 लाख, धर्मशाला 367.52 लाख, सोलन 342.38 लाख, परवाणु 1167.98 लाख, बददी 677.10 लाख, नालागढ़ 257.29 लाख) की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत 328 रिहायशी युनिट धर्मशाला, 336 रिहायशी युनिट सोलन, 152 रिहायशी युनिट हमीरपुर, 192 रिहायशी युनिट परवाणु, 480 रिहायशी युनिट बददी, 128 रिहायशी युनिट नालागढ़, 208 रिहायशी युनिट सुन्दरनगर, 130 रिहायशी युनिट सरकाघाट में बनाए जाने हैं। हिमुडा को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नांमाकित किया गया है। चालू वित वर्ष में मु0 `500.00 लाख का बजट प्रावधान है जोकि 31.3.2012 तक खर्च किए जाएंगे।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

20.14 49 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कों, रास्ते, गलियों तथा 1,139 किलोमीटर नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें मु0 ` 600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जा चुके हैं।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

20.15 स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अर्न्तगत मुख्य उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस

योजना में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी के रूप में `29.00 लाख प्रदान किए जा रहे हैं।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

20.16 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) को पुनः संरचित कर इस का नाम छोटे तथा मध्यम शहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत चार शहरों हमीरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट तथा मण्डी को लाया जा चुका है तथा अन्य 7 शहरों की योजनाएं अनुमोदनार्थ, भारत सरकार को भेजी गई है इसके कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 में ` 900.00 लाख (राज्य भाग) का प्रावधान किया गया है जोकि 31.3.2012 तक खर्च कर लिया जाएगा।

राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा

20.17 शिमला शहर को छोड़ कर दूसरी शहरी स्थानीय निकायों में सफाई एवं ढांचागत सुधार हेतु "राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा योजना" वर्ष 2006–07 में चलाई गई थी। इस योजना में कार पार्किंग, पार्क निर्माण कूड़ा संयंत्र की स्थापना तथा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के कार्यन्वयन हेतु इस वित्तीय वर्ष में मु0 ` 143.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से ` 20.00 लाख सुन्दरनगर, `33. 00 लाख सन्तोखगढ़, ` 40.00 लाख दौलतपुर, ` 30.00 लाख मैहतपुर, ` 20.00 लाख गगरेट में पार्क व पार्किंग के निमार्ण हेतू प्रदान किए जा चुके हैं।

मल व्यवस्था योजना

20.18 मल व्यवस्था स्कीम में वर्ष 2011–12 में ` 1,500.00 लाख का प्रावधान है तथा ` 500.00 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना में शहरी विकास विभाग के नाम कर दिया है। परन्तु यह स्कीम सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है। विभाग द्वारा बजट में प्रदान राशि में से `1,125.00 लाख योजना तथा `490.00 लाख अनुसूचित जाति–उपयोजना में आहरण करने के उपरान्त सिंचााई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए जा चुके हैं। उपरोक्त योजनाओं/ कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यन्वित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। सभी शहरों के समुचित विकास हेतु शहरी विकास योजना बनाने की कोशिश की जा रही है।

13वॉ वित्तायोग अनुदान

20.19 13वें वित्तायोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जोकि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। 13वें वित्तायोग के अनुरूप वर्ष 2011–12 में ` 11.80 करोड़ का बजट प्रावधान गैर–योजना में है। जो कि शहरी स्थानीय निकायों को प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 13 शहरों में जहां पर्यटक अधिक

मात्रा में आते हैं वहां पार्किंग निर्माण, मलनिकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रवंधन सयन्त्र के निमार्ण हेतू `50.00 करोड़ स्वीकृत किए हैं जोकि शहरी स्थानीय निकायों को चार वर्षों में ` 12.50 करोड़ प्रतिवर्ष दिए जाने हैं। इस योजना में वर्ष 2011–12 में ` 9.38 करोड़ सामान्य योजना तथा ` 3.12 करोड़ अनुसूचित जाति उपयोजना में बजट प्रावधान है जोकि शहरी स्थानीय निकायों को जारी की जा चुकी है।

शहरी एवं ग्रामीण योजना

20.20 प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध एवं कमबद्व, भौतिक विकास, पहाड़ी वास्तुकला धरोहर एवं पर्यावरण संरक्षण तथा सीमित भू–संसाधनों के उचित उपयोग हेतु नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम,1977 के प्रावधानों से राज्य में 21 योजना क्षेत्रों और 34 विशेष क्षेत्र में लागू किया है।

20.21 खरवार, चम्बी, सुन्दरनगर, गगरेट, अम्ब योजना क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। रोहडू योजना क्षेत्र की विकास योजना बनाकर तैयार कर दी है। तथा क्षेत्रीय कार्यालय को अपडेशन के लिए भेज दी है तथा विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत कण्डाघाट, चायल, कमांद, उदयपुर, रोहतांग, हाटकोटी, चमेरा, रिकांगपीओ के लिए विकास योजना का काम तथा प्रस्तावित गगरेट, अम्ब, योजना क्षेत्र का काम चल रहा है। वर्तमान के भू–उपयोग मानचित्र से रेणुका को प्रस्तावित योजना क्षेत्र बनाया गया है। जोगिन्द्रनगर, चौपाल, बड़सर, को योजना क्षेत्र तथा सांगला को विशेष क्षेत्र बनाने का कार्य प्रगति पर है। नदौन, भोटा, तथा जोगिन्द्रनगर की योजना क्षेत्र का प्रारूप निदेशालय को प्राप्त हो चुका है और शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया जाएगा। राजधानी के शहरी क्षेत्रों/ उत्तरी हिमाचल, दक्षिणी हिमाचल तथा कांगड़ा घाटी का कार्य प्रगति पर है।

अन्य उपलब्धियां

20.22 5,000 के बड़े स्केल पर टोपीग्राफी मानचित्र 6 शहरों में जैसे कि वाकनाघाट, धर्मशाला, चिन्तपुर्णी, मनीकर्ण, नग्गर और नेरचौक के मानचित्र राष्ट्रीय सुदूर संवदेन केन्द्र, हैदराबाद से प्राप्त हो चुके हैं और विशेष योजना को तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिए गए है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जिला किन्नौर के कल्पा एवं सांगला गांव तथा चम्बा के भरमौर निर्मित धरोहर चित्रण एवं पुर्नविकास क्षेत्रों के डिजाईन दिशा निर्देश बनाने हेतु योजना एवं वास्तुकला स्कूल (एस.पी.ए.) दिल्ली के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया है।

वर्ष 2012–13 हेतू लक्ष्य

20.23 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान वित्तीय वर्ष 2012–13 तैयार कर लिया गया है जिसमें कि योजना क्षेत्र, विशेष योजना क्षेत्र, क्षेत्रीय भू–उपयोग मानचित्र, विकास योजनाओं को तैयार किया जाना है जो निम्न प्रकार से हैः–

1. रेणुका जी, करसोग–ततापानी, कांगड़ा, नारकण्डा, नैनादेवी, दौलतपुर, जोगेन्द्रनगर, चौपाल नामक 6 योजनाओं का गठन करना।
2. सांगला विशेष क्षेत्र योजना का गठन।
3. कांगड़ा घाटी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र योजनाओं का गठन।

4. 4 योजना क्षेत्रों कमांद, अतिरिक्त शिमला, चौपाल, घुमारवीं क्षेत्र तथा 4 विशेष योजना क्षेत्रों कण्डाघाट, रोहतांग, चमेरा और जावली विशेष योजना क्षेत्र का गठन।
5. 19 विकास योजनाओं को तैयार करना जिनमें से 11 विशेष योजना क्षेत्र बडोग, त्रिलोकपुर, नेरचौक, रोहतांग, मनीकर्ण, बाबा बालक नाथ, गरली परागपुर, चिन्तपूर्णी, खजियार, भरमौर तथा सरहान इत्यादि है। 8 योजना क्षेत्र वाकनाघाट, कुल्लू–भुन्तर, धर्मशाला (संशोधित), ठियोग, रोहड़ू, मैहतपुर, रामपुर (संशोधित) और परवाणु (संशोधित), क्षेत्र हैं।

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977, 21 योजना क्षेत्रों तथा 34 विशेष योजना क्षेत्रों में लागू किया गया। विभाग द्वारा 2 अन्तरिम विकास योजनाएं तथा 17 विकास योजनाएं तैयार की गईं।

4 सैक्टर प्लॉनज जैसा कि जाखू, समीटरी–भट्टा कुफर (फेज–II), शिमला, रामपुर–बुशैहर का व्रौ और हमीरपुर योजना क्षेत्र का हीरानगर, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं।

21 पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में चौथा कार्यकाल वर्ष 2011 में प्रारम्भ हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालिक जलवाहक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। पंचायत सहायक, लेखापाल, लिपिक व आशुटंकक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता तथा निजि सहायक की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन गुजारा भत्ता के लिए तथा ` 500 प्रतिमाह तक गुजारा भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायते क्षेत्र में `1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषिk] पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर में कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम

पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतू वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ii) सरकार ने पंचायतों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु योजना शुरू की है तथा इस योजना के अर्न्तगत पंचायतों द्वारा शुद्व अतिरिक्त स्त्रोतों को सृजित करने से प्राप्त राशि के बराबर राशि प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा स्वच्छता, तरल/ठोस कुडा प्रबधन तथा स्ट्रीट लाईट के अर्न्तगत सृजित की गई राशि के बदले में दोगुनी राशि प्रदान की जायेगी। इस वर्ष इस हेतु ` 10.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

iii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय की दरों में दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से बढ़ौतरी की है। मानदेय की संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ` 3,500/–तथा ` 2,500/– प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ` 1,800/– तथा ` 1,500/– प्रति मास तथा प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत को ` 1,200/– एवं ` 1,000/– प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः `1,500/– तथा ` 1,200/– प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतू बैठक फीस की दर को ` 150/– प्रति बैठक कर दिया गया है।

iv) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतू भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

v) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है।

vi) सरकार ने पंचायत चौकीदारों वर्दी उपलब्ध करवाने हेतु मु0 ` 840 प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

vii) पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान 800 पंचायत घर निर्मित करने व 2,192 पंचायत घरों की मुरम्मत एवं अपवर्धन के लिए ` 3.40 लाख व `1.00 लाख प्रति पंचायत की दर से राशि प्रदान की गई है। इस उद्देश्य

हेतु ग्राम पंचायतो को समय–समय पर ` 40 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

viii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक की वृद्वि जोकि पंचायत सहायक को क्रमशः `3,120 से 5,910, पंचायत सचिव `4,680 से 7,810, कनिष्ठ लेखापाल ` 4,830 से 7,810, कनिष्ठ अभियन्ता ` 8,700 से 14,100, कनिष्ठ आशुलिपिक ` 3,000 से 8,710, सहायक अभियन्ता ` 11,820 से 21,000, तथा सिलाई अध्यापिकाओं को ` 1,100 से 1,400 दिनांक 1.4.2011 से कर दी गई है।

ix) राज्य सरकार ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों बैजनाथ और मशोबरा, जोकि पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्कताओं को पूर्ण करते हैं, के पुर्ननिर्माण का निर्णय लिया है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाये प्रदान करने के उदेश्य से इन्हे पुर्ननिर्मित करने पर ` 12.68 करोड़ व्यय किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त मण्डी जिला के थुनाग में ` 6.48 करोड़ की लागत से नये प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जा रहा है।

x) पंचायत समिति में 80 कनिष्ठ अभियन्ताओं, 39 खण्ड अभियन्ताओं व 390 पंचायत सहायकों के नए पद सृजित किए गए।

xi) भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अर्न्तगत सिरमौर व चम्बा जिला को वर्ष 2007–08 से पांच वर्षों के लिए क्रमशः `15.53 करोड़ तथा `12.97 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने की प्रस्तावना है जिसमें से इस स्कीम के अर्न्तगत, इन जिलों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार की गई योजना के आधार पर अब तक कुल ` 121.31 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। है। चालु वित्त वर्ष से पंचायती राज मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत जिला चम्बा के लिए राशि को ` 15.53 करोड़ से बढ़ाकर ` 16.65 तथा जिला सिरमौर के लिए ` 12.97 करोड़ से ` 13.57 करोड़ किया है जिसमें से ` 22.00 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

xii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत पंचायती राज पदाधिकारियों के क्षमतावर्धन के लिए भारत सरकार को एक भावी तथा वार्षिक योजना से सम्बन्धित प्रस्तावना ` 28.50 करोड़ की राशि प्रदान करने हेतु भेजी गई जिसमें से `4.33 करोड़ स्वीकृत किए गए तथा राज्य सरकार को ` 1.17 करोड़ की राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी कर दी है। प्रथम चरण में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 96 प्रतिशत पंचायती राज प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया द्वितीय चरण में थिमेटिक प्रशिक्षण को दिनांक 28.11.11 से आरम्भ किया है।

xiii) 13वें वितायोग के तहत इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को ` 80.80

करोड़ प्रदान किये जायेंगे जिसमें से ` 40.40 करोड़ की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।

xiv) ईपीआरआई योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय दो साफ्टवेयर नामतः परिवार रजिस्टर तथा निर्वाचित पदाधिकारियों बायोडाटा एवं प्रशिक्षण प्रबन्धन साफ्टवेयर तैयार एवं रोल आउट किए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं विकसित किए गए 12 साफ्टवेयर में से 4 साफ्टवेयर जैसे प्रियासाफट, प्लानपल्स, नेश्नल पंचायत पोरटल तथा नेश्नल पंचायत डायरैक्टरी को रोल आउट किए गए है।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

हिमस्वान

22.1 हिमस्वान परियोजना भारत सरकार की सहायता से वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय को सभी जिला मुख्यालयों को ब्लाक /तहसील मुख्यालयों से जोड़ने के लिये शुरू की गई। हिमस्वान, ई–गवर्नैंस के तीन मुख्य स्तम्भों में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसका मुख्य उद्धेश्य विभिन्न सरकारी विभागों द्धारा दिए जाने वाली सेवाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ–साथ विभिन्न विभाग अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित कम्पयूटर प्रोग्राम को हिमस्वान के माध्यम से राज्य स्तर पर चला सकेगें। हिमाचल प्रदेश को देश के पहले ऐसे राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ जिसने हिमस्वान परियोजना को सबसे पहले 5 फरवरी, 2008 को स्थापित किया है। यह प्रदेश के सभी राज्यों में सबसे अधिक कार्यालयों को स्वान से जोड़ चुका है। हिमाचल प्रदेश को हिमस्वान के सफल कियान्वयन के लिये वर्ष 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

132 पोईंट्स ऑफ प्रेसेन्स (PoP) स्थापित किए जा चुके हैं। PoP की स्थिति यह है:–

- 129 PoP परिचालित हैं।
- 3 PoP (काजा, पांगी और डोडरा क्वार) तकनीकी रूप से संभव नहीं हैं।
- हिमाचल प्रदेश में आज तक 1,251 सरकारी कार्यालय जोड़े जा चुके हैं।
- थर्ड पार्टी ऑडिट एजैंसी (TPA), हिमस्वास संचालक की सेवाओं के स्तर की जांच कर रहा है।

समुदायिक सेवा केन्द्र

22.2 केन्द्र सरकार के इस परियोजना अनुसार राज्य की पंचायतों में 3,366 लोक मित्र केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना का उद्धेश्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं को जनता के कल्याण के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकारी, निजी एवं सामाजिक क्षेत्रों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कम्पनियों के माध्यम से कम्पयूटर केंद्र खोले जा रहे हैं। निविदा के आधार पर इस परियोजना का संचालन दो निजी कम्पनियों जूम डेवेलपरस द्वारा जिला कांगड़ा में तथा टेरा सोफ्ट एवं जी.एन.जी कम्पनी द्वारा मण्डी/शिमला डिवीजन में किया जा रहा है।

3,366 केन्द्रों में से 2,794 केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा 1,639 केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं।

लोक मित्र केन्द्रों के द्वारा दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं: सरकारी (जी.टू.सी.) एवं व्यापारिक (बी.टू.सी.)वर्तमान में लगभग 1,300

लोक मित्र केन्द्र प्रदेश की जनता को निम्नलिखित सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैंः–

1. नकल जमाबन्दी,
2. ई–समाधान,
3. बिजली के बिलों का भुगतान,
4. एच.आर.टी.सी. बसों की टिकटों की बुकिंग,
5. पानी के बिलों का भुगतान,

अतिरिक्त सेवाएं विभागों से परामर्श के बाद आरम्भ की जा रही हैं।

इन सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त लोक मित्र केन्द्रों के द्वारा मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, आई.टी.प्रशिक्षण, पैन कार्ड, टंकण, सी.डी.बर्निंग इत्यादि व्यापारिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

कृषि संसाधन सूचना तंत्र व नेटवर्किंग (एग्रिसनेट)

22.3 एग्रिसनेट परियोजना के द्वारा नागरिकों विशेषकर किसानों तथा बागवानों तक कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं सूचनाओं को पहुंचाना है। एग्रिसनेट परियोजनों में सभी चारों विभागों से संबंधित सूचना का डेटाबेस तैयार किया गया है। पोर्टल का विधिवत उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा 29.7.2010 को किया गया।

विष्यवस्तु सेवा प्रदाता (सी.ए.पी.)

22.4 सी.ए.पी. भारत सरकार की प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का उद्वेश्य यह है राज्य विशिष्ट विषयवस्तु की पहचान करना और भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के लिए योगदान देना, कोंपयाल के बाद और एन.पी.आई. की विषय वस्तु को बनाए रखने की अवधि के दौरान संविदा के सम्पर्क के साथ इस संबंध में सरकार के विभागों के लिए योगदान देना।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- 70 रूप, 30 सेवाएं, विभिन्न विभागों की 105 योजना और 21 विभागीय वैबसाइटस इस परियोजना के अधीन तैयार की जा चुकी हैं

इलैक्ट्ानिक सरकारी अधिप्राप्ति

22.5 इस लक्ष्यवर्धी परियोजना को सरकार की खरीद–फरोख्त को सरलीकृत, पारदर्शी और परिणाम अभविनियसत (Result Oriented) करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। यह पाइलट आधार पर आई.पी.एच., पी. डब्लयू.डी और स्टोर के नियंत्रक में कार्यान्वित की जा रही है। यह एपलिकेशन NIC., शिमला द्वारा डेवलप की जा रही है। परियोजना पर प्रशिक्षण सरकारी अधिकारियों के अलावा उन विभागों के बोली लगाने वाले/ कोंटरेकटर को भी दिया गया है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- परियोजना अधिक विभागों में कार्यान्वित की जा रही है जो इस प्रकार हैः डीसी फॉर टैम्पल अधिप्राप्ति, एचपीएसईबी, स्वास्थ्य विभाग, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, वन विभाग, एच.पी.एस.ई. डी.सी., महिला एवं बाल विकास

निगम, उद्योग, मुद्रण भण्डार और स्थिर विभाग।

- इन विभागों / बोली लगाने वालों का प्रशिक्षण जनवरी,2012 में पूरा किया गया है।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.6 सेवा वितरण प्रणाली ई. गवर्नेस आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजे जाएगें। 14 विभागों की 49 सेवाएं इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जाएगी। सिस्टम को जांचने व परखने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली को इस्तेमाल करने के प्रशिक्षण का काम नवम्बर माह में पूरा कर लिया गया है। पोर्टल मार्च 2012 में क्रियाशील कर दिया जाएगा।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

22.7 भारत सरकार की कैपसिटी बिल्डिंग परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों, जोकि विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार की सहायता की तैनाती करना इत्यादि है।

परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को आई. टी.प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं राज्य ई–मिशन टीम का गठन किया गया है जिसमें 7 परामर्शदाता (6 मै0 विप्रो तथा 1 एन.आई.एस.जी) विभिन्न ई–गवर्नमैंट परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

समाजिक न्याय और अधिकारिता के अधीन कल्याणकारी निगमों का कम्पयूटरीकरण

22.8 इस परियोजना का उद्वेश्य सभी 5 निगमों एस.सी.एस.टी. पिछड़ा वर्ग, महिला विकास, अल्पसंख्यक और अक्षमता वित्तीय और विकास निगमों के क्रियाकलापों को कम्पयूटरीकृत करना है। यह परियोजना फरवरी,2011 तक कार्यान्वित होगी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- M/s Corpus Software (P) Ltd. को कान्ट्रेक्ट दिया गया है और सॉफटवेयर की जांच प्रगति पर है।

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विद्यालय धर्मशाला का कम्पयूटरीकरण

22.9 इस परियोजना का एकमुश्त (Turnkey) आधार पर मैसर्ज वयम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आंवटित किया गया है। निष्णात सेवा करार (Master Service Agreement) तैयार किया गया और उसे बोर्ड की स्टेंडिंग परिषद द्वारा जाचने के लिए भेजा गया है। यह परियोजना शिक्षा बोर्ड की शाखाओं/ अनुभागों जैसेः–ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम, लेखा और शुल्क प्रबंधन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, गोपनीयता, जारी

डुप्लिकेट अंक सूची, आर.टी.आई., डिस्पेच प्रबंधन इत्यादि को समाविष्ट करेगी।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- M/s Vayam Technologies को सॉफटवेयर बनाने, आवश्यक हार्डवेयर को भेजना, स्थापित करना और ऑपरेशन और परियोजना की देखरेख करने के लिए इम्पैन्लमेंट एजेंसी अगले 3 साल के लिए नियुक्त की गई है।
- मार्च 2012 की बोर्ड परीक्षाओं का डाटा एंट्री परियोजना पर उपलब्ध है।

हिपा के लिए विडियो कान्फैंसिंग आधारित लर्निंग परियोजना

22.10 इस परियोजना का उद्देश्य विडियो कान्फ्रैसिंग द्वारा प्रदेश के पंचायत सहायकों व प्रतिनिधियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देना है।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- राज्य में 80 जगहों पर वी.सी. उपकरण की आपूर्ति, इन्स्टॉल करने, ऑपरेशन और रख–रखाव हेतु मैसर्ज एयरटैल को परियोजना के आरम्भ होने से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना गया है।
- (Final Acceptance Testing) एफ.ए.टी. प्रगति पर है। परियोजना संम्भवतः फरवरी,2012 तक रोल्ड आउट हो जाएगी।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

22.11 इस सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों के राजस्व न्यायालयों जैसेः–मण्डलायुक्त, डी.सी. ऑफिस, एस.डी.एम. ऑफिस, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के उपयोग के लिए किया गया है। इस प्रणाली द्वारा नागरिक अपने राजस्व मुकदमों से संबंधित जानकारी व निर्णय ऑन लाइन http://hp.gov.in/rcms देख सकते हैं। इस सॉफटवेयर में लगभग 20 रिपोर्टस, रेवन्यू कोर्ट के अनुसार तैयार कर सकते हैं।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- आर.सी.एम.एस. सभी रेविन्यू कोर्ट में इम्पैनलमेंट किया जा चुका है।
- जिला रेविन्यू कोर्ट के कर्मचारियों को सॉफटवेयर का प्रशिक्षण विडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदान कर दिया गया है।

अभियोग निगरानी प्रणाली (LMS):

22.12 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक कठिनतम कार्य है। सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर "अभियोग निगरानी प्रणाली" तैयार किया गया है जिसके द्वारा सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से की जा सकती है और विचाराधीन मुकदमों, निर्धारित समय में उनका उत्तर तैयार करना, मुकदमों की वर्तमान

स्थिति और निजी उपस्थिति का कार्य सचेत रूप से किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल विभाग का अलग से मॉडयूल तैयार किया गया है। सरकारी विभाग मुकदमे का करेंट स्टेटस http://hp.gov.in/lms इस पर देख सकता है।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- एडवोकेट जनरल कार्यालय दिन प्रतिदिन मुकदमे का स्टेटस अवगत कर रहा है। इसके लिए आई.टी.विभाग ने 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर दिए हैं।
- Legal Cell, RC office, New Delhi के द्वारा Supreme Court के विभिन्न विभागों के मुकदमे डाल दिये गए हैं।

परिवार पंजीकृत कम्पयूटरीकरण

22.13 इस विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के लिए परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया को कम्पयूटरीकृत करने के लिए किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधित एंटेरीज एवं रिपोर्टस की सुविधाओं (modules) का विकास किया गया है।

जन सेवा केन्द्र

22.14 जन सेवा केन्द्र परियोजना का उद्वेश्य आई.सी.टी. (ICT) आधारित सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को एक पारदर्शी, गतिशील, आर्थिक रूप से उपलब्ध करवाना है। इस उद्वेश्य की पूर्ति के लिए सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया करवाना है। इस परियोजना के कियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

ई–प्रणाली

22.15 ई–प्रणाली एक इलेक्ट्रोनिक माध्यम है जिसके द्वारा सरकारी पत्रों को प्रेषित किया जाता है। यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से सरकारी विभागों के पत्रों को इलैक्ट्रान द्वारा भेजने, फैक्स /ई–मेल एवं भविष्य में संदर्भ के लिए भंडार के लिए डिजाइन व विकसित किया गया है। जरूरी संदेश/ आदेश भी इस सॉफ्टवेयर में एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से फील्ड कार्यालयों में ई–मेल/प्रेषण से सृजित किए जा सकते हैं। यह परियोजना http://hp.gov.in/ed पर उपलब्ध है। इस प्रेषण के मुख्य लाभ निम्नलिखित है:

- पत्रों का तेजी से डिलीवरी और शीघ्र प्राप्ति।
- कागज आदि सामग्री की कम लागत।
- कोई डाक वितरण व्यय नहीं
- श्रमिक खर्चों की कमी।
- मानवीय भूल को दूर करना।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इस्तेमाल की जा रही है।

- राज्य के सभी प्रमुख विभागों में यह परियोजना लागू की जाएगी।

लद्वाख भुगतान (Payment Gateway):

22.16 राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रोनिक ऑनलाइन अदायगी के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा स्थापित की है। यह सुविधा सरकारी कार्यालय के अलावा बिजली के बिलों का भुगतान के लिए HPSEBL/ MCs/ ULBs/ Boards/ Corporations में प्रयोग कर सकते है। नागरिक अपने बिजली के बिल/देय आदि का भुगतान करने के लिए इस परियोजना का प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी विभाग इस तरह से नागरिक के देय तेजी से प्राप्त कर सकते हैं।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- इस समय यह सुविधा HRTC/HPTDC के पोर्टल में चलाई जा रही है।
- राज्य के सभी प्रमुख विभागों में यह परियोजना लागू की जाएगी।

कैडस्ट्ल मानचित्र का अंकीकरण:

22.17 इस परियोजना का उद्वेश्य, मौजूदा कैडस्ट्रल मानचित्र का सुरक्षित करना और आर.ओ.आर. (Record of Rights) और भविष्य में कोई अपडेशन भी इस परियोजना के माध्यम से करना। इस प्रकार एक ही समय में जमाबंदी की नकल आदि विभिन्न सेवा केन्द्रों जैसे सुगम केंद्र, लोक मित्र केंद्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

- यह परियोजना जिला चम्बा और सिरमौर में संचालित की जा चुकी है।

अस्पताल प्रंबंधन सूचना पद्वति (HMIS):

22.18 हिमाचल प्रदेश के नागरिक को महत्वूपर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए अस्पताल में प्रबंधन सूचना पद्वति राज्य की एक पहल है। इस परियोजना का उद्वेश्य अस्पताल के नित्यकर्म के क्रियाकलापों को और रोगी का रिकार्ड रखने के लिए चिकित्सा का इतिहास/ उसके पंजीकरण से अस्पताल को छोड़ने तक का ट्रेक रखना। देश के संस्थानों में IGMC शिमला एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस परियोजना को चला रहा है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति:

- यह परियोजना IGMC शिमला में स्थापित की गई है और सफलतापूर्वक चल रही है।